




31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य वित्त
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
प्रतिवेदन संख्या-1

मध्य प्रदेश सरकार

www.cag.gov.in



विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		ix
कार्यपालन सारांश		xi
पहला अध्याय		
राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था		
प्रस्तावना	1.1	1
राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.3	3
बजट 2010-11	1.4	4
राज्य के संसाधन	1.5	5
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.5.1	5
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर निधियों का अन्तरण	1.5.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.6	8
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.6.1	10
करापवंचन, अपलेखन/अधित्याग के कारण राजस्व की हानि	1.6.2	13
राजस्व बकाया	1.6.3	13
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.7	14
व्यय की वृद्धि तथा रचना	1.7.1	15
प्रतिबद्ध व्यय	1.7.2	18
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.7.3	22
स्थानीय निकायों इत्यादि को 13वें वित्त आयोग अनुदानों की निकासी एवं उपयोग	1.7.4	23
व्यय की गुणवत्ता	1.8	25
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.8.1	25
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.8.2	27

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.9	30
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.9.1	30
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1.9.2	31
नकद शेष तथा नकद शेषों का निवेश	1.9.3	32
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.10	33
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा रचना	1.10.1	33
राजकोषीय देयताएं	1.10.2	33
गारंटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं	1.10.3	35
ऋण धारणीयता	1.11	36
ऋण स्थिरीकरण	1.11.1	37
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.11.2	37
निधियों की निवल उपलब्धता	1.11.3	37
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा	1.11.4	38
राजकोषीय असन्तुलन	1.12	39
घाटे की प्रवृत्ति	1.12.1	39
राजकोषीय घाटे के घटक तथा उसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप	1.12.2	41
घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता	1.12.3	41
निष्कर्ष	1.13	42
अनुशंसाएं	1.14	44
दूसरा अध्याय		
वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	47
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	47
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन	2.3	49
आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग	2.3.1	49
सतत् बचतें	2.3.2	51

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय	2.3.3	52
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	52
पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता हैं	2.3.5	53
2010-11 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.6	54
अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.7	55
निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण	2.3.8	55
पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां	2.3.9	55
सारभूत समर्पण	2.3.10	56
अवास्तविक और अविवेकपूर्ण समर्पण	2.3.11	56
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.12	57
व्यय की अत्यधिकता	2.3.13	57
अनुदान के लिए मांग में बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.3.14	58
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	59
बजट तथा बजटीय नियंत्रण की दोषपूर्ण तैयारी	2.4.1	59
सिविल जमा के अंतर्गत निधियों का संचयन	2.4.2	60
मार्च में व्यय की अत्यधिकता	2.4.3	60
निष्कर्ष	2.5	61
अनुशंसाएं	2.6	61
तीसरा अध्याय		
वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलंब	3.1	63
स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.2	63
दुर्विनियोग, हानियां, गबन आदि	3.3	64
विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की	3.4	65


विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्रस्तुति में विलंब, विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना तथा अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना		
संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4.1	65
प्राप्ति एवं व्यय का मिलान	3.4.2	66
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना	3.4.3	67
लेखाओं के संप्रेषण में विलम्ब	3.4.4	68
वैयक्तिक जमा लेखे	3.5	68
निष्कर्ष	3.6	71
अनुशंसाएं	3.7	72

परिशिष्ट

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	73
1.2 भाग क	शासकीय लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप	74
1.2 भाग ख	वित्त लेखे की रूपरेखा	74
1.2 भाग-ग	पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2011 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	77
1.3 भाग - क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	78
1.3 भाग - ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	80
1.3 भाग - ग	चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति	81
1.4	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े	82
1.5 भाग - क	वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश	85
1.5 भाग - ख	31 मार्च 2011 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	89
1.6	कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के अन्तर्गत संग्रहण और उनके संग्रहण पर किये गये व्यय का विवरण	91
1.7	कर भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के कार्यचालन तथा संधारण प्रभारों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण	92
1.8	2010-11 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ₹ 25 लाख या इससे अधिक की सीधे अशासकीय संगठनों अथवा स्वैच्छिक संगठनों को अन्तरित निधियां	93
1.9	अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, हेतु 31 मार्च 2011 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति	95
2.1	विभिन्न अनुदान/विनियोग जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक	96

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	थी, का विवरण पत्र	
2.2 (क)	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र	98
2.2 (ख)	प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ पाँच करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा	101
2.3	पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	106
2.4	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	108
2.5	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए	110
2.6	विभिन्न अनुदान/विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र	113
2.7	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण	114
2.8	पुनर्विनियोजनों/समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां	117
2.9	वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम	118
2.10	वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक)	125
2.11	विभिन्न अनुदान/विनियोगों का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया है	126
2.12	₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों का विवरण (परिशिष्ट 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)	128
2.13	31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण	130
2.14	व्यय की अधिकता	132
2.15	केंद्रीय योजनाओं से संबंधित राशि का 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरण दिखाने वाला विवरण पत्रक	136
2.16 (अ)	पूँजीगत अनुभाग से संबंधित शीर्ष 63-मशीनें एवं 64-वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रावधान का राजस्व	139


सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	अनुभाग में वर्गीकरण	
2.16 (ब)	राजस्व अनुभाग से संबंधित शीर्ष 42-अनुदान के अंतर्गत प्रावधान का पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकरण	140
2.17	चयनित अनुदानों के अधीन योजना जिनमें सारभूत बचतें दो करोड़ से अधिक और प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी	141
2.18	चयनित अनुदानों के अधीन योजनाएँ जिनमें ₹ एक करोड़ या इससे अधिक के सारभूत आधिक्य हुए	142
2.19 (अ)	वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	143
2.19 (ब)	वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए	143
2.19 (स)	वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	143
2.20	चयनित अनुदानों की समीक्षा में पाये गये मार्च 2011 में व्यय की अत्यधिकता के प्रकरण	144
3.1	स्वायत्तशासी निकायों के लेखों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण-पत्रक	146
3.2	दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण	150
3.3	2010-11 के लिए अपलेखनों के प्रकरणों के विभागवार विवरण	153
3.4	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि से सरकार को हुई हानि के विषय में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण	154
3.5	2010-11 तक के वर्षों के लंबित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक	156



प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे के परीक्षण से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं।
3. वित्तीय प्रतिवेदन पर तीसरा अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों के राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति और विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

कार्यपालन सारांश



पृष्ठभूमि

जनवरी 2006 में मध्यप्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम बनाया। इसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था के लिये सुदृढ़ वृद्धि स्थिरता के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ मध्यकालिक लक्ष्य ने राजकोषीय संशुद्धि पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्यसूची निर्दिष्ट की गई है। इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये सरकार की वचनबद्धता उसके अनुवर्ती बजटों में घोषित नीतिगत पहल में प्रतिबिम्बित होती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन विधान का लाभ सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत परिसीमन सीमा के भीतर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात बनाए रखने की दृष्टि से स्पष्ट अनुभव में आते हैं।

यद्यपि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य वित्त पर टिप्पणी की गयी है, यह टिप्पणियाँ, सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग होती थी और अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर बहुत अधिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ छुपी रहती थी। राज्य की वित्त व्यवस्था को केन्द्रस्थ में लाने की आवश्यकता को मान्यता देने के लिए, राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था पर एक पृथक प्रतिवेदन उचित समझा गया। तदनुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2008-09 के प्रतिवेदन से आगे के लिये "राज्य वित्त पर प्रतिवेदन" शीर्षक से एक पृथक प्रतिवेदन लाने का निर्णय लिया।

प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु मध्यप्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर एक विश्लेषणात्मक समीक्षा दी गई है। लेखापरीक्षित प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्ष, वैयक्तिक जमा खाताओं, राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा एवं राजस्व के बकाया से संबंधित पूर्ण जानकारी के अभाव में सीमित हैं जिन पर संबंधित कण्डिकाओं में चर्चा की गयी है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

पहला अध्याय वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और इसमें 31 मार्च 2011 को मध्यप्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटोत्तर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तर्गत केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त प्रतिबद्ध व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति की पूरी जानकारी देता है।

दूसरा अध्याय -विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों के अनुदान अनुसार विवरण तथा सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबन्धन का ढंग प्रस्तुत करता है।

तीसरा अध्याय- इसमें विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्यप्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबन्धन तथा संसाधनों की गतिशीलता

- राज्य ने 2006-11 के दौरान राजस्व अधिशेष को लगातार बनाए रखा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन और 13वें वित्त आयोग की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के नीचे बनाए रखा। प्रमुख राजकोषीय प्राचालों (पैरामीटर्स) - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/अधिशेष की दृष्टि से राज्य की राजकोषीय स्थिति पर दृष्टिपात करने से 2010-11 में एक सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत मिला क्योंकि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व अधिशेष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में तथा प्राथमिक घाटे में कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व अधिशेष में 2009-10 में 2.42 प्रतिशत से 2010-11 में 2.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि 0.79 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2009-10 में 2.73 प्रतिशत से चालू वर्ष में 1.94 प्रतिशत तक की कमी आई, इस प्रकार बजट अनुमान में तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 दोनों में ही निर्धारित चार प्रतिशत की उच्चतम सीमा में ही रही तथा 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर भी थी।
- मध्य प्रदेश में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर पिछले दशक के दौरान सामान्य वर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी।

राजस्व के बकाया

- सात विभागों से संबंधित, 31 मार्च 2011 को राजस्व बकायों (तालिका 1.7) की राशि ₹ 877 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 685 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। इसमें वाहनों पर कर संबंधी राजस्व के बकाया को छोड़ दिया गया था क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा इसकी जानकारी नहीं भेजी गयी थी (सितम्बर 2011)।

देयताओं का प्रबन्धन

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इनमें 2014-15 के अंत तक 25 प्रतिशत तक की कमी लाना है। परिणामतः 13वें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देयताओं की वृद्धि में रोकथाम के लिए विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- ऋण पुनर्भुगतानों में 2012-14 के दौरान नौ प्रतिशत से लेकर 2018-20 के दौरान 22 प्रतिशत तक की अनवरत वृद्धि होगी। ऋण मुक्ति के लिए निक्षेप निधि के अभाव में तथा ऋण की 15 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा की अनुपलब्धता के कारण ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची पर स्पष्टता बनाए रखना विवेचना का विषय है।

निधियों की निवल उपलब्धता

चालू वर्ष के दौरान, आन्तरिक ऋण, भारत सरकार के ऋण एवं अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज, नये ऋण प्राप्तियों का 87 प्रतिशत था जिससे परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए बहुत ही कम निधियाँ उपलब्ध थी।

निवेश पर प्रतिलाभ

मार्च 2011 के अंत तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों आदि में किए गए ₹ 12,216 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ केवल 0.26 प्रतिशत था जो कि चालू वर्ष के दौरान 7.04 प्रतिशत की ब्याज दर पर इसकी औसत उधारियों के विरुद्ध था।

व्यय प्रबन्धन तथा राजकोषीय प्राथमिकता

- राज्य के व्यय प्रतिरूप (पैटर्न) से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2010-11 के दौरान कुल व्यय के 78 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात का अंशदान जारी रहा, जिसके कारण सेवाओं के विस्तार तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये कम संसाधन बचे। इतना ही नहीं, ₹ 45,012 करोड़ के राजस्व व्यय के भीतर, 2010-11 में ₹ 32,101 करोड़ के आयोजनेतर राजस्व व्यय, 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष के लिए सामान्य रूप से निर्धारित स्तर (₹ 25,074 करोड़) की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर रहे। इसके

अतिरिक्त, वेतन एवं मजदूरी व्यय, पेन्शन भुगतानों, ब्याज भुगतानों और राज सहायता ने वर्ष के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय के लगभग 74 प्रतिशत में अपना योगदान दिया।

- मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दी गयी प्राथमिकता, तथापि, 2007-08 और 2010-11 दोनों वर्षों के दौरान पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कुल व्यय से उनके अनुपात सामान्य वर्ग के राज्यों के अनुपात की तुलना में कमतर थे। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में चालू वर्ष के दौरान में गिरावट रही। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को सरकार द्वारा वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।
- पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन और मजदूरियों तथा संचालन और संधारण पर राजस्व व्यय में गिरावट आयी जो सेवाओं की गुणवत्ता में अवनति को इंगित करता है।

राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे अन्तरित निधियों की अनदेखी

केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये 2010-11 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों¹ को ₹ 9,002.13 करोड़ अंतरित किए। संघ से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण में इस अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में अकिंचन चूक हो जाने का जोखिम होता है। जब तक इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण प्रणाली को तत्परतापूर्वक अनुसरण नहीं किया जाता तथा उचित प्रलेखन एवं व्यय की समय पर सूचना का कार्य नहीं किया जाता, तब तक इन सीधे अंतरणों के अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण करना कठिन होगा।

वित्त प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण :

2010-11 के दौरान ₹ 73,437 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 61,228 करोड़ का व्यय किया गया था जिससे ₹ 12,209 करोड़ की कुल बचत हुई। मुख्य बचतें वित्त, आवास एवं पर्यावरण, लघु सिंचाई, उच्च शिक्षा, विधि और विधायी कार्य विभागों इत्यादि

¹ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसे संगठन/संस्थायें/गैर शासकीय संस्थायें शामिल हैं जो निर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे राज्य कार्यान्वयन संस्थाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान, राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि।

से संबंधित थी। पाँच अनुदानों/विनियोगों में, विगत पाँच वर्षों के दौरान सतत बचतें देखीं गयीं। निधियों के अनावश्यक, अपर्याप्त या आधिक्यपूर्ण प्रावधान एवं अनावश्यक अथवा आधिक्यपूर्ण पुनर्विनियोग के प्रकरण थे। अनेक प्रकरणों में प्रत्याशित बचत या तो समर्पित नहीं की गई अथवा वर्ष के अन्तिम दिन समर्पित की गई जिसके कारण अन्य विकासीय कार्यों के लिये इन निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं बची। ₹ 1,058 करोड़ की एक राशि लोक लेखे में सिविल जमा में अन्तर्भूत की गई थी और ₹ 3,648 करोड़ वित्तीय वर्ष में अंतिम दिवस पर समर्पित किए गए थे। वित्तीय प्रबंधन में ऐसी कमियों के परिहार के लिए बजट नियन्त्रण प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

2010-11 के दौरान किए गए ₹ 12.62 करोड़ और 1993-94 से 2009-10 तक की अवधि से संबंधित ₹ 4,815.41 करोड़ के आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन आवश्यक थी।

वित्तीय प्रतिवेदन: राज्य सरकार के विभिन्न नियमों प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन का विभिन्न सरकारी विभागों में अभाव था। ₹ 16,286.97 करोड़ की कुल राशि के अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों से प्रतिक्षित थे। 47 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में 12 से 24 महीनों और उससे अधिक का विलम्ब हुआ था जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही दुष्प्रभावित होती है। ₹ 46.21 करोड़ की राशि की हानियों, दुविनियोजनों इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन में सरकार के अनुपालन में कमी थी। 1996 से 2011 तक की अवधि के लिए संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विरुद्ध ₹ 21.43 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रतिक्षित थे। मध्य प्रदेश कोष संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹ 2,063 करोड़ 812 वैयक्तिक जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे। दस विभागों के नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में ₹ 808 करोड़ के व्यय का लेखा-मिलान न होना और ₹ 52,257 करोड़ की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियों के 66 प्रतिशत का लेखा-मिलान न होना भी ध्यान में आया। इन समस्त कमियों ने विभागों में आन्तरिक नियंत्रण के अभाव और सरकार द्वारा निष्प्रभावी शासन को प्रतिबिंबित किया है।

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था


मध्य प्रदेश
जिला नक्शा

राजस्थान

उत्तर प्रदेश



गुजरात



छत्तीसगढ़

महाराष्ट्र

सीमांकन	
--	राज्य सीमा
—	जिला सीमा
⊙	राज्य मुख्यालय
⊙	जिला मुख्यालय

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

मध्य प्रदेश की रूपरेखा

मध्य प्रदेश कृषि भूमि प्रधान राज्य है तथा देश के खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से भी एक है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अनुसार, 1 नवंबर 2000 को भूतपूर्व मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों¹ से छत्तीसगढ़ के नवीन राज्य का सृजन हुआ। जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में निर्दिष्ट किया गया है, विगत दस वर्षों में, मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय औसत की तुलना में निर्धनता का स्तर उच्चतर है। राज्य में पिछले दशक में निम्नतर आर्थिक विकास दृष्टिगत हुआ क्योंकि सामान्य श्रेणी राज्यों में 14.68 प्रतिशत तक की तुलना में इसकी 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयुक्त वार्षिक विकास दर 13.51 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान, अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों में 17.56 प्रतिशत के विरुद्ध इसकी जनसंख्या में 20.30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिनी कोएफिशन्ट² से प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में आय वितरण की असमानता अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी परन्तु नगरीय क्षेत्रों के मामलों में अधिक थी। चालू दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निम्नतर रही है।

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की वित्त-व्यवस्था का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विगत वर्ष से संबंधित मुख्य राजकोषीय संपूर्ण योगों में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास परिशिष्ट-1.2-भाग-क एवं ख में चित्रित किया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानदण्डों/उच्चतम सीमाओं और चयन संकेतकों की प्रवृत्ति को परिशिष्ट-1.3 भाग-क, ख एवं ग में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन के साथ-साथ अन्य वित्तीय समायोजनों को अधिनियम³ के

¹ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जाजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगाँव एवं सरगुजा।

² यह आय वितरण की असमानता का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता का तथा एक पूर्ण असमानता का द्योतक है।

³ उपरोक्तानुसार

प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति परिशिष्ट-1.2 भाग-ग में दर्शाई गई है।

1.2 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका-1.1 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। जबकि परिशिष्ट-1.5 भाग-क प्राप्तियों और संवितरणों के ब्यौरे के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियां	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
अनुभाग-क राजस्व							
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
41,394.70	राजस्व प्राप्तियां	51,854.18	35,896.90	राजस्व व्यय	32,100.87	12,910.72	45,011.59
17,272.81	कर राजस्व	21,419.34	12,013.78	सामान्य सेवाएं	14,533.98	112.70	14,646.68
6,382.04	कर भिन्न राजस्व	5,719.77	12,961.85	सामाजिक सेवाएं	9,488.38	7,857.02	17,345.40
11,076.98	संघ करों/शुल्कों का अंश	15,638.51	8,371.37	आर्थिक सेवाएं	5,689.89	4,394.59	10,084.48
6,662.87	भारत सरकार से अनुदान	9,076.56	2,549.90	सहायतानुदान तथा अंशदान	2,388.62	546.41	2,935.03
अनुभाग-ख पूंजीगत							
21.69	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	366.54	7,924.87	पूंजीगत परिव्यय	142.81	8,657.07	8,799.88
23.37	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	33.65	3,816.88	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	2,755.41	959.32	3,714.73
2.76	अन्तर्राज्यीय निराकरण	1.64	2.78	अन्तर्राज्यीय निराकरण			1.85
8,602.51	लोक ऋण प्राप्तियां*	7,457.94	2,394.05	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान *			2,529.23
--	आकस्मिक व्यय निधि	--	--	आकस्मिक व्यय निधि			--
52,353.12	लोक लेखा प्राप्तियां	65,675.10	50,871.84	लोक लेखा संवितरण			62,344.26
2,422.10	प्रारम्भिक नकद शेष	3,912.93	3,912.93	अन्तिम नकद शेष			6,900.44
1,04,820.25	योग	1,29,301.98	1,04,820.25	योग			1,29,301.98

* अर्थापय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देनों को छोड़कर।
(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

- राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि, मुख्य रूप से संघ करों तथा शुल्क के राज्य के अंश (शेयर) में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि, भारत सरकार से अनुदान में 36 प्रतिशत तक तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 24 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में 2009-10 में ₹ 5,498 करोड़ से 2010-11 में ₹ 6,842 करोड़ तक की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में 25 प्रतिशत (आयोजनेत्तर: 23 प्रतिशत तथा आयोजना: 31 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई एवं पूंजीगत व्यय में 11 प्रतिशत (आयोजनेत्तर में 134 प्रतिशत तक तथा आयोजना में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई) तक की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 2010-11 में 13 प्रतिशत तक की कमी आई और लोक ऋण पुनर्भुगतान में छह प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। लोक

ऋण प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से उधारियों में कमी (आंतरिक ऋण: ₹ 895 करोड़ एवं भारत सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम: ₹ 250 करोड़) के कारण थी।

- विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 13,322 करोड़ एवं ₹ 11,472 करोड़ तक की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,850 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- उपरि उल्लिखित निधियों के अन्तर्वाह/बहिर्वाह के परिणामस्वरूप राज्य के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के अंत तक ₹ 2,988 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

1.3 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबन्धन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था। 13वें वित्त आयोग का गठन 13 नवंबर 2007 को अनुशंसाएं करने के लिए किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाने एवं राज्य ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के प्रचालन की समीक्षा करने एवं साम्ययुक्त संवृद्धि सहित स्थिर एवं धारणीय राजकोषीय वातावरण संधारित करने के लिए उपाय सुझाने की आवश्यकता थी। 13वें वित्त आयोग ने दिसंबर 2009 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

राज्य के राजकोषीय निष्पादन की तुलना में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन लक्ष्यों एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण जो 2010-11 के वर्ष के लिए निर्मित किए गए थे, नीचे तालिका-1.2 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका - 1.2 : राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन एवं मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्य	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	2008-09 में समाप्त हो जाने वाला	(+) 1,581	(+) 6,842
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	2008-09 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत से अधिक न हो तक कम करना (₹10,867 करोड़)	(-) 8,003 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत)	(-) 5,272 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.94 प्रतिशत)
कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित)	31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.78 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.67 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न होना	** पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 12.35 प्रतिशत*

* वित्त लेखे में उपलब्ध जानकारी की सीमा तक।

** 2010-11 के लिये बकाया गारंटियों के बजट अनुमान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(स्रोत: 2010-11 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


राज्य सरकार ने निर्धारित अवधि से छह वर्ष आगे तक का राजस्व अधिशेष उपार्जित कर लिया था। उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्यों में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत की संशोधित सीमा के भीतर था तथा 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के भीतर और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों के चार प्रतिशत से कम था। 29.67 प्रतिशत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित) 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किये जाने वाले राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन लक्ष्यों के भीतर थी तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में प्रक्षेपित 39 प्रतिशत से भी महत्वपूर्ण रूप से कम थी। वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की केवल 12.35 प्रतिशत थी।

वास्तविक कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 13वें वित्त आयोग एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण दोनों के निर्धारित स्तरों की तुलना में अधिक था (तालिका-1.6 एवं 1.8)।

1.4 बजट 2010-11

वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान

चार्ट-1.1 कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: 2010-11 के राज्य वित्त लेखे और बजट अनुमान)


प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व अधिशेष, राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटे ने बजट अनुमानों के संदर्भ में सुधार दर्शाया। ब्याज भुगतान पूर्ण रूप से बजट अनुमान की सीमा में थे, जबकि राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कर भिन्न राजस्व बजट अनुमान से अधिक थे। कर राजस्व, मुख्य रूप से विक्रय, व्यवसाय इत्यादि पर करों (₹ 937 करोड़), स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (₹ 614 करोड़) एवं विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 331 करोड़) के अधीन अधिक प्राप्तियों के कारण बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से वृहद सिंचाई (₹ 329 करोड़) एवं मध्यम सिंचाई (₹ 189 करोड़) के अधीन अधिक व्यय के कारण बजट अनुमान से अधिक हुआ था, जिसे लघु सिंचाई (₹ 228 करोड़) एवं विद्युत परियोजनाओं (₹ 33 करोड़) के अधीन कम व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

1.5 राज्य के संसाधन

1.5.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन⁴


तालिका-1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य के अपने वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि चार्ट-1.2 वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है।

⁴ राजस्व तथा पूंजी प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से बाजार ऋण तथा उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से उपार्जन सम्मिलित हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

चार्ट-1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की रचना प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2010-11 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 41, छह एवं 53 प्रतिशत समाविष्ट है। 2006-11 के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जिसमें से राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में 102 प्रतिशत तथा 69 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश 2006-07 से 2010-11 तक 41 प्रतिशत था सिवाय 2008-09 के जो कि 39 प्रतिशत था, कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंश में 2006-07 में 7.4 प्रतिशत से 2010-11 में छह प्रतिशत तक की कमी आई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में 2009-10 में ₹ 8,603 करोड़ (8.40 प्रतिशत) से 2010-11 में ₹ 7,458 करोड़ (5.95 प्रतिशत) तक की कमी आई जिसका कारण 2010-11 में कमतर उधारियाँ थी।

- यद्यपि 2006-11 की अवधि के दौरान लोक लेखे के अधीन प्राप्तियों में, 20.76 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर, वृद्धि हुई, राज्य की कुल प्राप्तियों में उनका अंश अन्तर-वर्ष विभिन्नताओं सहित 2006-07 में 51 प्रतिशत से 2010-11 के दौरान 52 प्रतिशत के मध्य था।

1.5.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर निधियों का अन्तरण

केन्द्र सरकार ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये, 2009-10 के दौरान ₹ 8,153.52 करोड़ के अन्तरण के विरुद्ध 2010-11 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों⁵ को ₹ 9,002.13 करोड़ अन्तरित किए। 2010-11 के दौरान निधियों के अन्तरणों में 10.41 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

चूंकि इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से अन्तरित नहीं किया गया था इसलिये वार्षिक वित्त लेखे इन निधियों के प्रवाह को अभिग्रहण नहीं कर पाये तथा उस सीमा तक, राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ-साथ उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्ती/पैरामीटरों को कम करके बताया गया। मुख्य केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के विषय में ब्यौरे तालिका-1.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-1.3: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां
(राज्य बजट के बाहर से प्रदत्त निधियां)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	कार्यक्रम/योजना का नाम	2010-11 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	2,565.77
2.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	1,674.49
3.	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,767.83
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, भोपाल	528.62
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	एस.डब्ल्यू.एस.एम. मध्य प्रदेश, भोपाल	199.52
		लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल	188.80
6.	ग्रामीण आवास-आई.ए.वाई. (75:25)	डी.आर.डी.ए. (सभी जिले)	254.43
		खरगोन-पी.ओ.एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र.	12.72
7.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (75:25)	डी.आर.डी.ए. (सभी जिले)	127.75
		मध्य प्रदेश राज्य रेशम उद्योग विकास एवं व्यापार निगम लिमिटेड	1.58
		मध्य प्रदेश राज्य आजीविका स्थल	1.87
		सुशासन एवं नीति विश्लेषण विद्यालय	2.81
		खरगोन-पी.ओ.एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र.	3.21

⁵ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसे संगठन/संस्थायें/गैर शासकीय संस्थायें शामिल हैं जो निर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे राज्य कार्यान्वयन संस्थाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान, राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि।

स. क्र.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	कार्यक्रम/योजना का नाम	2010-11 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
8.	एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए. (सभी जिले)	48.52
		एस.एल.एन.ए. म.प्र.	113.25
		खरगोन-पी.ओ.एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र.	1.36
9.	केन्द्रीय ग्रामीण सफाई योजना	एस.डब्ल्यू.एस.एम. मध्य प्रदेश, भोपाल	144.03
10.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	म.प्र.माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	196.19
11.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:0)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	160.73


(स्रोत : सी.पी.एस.एम. सेल, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश तथा वर्ष 2010-11 के राज्य वित्त लेखे)

₹ 9,002.13 करोड़ में से, ₹ 43.21 करोड़ स्वैच्छिक संगठनों/अशासकीय संगठनों (581 अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों) को दिए गए। इनमें से, 22 अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों ने वर्ष के दौरान ₹ 25 लाख अथवा उससे अधिक की राशि प्राप्त की जिसमें प्रत्येक का योग ₹ 11.63 करोड़ का दर्शाया गया है (परिशिष्ट 1.8)।


संघ से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण में इस अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में अकिंचन चूक हो जाने का जोखिम होता है। जब तक इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण प्रणाली को तत्परतापूर्वक अनुसरण नहीं किया जाता तथा उचित प्रलेखन एवं व्यय की समय पर रिपोर्ट का कार्य नहीं हो जाता, तब तक इन सीधे अंतरणों के समाप्त हो जाने तक के उपयोग का अनुवीक्षण करना कठिन होगा।

1.6 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिये गये हैं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर तथा कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से केन्द्रीय कर अन्तरण एवं सहायता अनुदान समाविष्ट है। 2006-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं रचना परिशिष्ट-1.4 में प्रस्तुत की गयी है और क्रमशः चार्ट-1.4 एवं 1.5 में भी चित्रित की गयी हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2006-07 में ₹ 25,694 करोड़ से 2010-11 में ₹ 51,854 करोड़ तक 20 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर पर सुसंगत वृद्धि हुई। जबकि 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया था जिसमें कर राजस्व (41 प्रतिशत) एवं कर भिन्न राजस्व (11 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 48 प्रतिशत केन्द्रीय कर अन्तरण एवं सहायता अनुदान दोनों का संयुक्त अंशदान था।
- राज्य के स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व के सापेक्ष अंशदान में 2006-08 एवं 2009-11 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति एवं 2007-10 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया, जबकि केन्द्रीय कर अन्तरणों तथा सहायता अनुदानों में 2006-08 एवं 2009-11 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति एवं 2007-10 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई थी।
- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2010-11 के दौरान ₹ 10,459 करोड़ की कुल वृद्धि में से, ₹ 6,975 करोड़ (67 प्रतिशत), केन्द्रीय अन्तरणों का योगदान तथा शेष ₹ 3,484 करोड़ (33 प्रतिशत) राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका-1.4 में नीचे प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियाँ	25,694	30,689	33,577	41,395	51,854
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.75	19.44	9.41	23.28	25.27
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.77	19.00	17.08	18.23	19.09
उत्प्लावकता अनुपात ⁶					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.51	1.66	0.43	1.50	1.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.91	1.26	0.61	1.73	1.22

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2006-07 में 17.77 प्रतिशत से 2010-11 में 19.09 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई थी सिवाय 2008-09 को छोड़कर जब इसमें 17.08 प्रतिशत तक की गिरावट आई जिसने संसाधनों तक राज्य की अभिगम्यता एवं पर्याप्तता को इंगित किया।

राजस्व तथा राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के करों में कम वृद्धि का होना था।

1.6.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण, आयोजनागत योजनाओं इत्यादि के लिए केन्द्रीय सहायता के आधार पर निश्चित किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के कर एवं कर भिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को समाविष्ट करते हुए उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान मुख्य करों एवं शुल्कों के सकल संग्रहण के साथ-साथ कर भिन्न प्राप्तियों के अवयवों की तुलना में बजट अनुमानों, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय एवं सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय का प्रतिशत और साथ ही संबंधित अखिल भारतीय औसत परिशिष्ट-1.6 में प्रस्तुत किए गये हैं।

2010-11 के दौरान, सकल संग्रहण, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस एवं अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों के संबंध में बजट अनुमान की अपेक्षा अधिक

⁶ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

था एवं वानिकी और वन्य जीवन के संबंध में लघु शीर्ष-राज्य में इमारती लकड़ी (टिम्बर) का व्यापार के अंतर्गत बजट अनुमान की अपेक्षा कम था।

कर राजस्व

- 2010-11 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विक्रय, व्यापार इत्यादि पर करों की प्रमुख हिस्सेदारी (48 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य आबकारी (17 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (12 प्रतिशत), माल एवं यात्रियों पर कर (आठ प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (छह प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर करों में 33 प्रतिशत, राज्य आबकारी में 22 प्रतिशत, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में 41 प्रतिशत, वाहनों पर कर में 30 प्रतिशत एवं भू-राजस्व पर 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विद्युत पर कर एवं शुल्क में 31 प्रतिशत की कमी हुई।
- विक्रय, व्यापार इत्यादि पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 2,533 करोड़) का कारण राज्य विक्रय कर अधिनियम - समस्त क्रय-विक्रय पर कर (टर्नओवर टैक्स) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का होना था। राज्य आबकारी प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्प्रिट के विक्रय की प्राप्तियों के अंतर्गत वृद्धि (₹ 797 करोड़) के कारण हुई। मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से पंजीयन दस्तावेजों के लिए शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 1,060 करोड़) के कारण थी। वाहनों पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि, राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम-आजीवन कर एवं सवारी वाहनों पर कर के अंतर्गत ₹ 324 करोड़ की प्राप्तियों में हुई वृद्धि के कारण थी। भू-राजस्व के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से भू-राजस्व कर की प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 165 करोड़) के कारण थी। माल एवं सवारियों पर करों के अंतर्गत ₹ 413 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर के अंतर्गत प्राप्तियों (₹ 265 करोड़) में वृद्धि के कारण थी। विद्युत पर कर एवं शुल्क के अंतर्गत कमी (₹ 670 करोड़) विद्युत के उपभोग एवं विक्रय पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी (₹ 538 करोड़) के कारण थी।

निम्न तालिका-1.5, 2006-11 के दौरान राज्य के कर राजस्व के संघटन की प्रवृत्तियों को दर्शाती है :

तालिका संख्या 1.5 : कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	5,261	6,045	6,843	7,724	10,257
राज्य आबकारी	1,547	1,854	2,302	2,952	3,603
स्टाम्प तथा पंजीयन फीस	1,251	1,532	1,479	1,783	2,514
वाहनों पर कर	634	703	773	919	1,198
भू-राजस्व	132	129	339	180	361

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
माल तथा यात्रियों पर कर	745	916	1,333	1,333	1,746
अन्य कर	903	839	545	2,382	1,740*
योग	10,473	12,018	13,614	17,273	21,419

* अन्य करों में विद्युत पर कर तथा शुल्क (₹ 1,476 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 218 करोड़), वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 30 करोड़) तथा होटल प्राप्तियों पर कर (₹ 16 करोड़) सम्मिलित है।
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कर भिन्न राजस्व

- कर भिन्न राजस्व में, 2009-10 में ₹ 6,382 करोड़ से 2010-11 में ₹ 5,720 करोड़ तक ₹ 662 करोड़ की कमी आई, जिसके मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियों (₹ 985 करोड़), विद्युत (₹ 685 करोड़) एवं विविध सामान्य सेवाएं (₹ 256 करोड़) के अंतर्गत कमी थी, जो कि अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 531 करोड़) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 449 करोड़) के वृद्धि के द्वारा आंशिक रूप में प्रतिसंतुलित थी।
- 2010-11 के दौरान कर भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से योगदान करने वालों में थे, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (37 प्रतिशत), विद्युत (सात प्रतिशत), वानिकी एवं वन्यजीवन (15 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (21 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ (छह प्रतिशत) तथा विविध सामान्य सेवाएं (सात प्रतिशत)।
- यह पाया गया कि 2001-10 के दौरान, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर मध्य प्रदेश के मामले में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी (परिशिष्ट-1.1)।

राज्य के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 2010-11 के दौरान 13वें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारणों को नीचे तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: कर एवं कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	13वें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण	मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपण	वास्तविक
कर राजस्व	17,757	18,670	21,419
कर भिन्न राजस्व	4,672	4,322	5,720

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे एवं 2010-11 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा में प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2010-15)

कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूली 13वें वित्त आयोग (20.62 एवं 22.43 प्रतिशत) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रक्षेपण (14.72 एवं 32.35 प्रतिशत) द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में उच्चतर थी। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के संदर्भ में कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि, खनन एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति विभागों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

प्रचालन और संधारण व्ययों की वसूली लागत

प्रचालन और संधारण व्ययों (कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रचालन और संधारण से अनुपात) की वसूली लागत के वर्तमान स्तर, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए 2.27; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 0.65; जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास के लिये 0.06; कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिये 94.90; परिवहन के लिये 0.02; सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिये 7.22 तथा विद्युत के लिये 36.38 थे। इससे यह प्रकट हुआ कि इन क्षेत्रों में कर भिन्न राजस्व की तुलना में जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्रों पर प्रचालन और संधारण व्यय अधिक था। कर भिन्न राजस्व में प्रमुख संघटकों के विषय में किये गये प्रचालन और संधारण प्रभारों की लागत परिशिष्ट-1.7 में दी गयी है। राज्य सरकार को कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना चाहिये और जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्रों में प्रचालन और संधारण व्ययों को कम करना चाहिये।

1.6.2 करापवंचन, अपलेखन/अधित्याग के कारण राजस्व की हानि

वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 398 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2010-11 के दौरान संचालित नमूना जांच से 4,36,826 प्रकरणों में कुल ₹ 1,879.11 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उगाही/राजस्व की हानि प्रकट हुई। वर्ष के दौरान, 4,15,652 प्रकरणों में जो कि लेखापरीक्षा में 2010-11 के दौरान इंगित किए गए थे, विभागों ने ₹ 993.70 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने 2010-11 के दौरान 31,204 प्रकरणों में ₹ 70.50 करोड़ संग्रह किए।

विक्रय कर, राज्य आबकारी और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क विभागों द्वारा यथासूचित किए गए अनुसार मार्च 2011 के अंत तक करापवंचन के 9020 प्रकरण (₹ 281.67 करोड़) और 2423 वापसी प्रकरण (₹ 14.12 करोड़) लंबित थे।

2010-11 के वर्ष के अंत तक अन्य विभागों से संबंधित करापवंचन की स्थिति और लंबित वापसी प्रकरणों की संख्या सरकार द्वारा सूचित नहीं की गयी थी (सितंबर 2011)।

1.6.3 राजस्व बकाया

2010-11 के दौरान राजस्व के बकायाओं का विभागवार स्थिति तालिका-1.7 में दी गई है।

तालिका-1.7 : 2010-11 के दौरान राजस्व के बकायाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	राजस्व का बकाया	पाँच वर्षों से अधिक से राजस्व का बकाया
1.	राज्य आबकारी	66.03	56.96
2.	विद्युत	70.67	15.12
3.	खनन	12.38	12.38
4.	सहकारिता	127.30	119.33
5.	मनोरंजन कर	0.80	0.58
6.	वाणिज्यिक कर	529.80	450.00
7.	मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क	69.88	31.01
	योग	876.86	685.38

(स्रोत : महालेखाकार (निर्माण तथा प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)


31 मार्च 2011 को सात विभागों से संबंधित ₹ 877 करोड़ की राशि राजस्व के बकाया के रूप में थी, जिसमें से ₹ 685 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। इसमें वाहनों पर कर से संबंधित राजस्व के बकाया को छोड़ दिया गया था क्योंकि तत्संबंधित विभाग द्वारा उसकी जानकारी प्रेषित नहीं की गयी थी (सितंबर 2011)। जिन स्तरों पर बकाया कर संग्रह लंबित था उसकी जानकारी भी विभागों द्वारा प्रेषित नहीं की गयी थी (सितंबर 2011)।

1.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन के विश्लेषण का राज्य सरकार के स्तर पर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रमुख व्यय उत्तरदायित्व उसको सौंपे गये है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। इसलिये यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चलने वाले राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया व्यय की कीमत पर नहीं है, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित व्यय/राजकोषीय संकेतकों (समयबद्ध आंकड़े) की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट-1.4 में दी गई हैं।

1.7.1 व्यय की वृद्धि तथा रचना

चार्ट-1.6 पाँच वर्षों की अवधि (2006-11) में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। चार्ट-1.7 एवं 1.8 में क्रमशः इसके संघटन का चित्रण 'आर्थिक वर्गीकरण' और 'क्रियाकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भों में किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-11 के दौरान, राज्य के कुल व्यय में 20.39 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से ₹ 28,487 करोड़ से ₹ 57,529 करोड़ की वृद्धि हुई। 2006-11 अवधि के दौरान, पूंजीगत और राजस्व व्यय संघटकों में क्रमशः ₹ 3,630 करोड़ (70 प्रतिशत) और ₹ 22,649 करोड़ तक (101 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि पूंजीगत और राजस्व व्यय में वृद्धि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 1:6 के अनुपात में थी।

कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में 2006-07 में 79 प्रतिशत से 2010-11 में 78 प्रतिशत तक की कमी अन्तरा वर्षीय उतार-चढ़ाव सहित आई तथा राज्य सरकार के कुल व्यय के प्रमुख भाग में अंशदान जारी रखा। कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय में 2006-07 में 18 प्रतिशत से 2010-11 में अन्तरा वर्षीय उतार चढ़ाव सहित 15 प्रतिशत तक तदनुसारी कमी आई। आयोजना और आयोजनेत्तर के संदर्भ में


विगत वर्ष से आयोजना व्यय में ₹ 4,778 करोड़ तक की और आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 5,109 करोड़ तक की वृद्धि पंजीबद्ध की गई।

2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल व्यय में ₹ 9,887 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि (21 प्रतिशत) मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 9,115 करोड़ (25 प्रतिशत) और पूँजीगत व्यय में ₹ 875 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जिसे अंतर-राज्य परिशोधन सहित ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 103 करोड़ की कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से मुख्य सिचाई (₹ 629 करोड़), मध्यम सिचाई (₹ 273 करोड़), लघु सिचाई (₹ 291 करोड़) और जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (₹ 80 करोड़) पर पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण थी, जिसे ऊर्जा (₹ 1,567 करोड़) की कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।


2006-11 के दौरान राजकोषिय देयताओं/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात की घटती हुई प्रवृत्ति से कुल व्यय के वित्तपोषण से राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ता हुआ विश्वास और उधार ली गई निधियों पर घटती हुई निर्भरता प्रकट हुई।

2010-11 में, कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 90 प्रतिशत पर टिकी रहीं जिसका तात्पर्य था कि कुल व्यय का 90 प्रतिशत व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया जा सकता था।

2006-11 की अवधि के दौरान, कुल व्यय की वृद्धि दर 2009-10 में उच्चतम (25 प्रतिशत) थी और 2006-07 में न्यूनतम (दो प्रतिशत) थी। कुल व्यय की वृद्धि दर जो कि 2009-10 में 25 प्रतिशत थी 2010-11 में 21 प्रतिशत तक घट गई।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-08 और 2008-10 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में घटती हुई प्रवृत्ति और 2008-09 और 2010-11 में बढ़ी हुई प्रवृत्ति प्रकट हुई। 2006-10 के दौरान ऋण और अग्रिमों के अंश में बढ़ती हुई, परन्तु 2010-11 में घटती हुई प्रवृत्ति प्रकट हुई जबकि पूँजीगत व्यय ने 2006-11 के दौरान अंतरवर्षीय विभिन्नताओं सहित घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। यह पाया गया कि अवधि के दौरान कुल पूँजीगत व्यय का बड़ा भाग आयोजना पूँजीगत व्यय थी। 2010-11 की अवधि के दौरान कुल पूँजीगत व्यय का 98.38 प्रतिशत आयोजना पूँजीगत व्यय (₹ 8,657 करोड़) था जिसमें 2009-10 में ₹ 7,864 करोड़ के स्तर से ₹ 793 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

अविकासीय व्यय समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतानों सहित) के अंश में 2006-10 की अवधि में 30.45 प्रतिशत से 25.77 प्रतिशत तक की न्यूनतम गिरावट, 2010-11 में न्यूनतम वृद्धि सहित, आई, जबकि 2006-11 की अवधि के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के अंश में 3.69 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंश में 2006-07 के दौरान 32.5 प्रतिशत से 2010-11 में 29.85 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी, व्यापक अंतरा-वर्षीय उतार-चढ़ावों सहित आई। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं दोनों को समाविष्ट करते हुये विकास व्यय में 2009-10 में 61.16 प्रतिशत से 2010-11 में 62.67 प्रतिशत तक की कमी आई। सहायता अनुदानों और ऋण तथा अग्रिमों के अंश में 2006-10 अवधि के दौरान बढ़ती हुई, परन्तु 2010-11 के दौरान घटी हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

राज्य के समग्र राजस्व व्यय में 2006-07 में ₹ 22,363 करोड़ से 2010-11 में ₹ 45,012 करोड़ तक की वृद्धि हुई, जो इस अवधि में 101 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। 2010-11 के दौरान ₹ 9,115 करोड़ (25.39 प्रतिशत) के राजस्व

व्यय की कुल वृद्धि में से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की राशि ₹ 6,042 करोड़ (23 प्रतिशत) थी जबकि ₹ 3,073 करोड़ (31 प्रतिशत) आयोजना राजस्व शीर्षों के अंतर्गत व्यय किये गये थे। चालू वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से, सामान्य शिक्षा (₹ 1,099 करोड़), पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 689 करोड़), स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन (₹ 188 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 156 करोड़), पुलिस (₹ 353 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 595 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 315 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 386 करोड़) एवं वानिकी और वन्य-जीवन (₹ 148 करोड़) पर व्यय के कारण हुई। 13वें वित्त आयोग और राज्य सरकार किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को नीचे तालिका - 1.8 में दिया गया है।

तालिका संख्या - 1.8 : राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	13वें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2010-11	25,074	29,213	32,101

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्रक)

2010-11 के दौरान ₹ 32,101 करोड़ का वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, 13वें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर से (28.02 प्रतिशत) और राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण से (9.89 प्रतिशत) अधिक था। 13वें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण के विरुद्ध वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं ब्याज भुगतानों को छोड़कर (₹ 336 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 7,643 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 4,048 करोड़) के अंतर्गत थी, जिसे ब्याज भुगतानों (₹ 308 करोड़) के अंतर्गत कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

आयोजना राजस्व व्यय, जिसमें 2006-11 की अवधि के दौरान सुसंगत रूप से वृद्धि हुई थी, चालू वर्ष के दौरान 31.23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। 2010-11 में आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से, सामान्य शिक्षा (₹ 879 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 88 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 242 करोड़), फसल अर्थव्यवस्था (₹ 329 करोड़), अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (₹ 252 करोड़) के अंतर्गत हुई, जिसे अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 254 करोड़) के अंतर्गत व्यय में कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया था।

1.7.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेन्शन एवं राज सहायताएं सम्मिलित हैं। तालिका-1.9 एवं चार्ट-1.9 2006-11 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती हैं।

तालिका - 1.9: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	6,337 (24.66)	6,984 (22.76)	8,547 (25.45)	10,678 (25.80)	12,517 (28.81)	13,100 (25.26)
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,639	6,221	7,660	9,406	12,517	11,490
आयोजना शीर्ष**	698	763	887	1,272	--	1,610
ब्याज भुगतान	4,029 (15.68)	4,191 (13.66)	4,192 (12.48)	4,454 (10.76)	5,052 (11.63)	5,049 (9.74)
पेन्शन पर व्यय	1,752 (7)	1,964 (6)	2,433 (7)	3,077 (7)	3,305 (7.61)	3,767 (7.26)
राज सहायता	NA	141@ (0.46)	132@ (0.39)	2,033@ (4.91)	15,145 (34.86)	1,810 (3.49)
योग	12,118 (47)	13,280 (43)	15,304 (46)	20,242 (49)	36,019 (83)	23,726 (46)

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

** आयोजना शीर्ष में भी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है।

@ उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

2006-11 के दौरान समग्र प्रतिबद्ध व्यय में 96 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2010-11 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत सम्मिलित था। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 2006-08 और 2009-11 के दौरान कमी की प्रवृत्ति और 2007-10 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2010-11 के दौरान, इसमें राजस्व

प्राप्तियों का 46 प्रतिशत समाविष्ट था और वह विगत वर्ष तथा बजट प्रक्षेपणों से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

वेतन एवं मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय में 2006-07 में ₹ 6,337 करोड़ से 2010-11 में ₹ 13,100 करोड़ (106 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी पर व्यय में 2006-08 और 2009-11 के दौरान कमी की प्रवृत्ति और 2007-10 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन और मजदूरी पर व्यय में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 में ₹ 13,100 करोड़ के वेतन और भत्तों पर वास्तविक व्यय मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में प्रक्षेपित (₹ 12,517 करोड़) की तुलना में अधिक था। राजस्व व्यय से संबंधित वेतन बिल, ब्याज भुगतानों और पेंशन को छोड़ कर 36 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत के मानदण्ड के विरुद्ध था।

पेंशन भुगतान

2009-10 के दौरान पेंशन भुगतानों में ₹ 3,077 करोड़ से 2010-11 के दौरान ₹ 3,767 करोड़ तक की 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अधिवार्षिकी और सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 281 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 45 करोड़), अवकाश नगदीकरण (₹ 76 करोड़) और उपदान (₹ 253 करोड़) थे। ₹ 3,767 करोड़ के वास्तविक पेंशन भुगतान 2010-11 में मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में यथा प्रक्षेपित ₹ 3,305 करोड़ से (13.98 प्रतिशत) अधिक थे और 13वें वित्त आयोग द्वारा यथा प्रक्षेपित ₹ 2,933 करोड़ से (28.44 प्रतिशत) अधिक थे।

ब्याज भुगतान

- 2010-11 के दौरान ₹ 5,049 करोड़ के ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 9.74 प्रतिशत लेखांकित किए गए और 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय के 11.22 प्रतिशत थे। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति (₹ 1,426 करोड़), बाजार ऋण (₹ 1,804 करोड़), केन्द्र सरकार से उधार लिये गये ऋण (₹ 690 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 591 करोड़) और अन्य आन्तरिक ऋण (₹ 332 करोड़) पर थे।
- विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान ब्याज भुगतान में ₹ 595 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋणों (₹ 316 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 42 करोड़), अन्य दायित्व (₹ 199 करोड़) और केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 45 करोड़) में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी जिसे केंद्र सरकार से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोजना योजना (₹ 396 करोड़) के अंतर्गत उधारियों में कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

- वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 5,049 करोड़ के ब्याज भुगतान ₹ 5,052 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में कम थे परन्तु 2010-11 के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित (₹ 3,949 करोड़) की तुलना में अधिक थे।

राज सहायताएं

₹ 1,810 करोड़ (आयोजनेतर : ₹ 1,581 करोड़ और आयोजना : ₹ 229 करोड़) की राज सहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 3.49 प्रतिशत लेखांकन किया गया और यह 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय का 4.02 प्रतिशत था। आयोजनेतर और आयोजना राजस्व व्यय में राज सहायताओं के ब्यौरे नीचे तालिका - 1.10 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-1.10: 2009-10 और 2010-11 के दौरान राज सहायताओं के भुगतानों का विवरण
(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विभाग	लेखाशीर्ष तथा विवरण	2009-10			2010-11		
			आयोजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं सहित)	योग	आयोजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं सहित)	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	समाज कल्याण	2235-सामाजिक सुखा एवं कल्याण	--	--	--	--	0.70	0.70
2	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-कृषि कर्म	--	91.19	91.19	3.00	128.21	131.21
3	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2401-कृषि कर्म	--	36.90	36.90	--	41.71	41.71
4	अनुसूचित जाति उपयोजना	2401-कृषि कर्म	--	25.63	25.63	--	31.09	31.09
5	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2401-कृषि कर्म	--	13.80	13.80	--	12.26	12.26
6	खाद्य	2408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार	58.85	--	58.85	49.05	--	49.05
7	सहकारिता	2425-सहकारिता	--	--	--	2.56	--	2.56
8	जिला आयोजना योजनाओं से संबंधित व्यय	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं	--	--	--	6.85	--	6.85
9	ऊर्जा	2801-विजली	1,734.52	72.00	1,806.52	1,519.86	15.00	1,534.86
	योग		1,793.37	239.52	2,032.89	1,581.32	228.97	1,810.29 ⁷

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2010-11)

₹ 1,810 करोड़ की राज सहायताओं में से, ₹ 1,535 करोड़ (85 प्रतिशत) मुख्य रूप से केवल ऊर्जा विभाग के लिए थे। विगत वर्ष की तुलना में, 2010-11 के दौरान राज सहायता की राशि में कमी मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग को राज सहायता (₹ 272 करोड़) में कमी के कारण थी।

⁷ जिस सीमा तक जानकारी वित्त लेखे में उपलब्ध है। इसमें इम्प्लिसिट राज सहायता शामिल नहीं है क्योंकि इनके विवरण उपलब्ध नहीं थे।

1.7.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्यो को अनुदानों और ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता की मात्रा तालिका - 1.11 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका - 1.11 : स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय)	235.09	166.76	161.99	118.85	233.23	221.19
नगर निगम तथा नगर पालिकाएं	1,499.61	1,872.65	1,880.40	2,654.32	3,709.83	3,153.82
जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएं	736.45	885.87	756.21	926.64	1,760.55	1,760.12
विकास अभिकरण	5.91	6.81	13.00	6.17	8.61	6.78
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	6.49	7.29	7.29	25.18	9.62	9.62
अन्य संस्थाएं	470.46	603.38	965.00	775.27	1,065.60	1,049.80 ⁸
योग	2,954.01	3,542.76	3,783.89	4,506.43	6,787.44	6,201.33
राजस्व व्यय के प्रतिशत के अनुसार वित्तीय सहायता	13.20	13.84	12.82	12.55	16.21	13.78

(स्रोत: विभिन्न विभागों से संग्रहित जानकारी)

स्थानीय निकायों और संस्थाओं के वित्तीय सहायता में 2009-10 में ₹ 4,506.43 करोड़ से 2010-11 में ₹ 6,201.33 करोड़ तक ₹ 1,694.90 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से नगर निगमों (₹ 499.50 करोड़), जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं (₹ 833.48 करोड़) एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 102.34 करोड़) के अधीन हुई जिसे अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के अंतर्गत ₹ 15.56 करोड़ की कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया था।

नगर निगमों के अंतर्गत ₹ 499.50 करोड़ की वृद्धि, जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ₹ 833.48 करोड़ एवं शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत ₹ 102.34 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाओं यथा पीने के पानी, सड़क मरम्मत और शहरी क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों के एकीकृत विकास में वृद्धि के कारण हुई।

⁸ मुख्य रूप से समाविष्ट है खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण (₹ 679.49 करोड़), सहकारिता एवं सहकारी समितियाँ (₹ 189.53 करोड़), कृषक कल्याण एवं कृषि विकास (₹ 63.91 करोड़), हथकरघा (₹ 38.17 करोड़), टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग (₹ 18.71 करोड़), संस्कृति (₹ 16.70 करोड़), म.प्र. विज्ञान तथा प्राद्योगिकी (₹ 16.10 करोड़), खेल एवं युवा कल्याण (₹ 2.40 करोड़), पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन (₹ 4.62 करोड़), अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यक कल्याण (₹ 2.56 करोड़), महिला एवं बाल विकास (₹ 2.65 करोड़) एवं अन्य (₹ 14.96 करोड़)।

₹ 6,787.44 करोड़ के बजट अनुमानों के विरुद्ध, वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं को सहायता के रूप में ₹ 6,201.33 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी। 2010-11 में बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगर पालिकाओं, शैक्षणिक संस्थाओं (सहायता प्राप्त स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों) एवं अन्य संस्थाओं में वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत की आर्थिक कटौती के कारण थी।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता वृद्धि 12.55 प्रतिशत (2009-10) में 13.78 प्रतिशत तक हुई, जो कि 2010-11 के दौरान 16.21 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में कम थी।

1.7.4 स्थानीय निकायों इत्यादि को 13वें वित्त आयोग अनुदानों की निकासी एवं उपयोग

स्थानीय निकाय

13वें वित्त आयोग ने 2010-15 में प्राप्त अनुदान अवधि के लिए सामान्य क्षेत्रों एवं विशेष क्षेत्र दोनों के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। इन अनुदानों के अतिरिक्त, उन राज्यों को 2011-12 से दोनों क्षेत्रों को निष्पादन अनुदान उपलब्ध कराया जाना था जो उन अनुदानों की निकासी के लिए अधिरोपित शर्तों को पूरा करेंगे। भारत सरकार की मार्गदर्शिका (सितम्बर 2010) के अनुसार, समस्त स्थानीय निकायों को अनुदानों की निकासी प्रत्येक राजकोषीय वर्ष में जुलाई एवं जनवरी दो चरणों में की जानी थी। स्थानीय निकाय अनुदानों की पहली किस्त भारत सरकार से इसकी प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि के भीतर, स्थानीय निकायों को अंतरित की जानी थी। इसी प्रकार अनुदान की दूसरी किस्त का अंतरण भी स्थानीय निकायों को पाँच दिन और 10 दिन में आधार्थिक संरचना की सुगमता के अनुसार किया जाना था। विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात, स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतरण में विलम्ब के लिए, किस्त सहित भारतीय रिजर्व बैंक दर के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए राज्य की जिम्मेदारी थी।

अनुदानों के अंतरण में विलम्ब

नमूना जाँच किए गए कार्यालयों⁹ के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि सामान्य प्राथमिक अनुदान की पहली किस्त (₹ 191.55 करोड़) के साथ ही विशिष्ट क्षेत्र प्राथमिक अनुदान के ₹ 11.28 करोड़ ग्राम पंचायतों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को 45 से 239 दिनों के विलम्ब से अंतरित किए गए थे। आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, ने सामान्य प्राथमिक अनुदान एवं विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान की प्रथम किस्त का अंतरण नगर स्थानीय निकायों को 27 दिनों

⁹ वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, आयुक्त पंचायती राज, आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंडा, बेरसिया (भोपाल)

के विलम्ब से किया। विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान की दूसरी किस्त का नगर स्थानीय निकायों को अंतरण भी 16 दिनों के विलम्ब से हुआ था। निधियों के अंतरण में विलम्ब के अतिरिक्त, वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की दर पर ₹ 3.30 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2011), वित्त विभाग ने इस प्रकार के विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताया। आयुक्त, पंचायती राज एवं आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग से भी उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2011)।

अनुदान का व्यपगत होना

आयुक्त, पंचायती राज एवं आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि वित्त मंत्रालय ने 2010-11 के वर्ष के लिए विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर स्थानीय निकायों के ₹ 26.50 करोड़ दो समान किस्तों में जारी किए। इसमें से ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित किए जाने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 21.88 करोड़ (आयुक्त, पंचायती राज द्वारा ₹ 19.91 करोड़ एवं आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ₹ 1.97 करोड़) कोषालय से आहरित किए गए थे। शेष राशि (₹ 4.62 करोड़) व्यपगत हो गई।

अनुदान का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश वित्त संहिता खंड-1 के नियम 70 में उपबंधित है कि किसी नए प्रभार के लिए संस्वीकृति जिसका पालन एक वर्ष से नहीं किया गया है, उसे व्यपगत होना मान लिया जाय, जब तक कि विशिष्ट रूप से उसका नवीकरण न हो जाए।

आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 13.25 करोड़ की दूसरी किस्त विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को जारी की (मार्च 2011)। इसमें से ₹ 1.97 करोड़ आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग को आवंटित किए थे जिन्होंने इसे वित्त वर्ष (2010-11) में आहरण करने के स्थान पर अगले वित्त वर्ष (अप्रैल 2011) में ₹ 1.57 करोड़ का आहरण किया। यह वित्तीय नियमों के साथ-साथ बजटीय नियंत्रण प्रणाली का भी उल्लंघन था। सरकार ने ऐसी वित्तीय अनियमितता के लिए कोई कारण नहीं बताया।

भारत सरकार को उपयोग प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न किया जाना

नमूना जाँच को गयी इकाइयों के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि वर्ष 2010-11 के लिए ग्राम पंचायतों और नगर स्थानीय निकायों को अन्तरित अनुदानों ₹ 542.34 करोड़ (₹ 402.95 करोड़ आयुक्त, पंचायती राज द्वारा तथा ₹ 139.39 करोड़ आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा) के वास्तविक उपयोग की रिपोर्ट

आयुक्त, पंचायती राज और आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को नहीं भेजी गयी थी। यह भी ध्यान में आया कि नमूना जाँच की गई इकाईयों में से किसी ने भी वित्त वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त किए गए 13वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की रिपोर्ट नहीं दी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2011), आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल ने उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा व्यय किए गए अनुदान के क्रियाकलाप अनुसार ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं। वित्त विभाग एवं आयुक्त, पंचायती राज से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2011)।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

13वें वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अनुशंसाओं के अनुसरण में, भारत सरकार ने ₹ 24.97 करोड़, सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र के लिए नाम दर्ज कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत किए गए थे। आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ (जुलाई 2011) कि ₹ 24.97 करोड़ की राशि की निकासी की गयी थी और उसे आयुक्त के वैयक्तिक जमा खाते में जमा कर दिया गया था, परन्तु 2010-11 में कोई व्यय नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि कार्य प्रगत्याधीन है। भारत सरकार द्वारा अनुदानों की निकासी के लिए जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुसार, जारी किए गए अनुदानों का उपयोग वर्ष विशेष में ही कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार ₹ 24.97 करोड़ अप्रयुक्त रहे। मामले की सूचना सरकार को दी गयी थी (सितम्बर 2011), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2011)।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं, यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान); व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय-परिणाम संबंधों का निर्धारण)।

1.8.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये, सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व वृहद रूप से राज्य के विषय हैं। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि के लिये अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई होती है, यदि वह संबंधित

राष्ट्रीय औसत से नीचे होती है। तालिका-1.12 में वर्ष 2010-11 के दौरान (13वें वित्त आयोग के द्वारा प्रदत्त अवधि का प्रथम वर्ष) विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका-1.12 : 2007-08 एवं 2010-11 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय [#] /कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय /कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2007-08	16.85	64.28	32.54	16.14	14.64	3.98
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2007-08	20.80	66.51	28.65	20.34	11.66	3.72
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2010-11	16.65	64.42	36.75	13.27	17.42	4.35
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2010-11	21.17	69.08	33.15	15.30	14.88	3.74
* सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित है। स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये जानकारी, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।						

तुलनात्मक विश्लेषण से प्रकट हुआ कि:

- मध्य प्रदेश ने 2007-08 और 2010-11 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सीमान्त रूप से उच्चतर समानुपात का व्यय किया।
- मध्य प्रदेश में कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ है। विकास व्यय में आर्थिक सेवा व्यय एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। तथापि, मध्य प्रदेश में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में सामाजिक क्षेत्र व्यय (कुल व्यय के समानुपात के रूप में) निम्नतर रहा है। स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र को भी अपर्याप्त प्राथमिकता दी गयी है। यह पाया गया कि चालू वर्ष के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में व्यय के लघुतर समानुपात का व्यय किया गया था।
- मध्य प्रदेश में, सामान्य वर्ग के राज्यों की तुलना में पूंजीगत व्यय को पर्याप्त प्राथमिकता दी गयी है। वास्तविक पूंजी संघटन को बढ़ी हुई प्राथमिकता स्थायी

परिसम्पत्तियाँ के सृजन द्वारा राज्य के विकास की संभावनाओं में और वृद्धि करेगी।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षो पर लोक व्यय के महत्व को दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक, स्वीकार्य आचरण तथा उपयोगी पदार्थों¹⁰ के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹¹ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, हाल ही के वर्षों में ऋण सेवा में ह्रास के कारण विशेष रूप से सृजित हो रहे राजकोषीय अंतर की दृष्टि से, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में पूंजीगत व्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के कार्यचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी। तालिका-1.13 बजटीकृत और विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.13 : विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग)	18,314 (64)	22,339 (66)	25,999 (68)	32,910 (69)	33,956 (66)	39,741 (69)
क- विकास राजस्व व्यय	12,457 (44)	14,683 (44)	17,577 (46)	21,333 (45)	24,579 (48)	27,430 (48)
ख- विकास पूंजीगत व्यय	5,099 (18)	6,759 (20)	6,588 (17)	7,805 (16)	7,859 (15)	8,621 (15)
ग- विकास ऋण तथा अग्रिम	758 (3)	897 (3)	1,834 (5)	3,772 (8)	1,518 (3)	3,690 (6)

कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशत दर्शाते हैं।
(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


¹⁰ सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।

उपयोगी पदार्थ में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

¹¹ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय में पृथक-पृथक जोर कर किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

तालिका-1.13 2006-11 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय के संबंध में प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है जो कि 2006-11 के दौरान 64 और 69 प्रतिशत के मध्य सीमा में था। विकास राजस्व व्यय के अंश ने 2007-08 से वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाया। विगत वर्ष की तुलना में विकास ऋण तथा अग्रिम और पूँजीगत व्यय में 2010-11 में क्रमशः दो और एक प्रतिशत तक की कमी आई। विकास ऋण अग्रिम और पूँजीगत व्यय के अंश में कमी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत थी। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान विकास राजस्व व्यय के अंश में वृद्धि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत थी। 2010-11 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में विकास राजस्व व्यय समान था।

चार्ट-1.10 में 2006-11 के दौरान संघटकवार विकास व्यय प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका-1.14 में चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किये गये राजस्व व्यय के संघटकों और पूँजीगत व्यय के विवरण दिये गये हैं।

तालिका-1.14: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2009-10			2010-11		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में निम्न का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में निर्मांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3.54	59.53	0.13	3.17	55.97	0.06
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4.73	69.63	0.34	5.33	66.67	1.71
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	29.55	25.04	9.95	26.47	22.43	9.38
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.19	11.02	0.07	8.51	10.05	0.06
योग (सामाजिक सेवाएं)	8.21	42.87	1.00	8.03	39.78	1.11
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	0.94	45.67	0.27	5.31	39.97	0.23
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	80.85	86.70	7.65	84.89	87.11	5.48
बिजली तथा ऊर्जा	27.34	0.00	0.68	7.40	--	0.66
परिवहन	77.97	46.36	46.19	76.29	45.41	45.13
अन्य आर्थिक सेवाएं	15.91	11.43	0.39	23.69	11.94	0.28
योग (आर्थिक सेवाएं)	35.69	27.74	3.88	34.29	27.73	3.44
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	23.72	36.93	2.13	21.69	35.35	1.97

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

तालिका-1.14 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अंश में 2009-10 में 8.21 प्रतिशत से 2010-11 में 8.03 प्रतिशत की कमी आई एवं आर्थिक सेवाओं में 2010-11 से 35.69 प्रतिशत से 34.29 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा जल-आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, आवास और शहरी विकास के अन्तर्गत हुई। जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्य रूप से विद्युत और ऊर्जा तथा परिवहन के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2009-10 में 36.93 प्रतिशत से 2010-11 में 35.35 प्रतिशत तक की कमी आई। कार्यचालन और संधारण व्यय के मामले में व्यय में 2009-10 में 2.13 प्रतिशत से 2010-11 में 1.97 प्रतिशत तक की कमी आई जो कि मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत था।
- इस प्रकार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय के समानुपात में कमी और वेतन एवं मजदूरी और कार्यचालन तथा संधारण पर राजस्व व्यय में भी गिरावट से सेवाओं की गुणवत्ता में हास भी दृष्टिगोचर हुआ।

यह पाया गया कि 2001-10 के दौरान, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम थी, जबकि शिक्षा पर सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इसका तात्पर्य है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है (परिशिष्ट-1.1)।

1.9 सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (तथा उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाये रखे अपितु अपने पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋण तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के लिये परिवर्तन स्वरूप, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करना चाहिए और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में बजट में उसे वहन करने की अपेक्षा उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने चाहिए और वित्तीय कार्यचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये अपेक्षित उपाय करने चाहिये। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान, किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.9.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2011 तक सांविधिक निगमों (23), सरकारी कम्पनियों (34), अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी बैंकों, समितियों (127) इत्यादि में ₹ 12,216.04 करोड़ का निवेश किया था (तालिका-1.15)। विगत तीन वर्षों में इन निवेशों में औसत प्रतिलाभ 0.47 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2008-2011 के दौरान उधारियों पर ब्याज की औसत दर (7.07 प्रतिशत) पर भुगतान किया।

तालिका-1.15: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों का मूल्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	8,161.71	8,844.99	9,643.35	11,686.28	12,216.04
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	14.40	59.23	69.05	49.75	32.20
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.18	0.67	0.72	0.43	0.26
सरकार का उधारियों पर ब्याज की औसत (प्रतिशत)	7.86	7.72	7.24	6.94	7.04
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	7.68	7.05	6.52	6.51	6.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- मार्च 2011 के अन्त तक ₹ 12,216.04 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,082.58 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश से संबंधित थे और उनका बँटवारा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था {सांविधिक निगम (₹ 411 करोड़),

सरकारी कम्पनियां (₹ 187.04 करोड़), सहकारी बैंक और समितियां (₹ 483 करोड़) और संयुक्त पूंजी कम्पनियां (₹ 1.54 करोड़) }

- इन निवेशों पर 2010-11 में प्रतिलाभ 0.26 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-11 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया।
- 14 सरकारी कंपनियाँ जिनके लेखों को 2010-11 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिये उनका कुल निवेश ₹ 714.74 करोड़ था और घाटे में चल रही थी और उनका कुल घाटा ₹ 2,173.84 करोड़ तक संचित हो गया था (परिशिष्ट-1.9)।

सरकार को बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिये उच्च लागत वाली उधारियों पर और विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने की न केवल आवश्यकता है अपितु इन रूग्ण इकाइयों के कारण हानियों का भी या तो उनके पुनर्गठन और पुनर्वास के द्वारा और/अथवा इन इकाइयों के विनिवेश पर विचार के द्वारा हल करना चाहिए।

1.9.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण और अग्रिम भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका-1.16, 31 मार्च 2011 को बकाया ऋण और अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती हैं।

तालिका - 1.16 : सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों का मूल्य	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	5,823	7,630		11,424
वर्ष के दौरान दी गई राशि	1,861	3,817	1,619	3,715
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	54	23	60	34
अन्त शेष	7,630	11,424		15,105
उनके बकाया शेष जिनकी निबन्धन एवं शर्तें सुलझा ली गई है				
निवल संयोजन	1,807	3,794	1,559	3,681
ब्याज प्राप्तियां	64	1,102	167	21
बकाया ऋण तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.95	11.57		0.16
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.24	6.94		7.04
ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.29	-4.63		6.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा 2010-11 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2011 को कुल बकाया ऋण और अग्रिम ₹ 15,105 करोड़ थे। इन ऋणों से प्राप्त ब्याज ₹ 21 करोड़ था और अग्रिमों की वसूली की तुलना में

- विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋण अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप बकाया ऋण और अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह पाया गया कि 31 मार्च 2011 को बकाया ऋण और अग्रिमों (₹ 15,105 करोड़) का 75 प्रतिशत (₹ 11,344 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल और उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित था और दूसरा 14 प्रतिशत जल-आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, आवास एवं शहरी विकास (₹ 2,043 करोड़), सात प्रतिशत विविध सामान्य सेवाओं (₹ 1,034 करोड़) और दो प्रतिशत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों (₹ 366 करोड़) से वसूल किया जाना था।
 - ऋण और अग्रिमों पर सरकार द्वारा 2010-11 के दौरान 0.16 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज की तुलना में 7.04 प्रतिशत की दर से उधारियों पर भुगतान किया गया औसत ब्याज अधिक था।
 - ऋण और अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत पारेषण एवं वितरण कम्पनियों को ऋण के विषय में थी।
 - वर्ष के दौरान ₹ 34 करोड़ के ऋण और अग्रिमों की वसूली, ₹ 60 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में कम थी जो कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से वसूली नहीं किये जाने के कारण मुख्य रूप से थी। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में ₹ 11 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य विविध सेवाओं (₹ चार करोड़) एवं जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और शहरी विकास (₹ पाँच करोड़) के अंतर्गत थी।
 - 2010-11 में प्राप्त ब्याज (₹ 21 करोड़), बजट अनुमानों (₹ 167 करोड़) एवं वास्तविक आंकड़ों (₹ 1,102 करोड़ 2009-10 के लिए) की तुलना में, मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं से ब्याज की कम प्राप्ति के कारण कम था।

1.9.3 नकद शेष एवं नकद शेषों का निवेश

तालिका-1.17 वर्ष के दौरान नकद शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं नकद शेषों का चित्रण करती है :

तालिका - 1.17 : नकद शेष तथा नकद शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2010 को	31मार्च 2011 को	वृद्धि(+)/ कमी (-)
नकद शेष	3,912.93	6,900.44	(+)2,987.51
नकद शेषों से निवेश (क से घ)	5,559.72	9,212.17	(+)3,652.45
क. भारत सरकार के कोषालय बिल	5,556.19	9,208.64	(+)3,652.45
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियां	3.53	3.53	--
ग. अन्य प्रतिभूतियां	--	--	--
घ. अन्य निवेश	--	--	--
उद्दिष्ट शेषों से निवेशों का निधि के अनुसार विवरण (क से घ)	379.95	379.06	(-)0.89
क. अकाल राहत निधि	1.13	0.91	(-)0.40
ख. राजस्व आरक्षित निधि	9.41	8.74	(-)0.67
ग. राज्य कृषि साख राहत और गांरटी निधि	0.18	0.17	--
घ. गांरटी मोचन निधि	369.23	369.23	--
वसूल किया गया ब्याज	172.84	263.41	(+)90.57

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- सरकार के नकद शेषों में, विगत वर्ष में ₹ 3,913 करोड़ के स्तर से, वर्ष के अंत में ₹ 2,988 करोड़ (76 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। बड़े निष्क्रिय नकद शेषों को रखना सलाह देने योग्य नहीं है क्योंकि इनको उच्च मूल्य पर उधार लिया जाता है और कम ब्याज वाले कोषालय बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष रखना आवश्यक है। यदि यह शेष किसी दिन सहमत न्यूनतम शेष से कम हो जाता है तो इस कमी की पूर्ति सामान्य एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों /अधिविकर्षों के द्वारा समय-समय पर लेकर की जाती है। 31 मार्च 2011 को, अर्थोपाय अग्रिमों से संबंधित लेनदेनों के कारण कुछ भी बकाया नहीं था। 2010-11 के दौरान, अदिष्ट शेषों से निवेश में ₹ 89 लाख तक की कमी मुख्य रूप से राजस्व आरक्षित निधियों के अंतर्गत आई।

1.10 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं



1.10.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा रचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली स्थाई परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का निरूपण तो करते हैं। परिशिष्ट-1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2010 को तदनु रूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2011 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि इस परिशिष्ट में दी गई देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक उधारियां, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं और परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम तथा नकदी शेष समाविष्ट है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 में 'कुल देयताओं' का वर्णन राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखे के अधीन देयताओं के रूप में किया गया है तथा इसमें राज्य सरकार के जोखिम भारित गारंटी दायित्व सम्मिलित हैं जिनके मूलधन और/अथवा ब्याज की पूर्ति राज्य बजट से की जाती है।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति परिशिष्ट-1.4 में दी गई है। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं की रचना को चार्ट-1.11 एवं 1.12 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताओं में 2006-07 में ₹ 53,280 करोड़ से 2010-11 में ₹ 75,504 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वृद्धि दर में 2009-10 में 12.28 प्रतिशत के विरुद्ध 2010-11 में 11.28 प्रतिशत तक की कमी आई। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान उधारियों में कमी मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जों के अधीन (₹ 11 करोड़), अन्य संस्थाओं से ऋण (₹ 78 करोड़), प्रतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्रों (₹ 361 करोड़) एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण (₹ 56 करोड़), के अंतर्गत हुई जिसे मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 3,257 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 1,582 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।
- राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं और लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। 31 मार्च 2011 को, समेकित निधि देयताओं (₹ 57,769 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 24,878 करोड़), राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 16,248 करोड़), प्रतिपूर्ति तथा अन्य बंध पत्रों का निर्गमन (₹ 2,134 करोड़), नाबार्ड से ऋण (₹ 2,788 करोड़), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 10,956 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 765 करोड़)। लोक लेखा देयताओं (₹ 17,735 करोड़) में अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि (₹ 9,220 करोड़), ब्याज प्रभार वाले दायित्व (₹ 321 करोड़) एवं ब्याज प्रभार रहित दायित्व यथा जमा और अन्य उद्दिष्ट निधियां (₹ 8,194 करोड़) सम्मिलित हैं।
- ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 27.79 प्रतिशत थीं जो 2010-11 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों की 1.5 गुना और राज्य के अपने संसाधनों की 2.78 गुना थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2009-10 में 0.79 से वर्ष के दौरान 0.57 तक की कमी आई जो कि मुख्य रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि सहित देयताओं की वृद्धि दर में कमी के कारण थी।

- सरकार ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत इत्यादि के कारण देयताओं सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिये एक निक्षेप-निधि की व्यवस्था नहीं की। सरकार का दृष्टिकोण था कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना बाध्यकर हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन के लिए प्रावधान केवल उस राजस्व में से किए जाने चाहिए जहाँ ऐसी परिशोधन व्यवस्थाओं को वित्त प्रदान करने के लिए पर्याप्त राजस्व संसाधन उपलब्ध थे।

राज्य सरकार ने ऐसे किसी ऋणों के परिशोधन के लिए, राजस्व आधिक्य होने के बावजूद भी, व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा।

1.10.3 गारंटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं

गारंटियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधारगृहीता के द्वारा जिसके लिये गारंटी दी गई है चूक होने की स्थिति में होती हैं।

राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और 2010-11 को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया गारंटियों की राशि तालिका-1.18 में दी गई है।

तालिका-1.18: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
गारंटी की अधिकतम राशि	11,991.33	11,823.20	9,132.79	8,438.50
गारंटियों की बकाया राशि*	1,930.09	1,629.60	4,177.70	5,110.54
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	35.71	28.56	21.02	16.27
निम्नांकित राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार मानदण्ड के विरुद्ध वास्तविक आंकड़े (वार्षिक संवृद्धि गारंटियों की मात्रा सीमित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गारंटियां चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हों)	6.29*	4.85*	अनुपलब्ध	12.35*

* उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और विधानसभा में प्रस्तुत विवरण पत्र तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन अनुमान)

- गारंटियों की बकाया राशि आकस्मिक देयताओं की प्रकृति में है, जो 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की 9.86 प्रतिशत थी। राज्य सरकार द्वारा कतिपय देयताओं यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, फर्मों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों के निर्वहन के लिये गारंटियां दी गई थी।
- सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि में 2009-10 में ₹ 11,823 करोड़ से 2010-11 में ₹ 8,439 करोड़ (मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अभी भी आवंटन हेतु लंबित ₹ 1,488 करोड़ सहित) तक कमी हुई, जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 5,111 करोड़ बकाया थे।
- सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन किया जिसमें 2010-11 के अन्त तक ₹ 369.23 करोड़ का अन्त शेष था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

अधिनियम 2005, वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिये राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो सके। वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के अंतर्गत थी।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार, सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि 10 वर्षों के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2015 को उस वर्ष के लिए कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हों। यह पाया गया कि 29.67 प्रतिशत का यह अनुपात (गारंटियों की देयताओं सहित) वर्ष 2015 के लिये अधिनियम में निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर था। 13वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि 2014-15 तक राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में, कुल ऋण अनुपात 25 प्रतिशत तक घटाना चाहिए। सरकार को ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को निर्धारित सीमा तक घटाने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये। वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात क्रमशः 29.67 प्रतिशत और 155.47 प्रतिशत था जो क्रमशः 40.70 प्रतिशत एवं 175.61 प्रतिशत के तदनरूपी बजट अनुमान की अपेक्षा भी कम था।

1.11 ऋण धारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता¹² का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण¹³; ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁴; उधार ली गई निधियों की निवल

¹² ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

¹³ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर अथवा सार्वजनिक उधारियों की लागत की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर - ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण X दर प्रसार) मानते हुये ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक समान होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक हो जाता है तो ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

¹⁴ वृद्धि से संबंधित ब्याज देयताओं तथा वृद्धि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियां वृद्धि से सम्बन्धित ब्याज भार तथा प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें।

उपलब्धता¹⁵; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की धारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका-1.19 में 2006-07 से प्रारम्भ, होने वाले पाँच वर्षों के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका - 1.19: ऋण धारणीयता : संकेतक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	3,890	2,740	3,764	2,117	8,333
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	1,816	(-)29	(-)1,649	(-)1,766	927
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठकों में प्रतिशत)	101 (1)	(-)2,160 (-20)	791 (5)	3,131 (16)	2,606 (13)
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10

1.11.1 ऋण स्थिरीकरण

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2006-11 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारात्मक थी जिससे यह दृष्टिगोचर हो रहा था कि ऋण स्थिर हो रहे थे।

1.11.2 ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता

2007-08 के दौरान, प्राथमिक व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्तियाँ पर्याप्त थी, जिसमें वर्ष के दौरान तीव्रता से वृद्धि हुई थी परंतु संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप सामान्य नकारात्मक संसाधन अन्तराल उत्पन्न हो गया। 2008-10 के दौरान संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त नकारात्मक संसाधन अन्तराल वर्ष के दौरान उत्पन्न हो गया। 2006-07 और 2010-11 के वर्षों के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्तियों से न केवल प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकताओं की पूर्ति हुई अपितु संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के पश्चात यह परिणाम निकला कि सकारात्मक संसाधन अंतराल निर्मित हुआ जिससे राज्य की अपनी ऋण धारणीयता की बढ़ती हुई क्षमता दृष्टिगोचर हुई।

1.11.3 निधियों की निवल उपलब्धता

➤ ऋण परिशोधन अनुपात में 2006-11 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट-1.4)। 2006-08 के दौरान इसमें 0.99 से 1.20

¹⁵ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियाँ ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

तक की वृद्धि हुई, 2008-10 में 0.95 से 0.84 तक की कमी आई और 2010-11 में 0.87 तक की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, आन्तरिक ऋण परिशोधन, नवीन ऋण प्राप्तियों का 88 प्रतिशत था, भारत सरकार के ऋणों का परिशोधन 110 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामले में, पुनर्भुगतान नवीन प्राप्तियों का 84 प्रतिशत था। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि ऋण प्राप्तियों को मुख्यतः ऋण पुनर्भुगतान के लिये उपयोग किया गया।

- आन्तरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 6,363 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने वर्ष के दौरान 8.41 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹ 3,900 करोड़ के बाजार ऋण उठाए, नाबार्ड से ₹ 369 करोड़ और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ₹ 2,038 करोड़ का ऋण उठाया। सरकार ने भारत सरकार से ₹ 1,095 करोड़ उधार लिये। भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों की प्राप्ति में, 2009-10 में ₹ 1,345 करोड़ से 2010-11 में ₹ 1,095 करोड़ तक की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र आयोजनागत योजना के लिए ऋण' के अंतर्गत ब्लॉक ऋणों की प्राप्ति में कमी थी।
- आन्तरिक ऋणों (₹ 5,579 करोड़), भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों (₹ 1,207 करोड़) के पुनर्भुगतान में, ₹ 4,256 करोड़ (63 प्रतिशत) के ब्याज के भुगतान सम्मिलित थे जिससे मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए केवल ₹ 2,530 करोड़ (37 प्रतिशत) उपलब्ध थे। इससे प्रकट हुआ कि पुनर्भुगतान के लिए अधिकांश राशियाँ ब्याज के भुगतान के लिये थीं। 31 मार्च 2011 को सरकार के 24 प्रतिशत विद्यमान बाजार ऋण 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर वाले थे।

1.11.4 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका - 1.20 : 2009-10 एवं 2010-11 वर्षों के लिये राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्त लेखे 2009-10				वित्त लेखे 2010-11			
	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	1,099.42	516.27	1,615.69	3.06	1,442.43	530.65	1,973.08	3.42
1-3	3,293.24	1,064.44	4,357.68	8.25	4,005.97	1,099.20	5,105.17	8.84
3-5	5,013.71	1,112.10	6,125.81	11.59	5,338.83	1,144.06	6,482.89	11.22
5-7	4,799.48	1,141.27	5,940.75	11.24	5,794.05	1,162.60	6,956.65	12.04
7-9	7,911.45	1,133.99	9,045.44	17.12	11,436.29	1,157.49	12,593.78	21.80
9-11	7,362.20	1,131.08	8,493.28	16.07	5,645.04	1,154.22	6,799.26	11.77
11-13	1,541.20	1,127.80	2,669.00	5.05	1,745.05	1,151.08	2,896.13	5.01
13-15	5,265.85	1,113.39	6,379.24	12.07	1,708.59	375.31	2,083.90	3.61
15 वर्ष और इससे अधिक					4,009.71	261.96	4,271.67	7.39
विविध*	5,687.68	2,919.25	8,213.87	15.54	5,687.68	2919.25	8606.93	14.90
योग	42,461.81	10,378.95	52,840.76		46,813.64	10,955.82	57,769.46	

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है।

ऊपर दर्शाए गए अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 20 प्रतिशत पुनर्भुगतान एक से पाँच वर्षों के दौरान, 46 प्रतिशत, पाँच से 11 वर्षों के मध्य, 16 प्रतिशत 11 वर्षों और अधिक के पश्चात करना होगा। राज्य के ऋणों को लगभग 15 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।


ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची पर स्पष्टता की स्थिति आलोचनात्मक है। राज्य के ऋणों के कारण देयताओं में अनवरत रूप से एक से नौ वर्षों की अवधि के दौरान नौ प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है।

1.12 राजकोषीय असन्तुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के मुल्यांकन की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट-1.13 एवं 1.14 2006-11 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं:



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित किया गया था कि मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात, राज्य ने राजस्व अधिशेष को बनाए रखा जिसमें 2006-07 में ₹ 3,331 करोड़ से 2010-11 में ₹ 6,842 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी सिवाए 2008-09 को जब इसमें ₹ 4,063 करोड़ तक की कमी आई थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष में 2009-10 में 2.42 प्रतिशत से 2010-11 में 2.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान 0.79 प्रतिशत से अधिक थी।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की कुल उधारियों और उसके कुल संसाधन अंतर को प्रदर्शित करता है, उसमें 2006-07 में ₹ 2,755 करोड़ से 2009-10 में ₹ 6,199 करोड़ तक की वृद्धि हुई और 2010-11 के दौरान ₹ 5,272 करोड़ तक की कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा अनुपात में 2009-10 में 2.73 प्रतिशत से चालू वर्ष में 1.94 प्रतिशत तक की कमी आई, जो कि बजट अनुमान और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन अनुशासित मानदण्ड दोनों में निर्धारित चार प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर रही, और 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भी अंदर रही।
- प्राथमिक अधिशेष में 2006-07 में ₹ 1,274 करोड़ से 2007-08 में ₹ 1,407 करोड़ तक की वृद्धि हुई तथा 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान यह प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

1.12.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिरूप में मिश्रित बदलाव आया है जैसा कि तालिका-1.21 में प्रतिबिम्बित हुआ है।

तालिका - 1.21 : राजकोषीय घाटे के संघटक और उसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटे का विघटन		-2,755	-2,784	-4,433	-6,199	-5,272
1	राजस्व अधिशेष	3,331	5,088	4,063	5,498	6,842
2	निवल पूंजीगत व्यय	-5,161	-6,822	-6,689	-7,903	-8,433
3	निवल ऋण तथा अग्रिम	-925	-1,050	-1,807	-3,794	-3,681
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था पद्धति						
1	बाजार उधारियाँ	1,063	1,337	3,957	5016	3,258
2	भारत सरकार से ऋण	-311	102	709	888	577
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,045	128	-126	492	1,582
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	76	128	51	-188	-488
5	आरक्षित निधियाँ	422	-34	12	324	275
6	अल्प बचते, भविष्य निधि आदि	158	193	204	412	773
7	जमा तथा अग्रिम	782	274	237	705	1,678
8	उचन्त तथा विविध	71	-18	-43	10	86
9	प्रेषण	23	57	62	31	519
10	अन्य	8				
11	नकद शेष वृद्धि(+)/कमी (-)	+1,582	-617	+630	+1491	+2,988

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2009-10 की भाँति, राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के एक मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा परंतु राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2009-10 में 81 प्रतिशत से 2010-11 में 62 प्रतिशत तक की कमी आई। 2009-10 की तुलना में 2010-11 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ऋणों, जमा एवं अग्रिमों, अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि का अंश राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर था।

1.12.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) में विघटन, राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात यह इंगित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गयी निधियाँ चालू उपभोग के लिये प्रयुक्त की गयी थीं। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर संकुचित हो रहा था और उधारियों (राजकोषीय देयताओं) के एक भाग हेतु कोई परिसम्पत्तिगत अतिरिक्त सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.22) उस सीमा को इंगित करेगा जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ और जो राज्य की अर्थ व्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिये वांछित हो सकता है।

तालिका - 1.22 : प्राथमिक घाटा/अधिशेष - घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2006-07	25,732	18,334	5,170	954	24,458	7,398	1,274	21.14
2007-08	30,807	21,410	6,833	1,157	29,400	9,397	1,407	23.24
2008-09	33,656	25,322	6,713	1,862	33,897	8,334	-241	19.80
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77

* अन्तर्राष्ट्रीय निपटान सहित

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-11 की अवधि के दौरान घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप राज्य के प्राथमिक घाटे अथवा अधिशेष से प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए ऋण और अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थीं। परंतु अधिशेष ऋणोत्तर प्राप्तियाँ सम्पूर्ण पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 2006-07 और 2007-08 को छोड़कर 2006-11 के सम्पूर्ण वर्षों के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ। इससे यह दृष्टिगोचर हुआ कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबन्धन

- राज्य ने 2006-11 के दौरान राजस्व अधिशेष को लगातार बनाए रखा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के नीचे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में और 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटे को बनाए रखा। प्रमुख राजकोषीय प्राचालों (पैरामीटर्स) - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/अधिशेष की दृष्टि से राज्य की राजकोषीय स्थिति पर दृष्टिपात करने से 2010-11 में एक सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत मिला क्योंकि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व अधिशेष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में तथा प्राथमिक घाटे में कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व अधिशेष में 2009-10 में 2.42 प्रतिशत से 2010-11 में 2.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि 0.79 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2009-10 में 2.73 प्रतिशत से चालू वर्ष में 1.94 प्रतिशत तक की कमी आई, इस प्रकार बजट अनुमान में तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 दोनों में ही

निर्धारित चार प्रतिशत की उच्चतम सीमा में ही रही तथा 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर भी थी।

- मध्य प्रदेश में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों को मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर पिछले दशक के दौरान सामान्य वर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी।

राजस्व के बकाया

- सात विभागों से संबंधित, 31 मार्च 2011 को राजस्व बकायों की राशि ₹ 877 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 685 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। इसमें वाहनों पर कर संबंधी राजस्व के बकाया को छोड़ दिया गया था क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा इसकी जानकारी नहीं भेजी गयी थी (सितम्बर 2011)।

देयताओं का प्रबन्धन

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इनमें 2014-15 के अंत तक 25 प्रतिशत तक की कमी लाना है। परिणामतः 13वें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देयताओं की वृद्धि में रोकथाम के लिए विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- ऋण पुनर्भुगतानों में 2012-14 के दौरान नौ प्रतिशत से लेकर 2018-20 के दौरान 22 प्रतिशत तक की अनवरत वृद्धि होगी। ऋण मुक्ति के लिए निक्षेप निधि के अभाव में तथा ऋण की 15 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा की अनुपलब्धता के कारण ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची पर स्पष्टता बनाए रखना विवेचना का विषय है।

निधियों की निवल उपलब्धता

चालू वर्ष के दौरान, आन्तरिक ऋण, भारत सरकार के ऋण एवं अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज नये ऋण प्राप्तियों का 87 प्रतिशत था जिससे परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थीं।

व्यय प्रबन्धन

- राज्य के व्यय प्रतिरूप (पैटर्न) से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2010-11 के दौरान कुल व्यय के 78 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात का अंशदान जारी रहा, जिसके कारण सेवाओं के विस्तार तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये कम संसाधन बचे। इतना ही नहीं, ₹ 45,012 करोड़ के राजस्व व्यय के भीतर, 2010-11 में ₹ 32,101 करोड़ के आयोजनेतर राजस्व व्यय, 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष के लिए सामान्य रूप से निर्धारित स्तर (₹ 25,074 करोड़) की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर रहे।

इसके अतिरिक्त, वेतन एवं मजदूरी व्यय, पेन्शन भुगतानों, ब्याज भुगतानों और राज सहायताओं ने वर्ष के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय के लगभग 74 प्रतिशत में अपना योगदान दिया।

- पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वेतन और मजदूरियों तथा संचालन और संधारण पर राजस्व व्यय में गिरावट आयी जो सेवाओं की गुणवत्ता में अवनति को इंगित करता है।
- मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दी गयी प्राथमिकता, तथापि, 2007-08 और 2010-11 दोनों वर्षों के दौरान पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कुल व्यय से उनके अनुपात सामान्य वर्ग के राज्यों के अनुपात की तुलना में कमतर थे। सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

निवेश पर प्रतिलाभ

मार्च 2011 के अंत तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों आदि में किए गए ₹ 12,216 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ केवल 0.26 प्रतिशत था जो कि चालू वर्ष के दौरान 7.04 प्रतिशत की ब्याज दर पर इसकी औसत उधारियों के विरुद्ध था।

1.14 अनुशंसाएं

- कर वसूली उपायों को, 31 मार्च 2011 को ₹ 877 करोड़ की राशि के राजस्व के बकायों की वसूली द्वारा, सुदृढीकरण करने की आवश्यकता थी (कण्डिका 1.6.3)।
- यह प्रवृत्तियाँ इंगित करती हैं कि सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ की नगण्य दरों सहित ऋण और अग्रिमों पर ब्याज की अपर्याप्त वसूली और बढ़ती हुई राजकोषीय देयताएँ राज्य पर मध्यम से लंबी अवधि में राजकोषीय दबाव बना सकती हैं जब तक कि आगामी वर्षों में ऋण और अग्रिमों, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य, आयोजनेतर राजस्व व्यय को कम करने और कर तथा कर-भिन्न दोनों स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने सहित निवेश करने के लिए उपयुक्त उपाय प्रारंभ नहीं किए जाते (कण्डिका 1.10.2, 1.9.1 एवं 1.9.2)।
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि सामान्य श्रेणी के राज्य, मध्य प्रदेश की तुलना में इन शीर्षों पर कुल व्यय के वृहत्तर समानुपात का व्यय कर रहे हैं (कण्डिका 1.8.1)।
- संघ द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के सीधे अंतरण से इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग की तुच्छ चूक होने का जोखिम रहता है। जब तक कि इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण पद्धतियों का

विवेकपूर्ण अनुपालन नहीं किया जाता तथा व्यय का उचित प्रलेखन नहीं किया जाता और समयोचित रिपोर्ट नहीं दी जाती, जब तक निधियों के इन सीधे अंतरणों के अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण करना दुष्कर होगा (कण्डिका 1.5.2)।

- सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। राज्य के वित्त लेखे में सम्मिलित करने के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने की पद्धति राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुनरीक्षित लागतों के पूर्ण ब्यौरों के साथ-साथ विलम्ब के कारणों सहित अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति में पारदर्शिता समय और लागत बढ़ जाने को टालने में दूर तक सहायक होगी।

अभिज्ञान

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व

अथ के व


अथ के व

अथ के व

अथ के व

दूसरा अध्याय

वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण



दूसरा अध्याय

वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनिर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

81 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध 2010-11 के दौरान वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश तालिका-2.1 में दिया गया है।

तालिका-2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)						
	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	37,253.48	8,544.89	45,798.37	39,883.65	-5,914.72
	II पूंजीगत	8,212.52	2,546.82	10,759.34	9,217.60	-1,541.74
	III ऋण एवं अग्रिम	1,639.73	2,576.67	4,216.40	3,722.83 ¹	-493.57
योग दत्तमत		47,105.73	13,668.38	60,774.11	52,824.08²	-7,950.03
प्रभारित	IV राजस्व	5,921.36	803.97	6,725.33	5,848.18	-877.15
	V पूंजीगत	9.27	6.69	15.96	26.78	+10.82
	VI लोक ऋण- पुनर्भुगतान	5,922.00	नगण्य	5,922.00	2,529.23	-3,392.77
	योग प्रभारित	11,852.63	810.66	12,663.29	8,404.19	-4,259.10
महायोग		58,958.36	14,479.04	73,437.40	61,228.27³	-12,209.13

स्रोत: विनियोग लेखे

₹ 12,209.13 करोड़ की संपूर्ण बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 74 अनुदानों एवं 42 विनियोगों, पूंजीगत अनुभाग के अधीन 53 अनुदानों एवं सात विनियोगों में ₹ 12,221.75 करोड़ की बचतों का परिणाम थी जिसे राजस्व और पूंजीगत अनुभाग के अधीन प्रत्येक में एक विनियोग में ₹ 12.62 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों से सारभूत परिवर्तनों के स्पष्टीकरण मांगने के लिये बचतें/आधिक्य उन्हें 19 जुलाई 2011 से 10 अगस्त 2011 तक सूचित किये गये। संबंधित विभागों द्वारा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (सितम्बर 2011)। वित्त, आवास एवं पर्यावरण लघु सिंचाई, उच्च शिक्षा, विधि और विधायी कार्य विभागों आदि में प्रमुख मुख्य बचतें थी।



¹ अंतर्राज्यीय निपटान के ₹ 1.85 करोड़ सम्मिलित हैं।

² राजस्व व्यय: ₹ 720.24 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 450.75 करोड़ के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों पर विचार किए बिना सकल आंकड़े।

³ वास्तविक व्यय निर्मांकित कारणों से निर्मांकित सीमा तक अधिक बताया गया:

अव्ययित राशि के ₹ 900.31 करोड़ (राजस्व दत्तमत अनुभाग: ₹ 264.48 करोड़ तथा पूंजीगत दत्तमत अनुभाग: ₹ 635.83 करोड़) 31 मार्च 2011 को निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800-अन्य जमा के अंतर्गत अंतरित किये गये।

व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित ₹ 1,293.56 करोड़ की कुल राशि में से अव्ययित राशि ₹ 158.26 करोड़ वापस नहीं की गयी जिससे इतनी सीमा तक संवित निधि में व्यय अधिक दिखाया गया।

वर्ष 2010-11 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल पर आहरित राशि ₹ 1.15 करोड़ के व्यय के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल, उप संचालक, नेशनल कैडेट कोर, भोपाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इस व्यय की सत्यता नहीं आँकी जा सकी।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों से प्रकट हुआ कि 27 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई। जो कि कुल ₹6,955.18 करोड़ थी (परिशिष्ट-2.1)। ₹ 12,209.13 करोड़ की कुल बचत (तालिका-2.1) के विरुद्ध, तालिका-2.2 में इंगित किये अनुसार सात अनुदानों तथा एक विनियोग के आठ प्रकरणों में ₹ 6,205.64 करोड़ (50.83 प्रतिशत)⁴ की बचत हुई।

तालिका-2.2 : ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें
राजस्व दत्तमत						
1.	06-वित्त	4,308.55	1,089.16	5,397.71	3,895.86	1,501.85
2.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,148.54	3.24	1,151.78	903.25	248.53
3.	21-आवास एवं पर्यावरण	221.99	6.01	228.00	81.94	146.06
4.	29-विधि और विधायी कार्य	326.09	306.74	632.83	373.13	259.70
5.	44-उच्च शिक्षा	509.67	279.65	789.32	606.61	182.71
पूँजीगत-दत्तमत						
6.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	119.16	1.00	120.16	17.81	102.35
7.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	680.18	50.00	730.18	358.51	371.67
पूँजीगत प्रभारित						
8.	लोक ऋण	5,922.00	नगण्य	5,922.00	2,529.23	3,392.77
योग		13236.18	1735.80	14971.98	8766.34	6205.64

स्रोत: विनियोग लेखे.

उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अनुदानों/विनियोगों में सारभूत बचतों के कारण निम्नानुसार हैं-

लोक ऋण (पूँजीगत-प्रभारित)-सारभूत बचतें मुख्य रूप से 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण-अर्थोपाय अग्रिम (₹ 2000 करोड़) तथा कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम (₹ 2000 करोड़) के अधीन हुई जिसे 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण-केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों (₹ 252 करोड़) और 6004-केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-12वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार समेकित ऋण (₹ 363.06 करोड़) के आधिक्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। बचतों/आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2011)।

⁴ प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक।

06-वित्त (राजस्व दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं-राज्य आयोजना (सामान्य)-आम आदमी बीमा योजना (₹ 12.68 करोड़), 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-राज्य आयोजना (सामान्य)-अन्य व्यय (₹ 850 करोड़), 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-लघु शीर्ष 101-एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 173.73 करोड़), 104-एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 162.15 करोड़), 105-मध्य प्रदेश, (₹ 124.59 करोड़), एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 159.42 करोड़) एवं लघु शीर्ष 200-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को पेंशन का भुगतान (₹ 34 करोड़) के अंतर्गत हुई, जिन्हें मुख्य रूप से 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-जनश्री बीमा योजना (₹ 9.64 करोड़), 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ पेंशन-लघु शीर्ष 115-एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 76.26 करोड़) एवं 117-अंशदायी पेंशन योजना (₹ 15.19 करोड़) के अंतर्गत आधिक्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। बचतों एवं आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2011)।

11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार (पूंजीगत दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिए कर्ज-राज्य आयोजना (सामान्य)-उद्योग संवर्धन सहायता योजना (₹ 100 करोड़) के अंतर्गत हुई। सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि कथित बचत भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पादन प्रारम्भ नहीं किये जाने से उसे ब्याज मुक्त ऋण के विमुक्त नहीं होने के कारण हुई।

15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2505-ग्रामीण रोजगार-केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उप योजना)-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 86.62 करोड़) एवं 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उप योजना), मध्याह्न भोजन योजना (₹ 36.50 करोड़), केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन (₹ 162.97 करोड़) के अंतर्गत हुई। जिन्हें मुख्य रूप से 2216-आवास-इंदिरा आवास योजना (₹ 17.51 करोड़) एवं 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष योजना-बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना (₹ 48.50 करोड़) के अंतर्गत आधिक्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। अनुदान संख्या 15 के अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि कथित बचतें केंद्रांश नहीं प्राप्त/कम प्राप्त होने के कारण हुई।

21- आवास एवं पर्यावरण (राजस्व दत्तमत)-सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2217-शहरी विकास-राज्य आयोजना (सामान्य)-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान (₹ 138.17 करोड़) के अंतर्गत हुई। सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि कथित बचत लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेन्सी को बदलने के कारण हुई (मार्च 2011)।

29- विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)-सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2014-न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105-सामान्य स्थापना (₹ 134.93 करोड़), ग्राम न्यायालय (₹ 10.89

करोड़) एवं न्याय व्यवस्था में सुधार (13वाँ वित्त आयोग) (₹ 79.09 करोड़) के अंतर्गत हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2011)।

44- उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)-सारभूत बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 2202- (सामान्य शिक्षा)-केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 20 करोड़) और कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय (₹ 144.37 करोड़) के अंतर्गत हुई। ₹ 20 करोड़ की बचत बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्त विभाग द्वारा राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई। ₹ 144.37 करोड़ की बचत के लिए आयुक्त/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि बचत भारत सरकार से पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान की बकाया राशि कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय के लिए नहीं प्राप्त होने के कारण मुख्यतः हुई (₹ 95.65 करोड़)।

45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य (पूंजीगत दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-101-नाबार्ड (सामान्य)-निर्देशन एवं प्रशासन (₹ 10 करोड़), नाबार्ड से ऋण सहायता (₹ 49.35 करोड़), अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (₹ 207.82 करोड़), ए.आई.बी.पी. योजनाएं (₹ 56.02 करोड़) एवं लघु शीर्ष 800-राज्य आयोजना (सामान्य) निर्देशन एवं प्रशासन (₹ 21.14 करोड़) एवं ए.आई.बी.पी. योजनाएं (₹ 10.67 करोड़) के अंतर्गत हुई। जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान संख्या 23 के अंतर्गत अनुपूरक बजट में प्रावधान किये जाने के लिए ₹ 49.35 करोड़ की बचत का समर्पण किया गया। अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2011)।

2.3.2 सतत् बचतें

पाँच अनुदानों/विनियोगों में, विगत पाँच वर्षों के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान/अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक की सतत् बचतें हुई थीं (तालिका-2.3)।

तालिका-2.3: 2006-11 के दौरान सतत् बचतें दर्शाने वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में प्रतिशत)				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व-दत्तमत						
01	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	6.80 (35.90)	5.60 (31.91)	11.23 (33.63)	10.41 (26.35)	13.27 (31.91)
बचतें सतत रूप से मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अंतर्गत योजना "स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय" एवं मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में हुई।						

राजस्व-प्रभारित						
02	06- वित्त	3.09 (30.78)	10.44 (98.40)	10.70 (84.05)	9.99 (78.48)	12.41 (97.49)
बचतें सतत रूप से मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-101 और 102 एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-दत्तमत						
03	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	93.04 (50.68)	172.85 (54.13)	111.18 (31.74)	89.69 (25.58)	74.90 (20.68)
बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
04	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	16.30 (100)	4.30 (100)	2.50 (100)	2.70 (64.29)	2.93 (69.76)
बचतें सतत रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के अंतर्गत योजना "प्राकृतिक आपदाओं से उद्भूत पानी की कमी के निवारण के लिए ऋण" में हुई।						
पूंजीगत-प्रभारित						
05	लोक ऋण	4,463.47 (72.05)	2,004.48 (54.45)	1,875.54 (48.88)	3,896.40 (61.94)	3,392.77 (57.29)
बचतें सतत रूप से मुख्यतः 6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम एवं 637-अर्थोपाय अग्रिम-योजनाओं के अंतर्गत हुई।						

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

2.3.3 योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

32 प्रकरणों में, ₹ 2,446.84 करोड़ का कुल व्यय प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 10 करोड़ अथवा उससे अधिक हुआ और कुल प्रावधानों का 20 प्रतिशत से भी अधिक हुआ। ब्यौरा परिशिष्ट-2.2 (क) में दिया गया है।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

49 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ पाँच करोड़ अथवा उससे अधिक का संपूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 6,171.56 करोड़ अप्रयुक्त रहा। ब्यौरा परिशिष्ट-2.2(ख) में दिए गए हैं।

2.3.5 पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा में नियमन कराया जाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितीकरण के लिए अनुच्छेद में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। फिर भी 1993-94, 1994-95, 1997-98 से 2006-07, 2008-09 और 2009-10 के वर्षों के लिए ₹ 4,815.41 करोड़ की राशि के अधिक व्यय को अब भी नियमित किया जाना है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। लंबित नियमितीकरण हेतु अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सांराश तालिका-2.4 में दिया गया है।

तालिका-2.4: पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	नियमन की स्थिति
	अनुदान	विनियोग		
1993-94	19	02	258.11	अप्रैल 1996 से सितम्बर 2007 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1994-95	14	01	407.46	जून 1997 से सितम्बर 2006 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1997-98	10	03	302.79	₹ 23.35 लाख को छोड़ कर अन्य राशियों के लिये फरवरी 2000 से मई 2010 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1998-99	12	05	1,276.46	मई 2001 से सितम्बर 2007 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1999-2000	11	06	1,584.94	फरवरी 2002 से जून 2003 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2000-2001	03	04	265.07	फरवरी 2004 से मई 2006 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।

2001-2002		03	6.26	जून 2005 से मई 2006 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2002-2003	03	05	424.79	₹ 31,000/- को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए मार्च 2005 से सितम्बर 2007 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2003-2004	04	03	2.54	₹ 2.41 करोड़ को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए जनवरी 2007 से जून 2011 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2004-2005	13	02	83.66	₹ 4.44 करोड़ को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए फरवरी 2007 से जुलाई 2010 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2005-2006	04	02	37.58	₹ 29.23 करोड़ को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए फरवरी 2008 से जनवरी 2009 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2006-2007	02	01	35.99	16 जून 2009 को लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2008-2009	02	02	5.80	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
2009-2010	04	निरंक	123.96	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
योग	101	39	4,815.41	

2.3.6 2010-11 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

2010-11 के दौरान राज्य की समेकित निधि से ₹ 12.62 करोड़ के दो विनियोगों में कुल प्राधिकृत प्रावधान से कुल आधिक्यों का सारांश तालिका-2.5 में निहित है और संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

तालिका-2.5: 2010-11 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व प्रभारित				
01	23 जल संसाधन विभाग	0.20	0.22	0.02
पूंजीगत प्रभारित				
02	24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	11.00	23.60	12.60
योग		11.20	23.82	12.62

स्रोत: विनियोग लेखे.

उपर्युक्त आधिक्यों के कोई कारण सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2011)।

2.3.7 अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 27 प्रकरणों में प्राप्त कुल ₹ 3,019.02 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट-2.4 में दिया गया है। 68 प्रकरणों में, ₹ 7,771.34 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 11,330.16 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 लाख से अधिक की बचतें हुईं जिनका कुल योग ₹ 3,558.82 करोड़ था (परिशिष्ट-2.5)। एक प्रकरण में, अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए जिससे ₹ 12.60 करोड़ का असमाविष्ट अधिक व्यय रहा, जैसा कि परिशिष्ट-2.6 में विवरण दिया गया है।

2.3.8 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अन्तरण है। 30 प्रकरणों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोगों/समर्पणों (25 प्रतिशत या इससे अधिक के प्रकरण) के परिणामस्वरूप परिशिष्ट-2.7 में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रत्येक योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत/आधिक्य हुआ।

2.3.9 पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2006 एवं मार्च 2007) तथा इसके वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त संस्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए और वे लेखाओं के समावेशन के लिये यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए (ii) योजनाओं के सम्यक्

विवरण प्रेषित किये जाने चाहिए तथा संस्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए (iii) कोई भी पुनर्विनियोजन "पूँजीगत अनुभाग" से "राजस्व अनुभाग" में तथा "राजस्व अनुभाग" से "पूँजीगत अनुभाग" में नहीं किया जा सकेगा (iv) कोई भी पुनर्विनियोजन किसी ऐसी नई सेवा पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकेगा जिसमें कोई भी बजट प्रावधान नहीं दिया गया है (v) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग संस्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए। वर्ष के दौरान ₹ 167.25 करोड़ के जारी किए गए पुनर्विनियोग/समर्पण का कुल 22 संस्वीकृतियां इन अनुदेशों के उल्लंघन के कारण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट - 2.8 में दिए गए हैं।

2.3.10 सारभूत समर्पण

- 137 योजनाओं में सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किए गए। ₹ 2,470.83 करोड़ के कुल प्रावधानों में से ₹ 1,887.79 करोड़ (76.40 प्रतिशत) समर्पित किए गए थे, जिसमें 44 योजनाओं (₹ 434.84 करोड़) में प्रत्येक योजना में 100 प्रतिशत समर्पण के एक करोड़ या इससे अधिक का समर्पण सम्मिलित है। सारभूत समर्पणों के मुख्य कारण थे-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेन्सी बदलना, भारत सरकार से केन्द्रांश/राशि प्राप्त नहीं होना, भू-परिवहन मंत्रालय द्वारा सीधे राशि प्रदाय किया जाना, 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रावधानित राशि वित्त विभाग द्वारा विमुक्त नहीं किया जाना, देयक नहीं प्राप्त होने के कारण, ट्राईफेक (कार्पोरेशन) को ऋण का भुगतान नहीं होना, आदि। बचे हुए 11 प्रकरणों (परिशिष्ट 2.9) में समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये (सितम्बर 2011)।
- वर्ष 2010-11 का बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्तमंत्री ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। प्रथम चरण में यह 10 जिलों में लागू की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए ₹ 60 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। ₹ 60 करोड़ अव्ययित रहे, इसमें से ₹ 47.13 करोड़ समर्पण (मार्च 2011) किये गये और मांग संख्या 19-लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत ₹ 10.70 करोड़ योजना 2210-01-110-0101-8798-अस्पतालों का उन्नयन और ₹ 2.17 करोड़, योजना 2210-03-103-0101-7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन में पुनर्विनियोजित किए गये।

2.3.11 अवास्तविक और अविवेकपूर्ण समर्पण

आठ प्रकरणों में, समर्पित राशियां वास्तविक बचत से अधिक (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक) थीं जिनसे इन अनुदानों में बजटीय नियंत्रण में कमी अथवा अपर्याप्तता प्रकट हुई। ₹ 825.96 करोड़ की बचतों के विरुद्ध समर्पित राशि ₹ 899.05 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.09 करोड़ का अत्यधिक समर्पण हुआ। विवरण परिशिष्ट-2.10 में दिए गए हैं।

2.3.12 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार (मार्च 2007), व्यय करने वाले विभागों को चाहिए कि जैसे ही बचतों का पूर्वानुमान हो वैसे ही तुरंत अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके भाग को समर्पित करना अपेक्षित है। 2010-11 के वर्ष की समाप्ति पर, तथापि 24 अनुदानों और 13 विनियोगों में बचतें हुईं परंतु उनमें किसी भी भाग को संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में समाविष्ट राशि ₹ 3,802.87 करोड़ (₹ 12,209.13 करोड़ की कुल बचतों का 31.15 प्रतिशत) थी (परिशिष्ट-2.11)।

इसी प्रकार, प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचतों के 51 अन्य अनुदानों/विनियोगों के अधीन ₹ 7,081.46 करोड़ की कुल बचतों में से, ₹ 3,050.39 करोड़ की कुल राशि (इन योजनाओं में कुल बचतों का 43.08 प्रतिशत) समर्पित नहीं की गई थी, जिसके विवरण परिशिष्ट-2.12 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 60 मुख्य शीर्षों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 3,648.03 करोड़ की कुल राशि (परिशिष्ट-2.13) का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया जिससे अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण और यह तथ्य प्रकट हुआ कि इन निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सका।

2.3.13 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों एवं दिनांक 23 मार्च 1989 के अनुदेशों के अनुसार, वित्त वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अत्यधिकता को टाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, परिशिष्ट-2.14 में सूचीबद्ध 71 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक का व्यय अर्थात् कुल ₹ 5,770.88 करोड़ (इन प्रकरणों के कुल व्यय का 68.30 प्रतिशत) मार्च 2011 में व्यय किए गए।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (म.प्र.को.स.) भाग-1 के उप-नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की जाना अपेक्षित न हो। 2010-11 के दौरान कुल ₹ 900.31 करोड़ 31 मार्च 2011 को आहरित किया गया तथा लेखे में संगत योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दिखाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किया गया। परिशिष्ट 2.15 में दिए गए विवरण के अनुसार, केंद्रीय योजनाओं के कुल ₹ 719.45 करोड़ का अंतरण इसमें शामिल है। राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए इस प्रकार केंद्रीय निधियों का आहरण म.प्र.को.सं. के नियम 284 के प्रावधान के प्रतिकूल है।

तालिका-2.6 में उन मुख्य शीर्षों को प्रस्तुत किया गया है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय या तो वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अथवा अंतिम माह के दौरान किया गया था।

तालिका-2.6: वित्त वर्ष 2010-11 के अन्त में व्यय की अधिकता वाले प्रकरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता
1.	2810	21.28	16.76	78.76	15.34	72.09
2.	4055	20.15	20.15	100	19.15	95.04
3.	4202	271.16	185.68	68.48	181.73	67.02
4.	4210	114.87	70.11	61.03	62.96	54.81
5.	4235	158.47	152.12	95.99	149.47	94.32
6.	4705	102.96	88.25	85.71	83.28	80.89
7.	4801	409.63	362.73	88.55	283.04	69.10
8.	5452	32.86	20.93	63.69	18.78	57.15
9.	6801	3,475.46	2,423.28	69.73	2,060.61	59.29
	योग	4,606.84	3,340.01	72.50	2,874.36	62.39

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राप्त सूचना

मार्च के महीने में किए गए व्यय की प्रतिशतता, नौ मुख्य शीर्षों में किए गए कुल व्यय की 54 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के मध्य थी जो कि प्रतिमाह 8.33 की अनुपातिक प्रतिशतता के विरुद्ध थी, जो त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और व्यय के प्रवाह में एकरूपता न होना दर्शाता है जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

2.3.14 अनुदान के लिए माँग में बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

बजट में अनुदानों के विवरण-पत्रक की लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि मुख्य शीर्षों 2011, 2054, 2055, 2203, 2204, 2210, 2211, 2215, 2230, 2402, 2406, 3475 के अधीन उद्देश्य शीर्षों 63-मशीन एवं 64-मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत 25 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक के प्रावधान, कुल योग ₹ 166.66 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किये गये थे। मुख्य शीर्षों 4202 और 4515 के अधीन उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान के अंतर्गत पाँच अन्य योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक का प्रावधान, कुल योग ₹ 114.71 करोड़ को पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था। ब्यौरे दिए गए हैं (परिशिष्ट 2.16)।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा और तीन अनुदानों⁵ से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (जून/जुलाई 2011) संचालित की गई थी।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल और संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, अनुदान संख्या 13 के नियंत्रण अधिकारी हैं, सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल, अनुदान संख्या 48 के नियंत्रण अधिकारी हैं और आयुक्त/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अनुदान संख्या 74 के नियंत्रण अधिकारी हैं। निम्न तथ्य ध्यान में आए।

2.4.1 बजट और बजटीय नियंत्रण की दोषपूर्ण तैयारी

- अनुदानों⁵ की नमूना जाँच और विनियोजन लेखे 2010-11 की समीक्षा में प्रकट हुआ कि बजट अनुमान अवास्तविक थे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत तीन अनुदानों (13, 48 और 74) में ₹ आठ करोड़ से ₹ 430 करोड़ के मध्य की सीमा में कुल ₹ 522.49 करोड़ की निवल बचतें हुईं।
- 2010-11 के दौरान नमूना जाँच किए गए अनुदानों की 20 योजनाओं के अधीन प्रत्येक में ₹ दो करोड़ अथवा अधिक की तथा प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की महत्वपूर्ण बचतें हुईं जो कुल ₹ 540.80 करोड़ थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 2.17 में दिए गए अनुसार है। 10 योजनाओं के अधीन 2010-11 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की तथा कुल ₹ 235.51 करोड़ के महत्वपूर्ण आधिक्य ध्यान में आए जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 2.18 में दिया गया है।
- दो योजनाओं में, कुल ₹ 10.01 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए तथा तीन दूसरी योजनाओं में, अनुपूरक प्रावधान ₹ 44.72 करोड़ से अधिक थे। एक अन्य योजना में अनुपूरक अनुदान ₹ 12.47 करोड़ के समग्र आधिक्य की दृष्टि से अपर्याप्त थे। ब्यौरे परिशिष्ट-2.19 में दिए गए हैं।
- अनुदान संख्या 74 के अंतर्गत, निम्न योजनाओं में निधियों के समर्पण अवास्तविक थे। इससे विभाग को अप्रभावी अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) दृष्टिगोचर हुआ।
 - (i) 2235-60-196-0101-7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अधीन, ₹ 3.23 करोड़ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 6.57 करोड़ की राशि अवास्तविक रूप से समर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.34 करोड़ के अंतिम आधिक्य हुए।
 - (ii) 2202-02-191-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत ₹ 44.92 करोड़ के आधिक्य के बावजूद ₹ 16.44 करोड़ की एक

⁵ 13-कृषक कल्याण और कृषि विकास (राजस्व दत्तमत), 48-नर्मदा घाटी विकास (राजस्व दत्तमत), 74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)

और राशि अवास्तविक रूप से समर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.36 करोड़ का अंतिम आधिक्य हुआ।

2.4.2 सिविल जमा के अंतर्गत निधियों का संचयन

वित्तीय नियमावली कोषालय से धन के आहरण को तब तक निषेध करते हैं जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए आवश्यकता न हो। अनुदान संख्या 13 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि धन का आहरण करके बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए लेखे में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाकर सिविल जमा के अंतर्गत जमा किया गया था।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल और संचालक, कृषि, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल द्वारा क्रमशः ₹ 19.20 करोड़ एवं ₹ 92.57 करोड़ की अव्ययित राशि जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित थी, 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2011 को जमा की गई थी। इससे 2010-11 के दौरान योजना के अंतर्गत व्यय को उस सीमा तक बढ़ा दिया। संचालक, कृषि अभियांत्रिकी ने बताया (जुलाई 2011) कि चूकि सामग्री के क्रय के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे, इसलिये 2011-12 के दौरान प्राप्त होने वाले बिलों के भुगतान के लिए राशि को सिविल जमा में रखा गया था। संचालक, कृषि, कृषक कल्याण ने बताया (जुलाई 2011) कि अप्रैल 2011 में हितग्राही उन्मुखी परियोजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए राशि को जमा लेखे में रखा गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अप्रयुक्त निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समर्पित अथवा वापस कर देना चाहिए और अगले वर्ष माँग की जानी चाहिए तथा मध्य प्रदेश कोष संहिता खंड-1 के नियम 284 के अनुसार धन का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए आवश्यकता न हो।

2.4.3 मार्च में व्यय की अत्यधिकता

वर्ष पर्यन्त व्यय का नियमित प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। परिशिष्ट 2.20 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अनुदान संख्या 13 और 74 के अंतर्गत 15 योजनाओं में मार्च 2011 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में व्यय ₹ 10 लाख अथवा अधिक था जिसका कुल योग ₹ 177.19 करोड़ और कुल व्यय का 39 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा में था। इससे अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और अनुवीक्षण का पता चला।

अनुदान संख्या 13 के नियंत्रण अधिकारियों ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत निधियों की विमुक्ति विलम्ब में की गई थी और बिल भी फरवरी एवं मार्च में विलम्ब से प्राप्त हुए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार को निधियों की समय से विमुक्ति और उसके उपयोग के लिए कार्रवाई की पहल करना चाहिए। अनुदान संख्या 74 के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त और सितम्बर 2011); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.5 निष्कर्ष

2010-11 के दौरान ₹ 73,437 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 61,228 करोड़ का व्यय किया गया था। 2010-11 के दौरान ₹ 14,479 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 12,209 करोड़ की समग्र बचत हुई थी। मुख्य बचतें वित्त, आवास एवं पर्यावरण, लघु सिंचाई, उच्च शिक्षा, विधि और विधायी कार्य विभाग इत्यादि से संबंधित थीं। ₹ 1,058 करोड़ की एक राशि लोक लेखे में सिविल जमा में अन्तरित की गई थी और ₹ 3,648 करोड़ वित्तीय वर्ष में अंतिम दिवस पर समर्पित किए गए थे। वित्तीय वर्ष के अंतिम चरणों में व्यय की बहुलता भी थी। 30 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान से अधिक बचत/आधिक्य हुए।

2010-11 के दौरान किए गए ₹ 12.62 करोड़ और 1993-94 से 2009-10 तक की अवधि से संबंधित ₹ 4,815.41 करोड़ के आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन आवश्यक थी।

2.6 अनुशंसाएं

समस्त सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण को व्यय के उचित अनुवीक्षण, निधियों के समय से समर्पण और वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की बहुलता का परिहार करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए। निधियों के अत्यधिक/अनावश्यक अनुपूरक और पुनर्विनियोग को टालना चाहिए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधियों के पुनर्विनियोग/समर्पण को भी टाले जाने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष की नितान्त समाप्ति पर लेखे में व्यय को अंतिम रूप से दर्शाए जाने के पश्चात, सिविल जमा के अंतर्गत निधियों के अंतरण की पद्धति की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। 1993-94 से लंबित आधिक्य व्यय के नियमितीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।



तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

वित्तीय नियमों के अनुपालन के आधार पर एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सम्बन्धी सूचना गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। इस अध्याय में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभागों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विहंगावलोकन तथा अनुपालन की स्थिति दी गयी है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलंब

सशर्त अनुदानों के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों की उचित उपयोगिता के बारे में एक औपचारिक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। 31 मार्च 2011 के अनुसार 42,204 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए ₹ 16,286.97 करोड़ बकाया थे। पिछले तीन वर्षों की स्थिति तालिका 3.1 में दी गयी है।

तालिका-3.1: उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2008-09 तक	30622	7,987.03
2009-10	8139	1,396.40
2010-11	3443	6,903.54
योग	42204	16,286.97

3.2 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, शहरी विकास आदि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की है। राज्य में 48 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति परिशिष्ट-3.1 में दर्शाए गए है। नियंत्रक महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा सौंपने के उपरान्त स्वायत्तशासी निकायों की आवृत्ति व्याप्ति के अनुसार लेखापरीक्षा को लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में तथा विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण में विलंब का सारांश तालिका - 3.2 में दिया गया है।

तालिका-3.2 : लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पटल पर प्रस्तुती में विलंब

लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में विलंब (माहों में)	स्वायत्तशासी निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्तशासी निकायों की संख्या
0 - 1	--	संचालक मंडल द्वारा लेखाओं का अनुमोदन न किया जाना तथा अन्य द्वारा लेखे प्रस्तुत न करना। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण करने हेतु इकाइयों तथा मंत्रालय के साथ पत्राचार किया जा रहा है।	0 - 1	02
1 - 6	--		1 - 2	--
6 - 12	--		2 - 3	01
12 - 18	01		3 - 4	--
18 - 24	--		4 - 5	--
24 और उससे अधिक	46		5 एवं उससे अधिक	--
योग	47			

48 इकाइयों में, से 45 इकाइयों ने अपने लेखाओं को, इकाई के आरम्भ से (1997-98 से 2006-07), चार से 12 वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किए तथा तीन इकाइयों ने अपने लेखे, संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन न किए जाने तथा अन्य द्वारा लेखे की प्रस्तुती न करने के कारण, नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए (परिशिष्ट 3.1)।

3.3 दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि

सरकार ने मार्च 2011 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के 3164 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 46.21 करोड़ का सरकारी धन समाविष्ट है, पर अंतिम कार्यवाही लंबित थी। ₹ 13.86 करोड़ एवं ₹ 27.40 करोड़ के बहुत से प्रकरण, क्रमशः वानिकि एवं वन्य जीवन तथा स्कूल शिक्षा विभाग के लिये वसूली/नियमितिकरण हेतु लंबित थे। 2010-11 हेतु दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के लंबित प्रकरणों तथा अपलेखनों का विभागानुसार विवरण तथा उनका समयानुसार विश्लेषण परिशिष्ट - 3.2 तथा परिशिष्ट - 3.3 में दिए गये हैं एवं इन प्रकरणों की प्रकृति परिशिष्ट - 3.4 में दी गई है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लंबित प्रकरणों की संख्या का सारांश तालिका - 3.3 में दिया गया है।

तालिका - 3.3 : दुर्विनियोग, हानियों, गबन आदि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्षों में वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)
0 - 5	468	32.69	चोरी	227	2.20
5 - 10	501	3.48			
10 - 15	506	5.11	सामग्री का दुर्विनियोग/ हानि	2937	44.01
15 - 20	439	1.75			
20 - 25	710	1.91			
			योग	3164	46.21
25 और उससे अधिक	540	1.27	वर्ष के दौरान अपलेखन किए गए हानियों के प्रकरण	30	4.09 लाख
योग	3164	46.21			

2010-11 के दौरान अपलेखन की गई ₹ 4.09 लाख की राशि को समाविष्ट करते हुए हानियों के 30 प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट - 3.3 में दिया गया है।

आगे और विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित थे उनको तालिका - 3.4 में सूचीबद्ध संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका - 3.4 : दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के बकाया प्रकरणों के कारण

विलंब/बकाया लंबित प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	7	0.07
(ii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3156	46.11
(iii)	न्यायालयों में लंबित	1	0.03
योग		3164	46.21

3.4 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब, विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना तथा अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना

3.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि चालू माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक व्यय प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय के देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। 31 मार्च 2011 को 1996-97 से लेकर 2010-11 तक की अवधि से संबंधित ₹ 21.43 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के बकाया शेष थे। वर्षवार ब्यौरे तालिका-3.5 में दिए गए हैं।

तालिका 3.5:- संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति लंबित होना

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	वर्ष	बकाया संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की राशि
1	1996-1997	0.16
2	1997-1998	0.03
3	1998-1999	2.42
4	1999-2000	4.28+4.03 ¹
5	2000-2001	1.70
6	2001-2002	0.003
7	2002-2003	निरंक
8	2003-2004	निरंक
9	2004-2005	4.60 ²
10	2005-2006	2.74 ²
11	2006-2007	0.03+0.25 ²
12	2007-2008	0.01
13	2008-2009	0.007
14	2009-2010	0.02
15	2010-2011	1.15
योग		21.43

2010-11 तक के वर्षों के लिए विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के ब्यौरे परिशिष्ट-3.5 में दिए गए हैं।

3.4.2 प्राप्ति एवं व्यय का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा इसे बजट अनुदानों के भीतर रखने और अपने लेखाओं की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को अधिकार-संपन्न बनाने हेतु कोषालय संकलन की नियमावली (द्वितीय संस्करण 2007), में यह अनुबद्ध है कि उनकी पुस्तकों में अंकित व्यय का मिलान उनके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक माह महालेखाकार की पुस्तकों में अंकित व्यय से किया जाय। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2010-11 के दौरान भी इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा। 10 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने मार्च 2011 तक ₹ 808.08 करोड़ की व्यय की राशि का मिलान नहीं किया। इनमें से पाँच नियंत्रण अधिकारियों के मामलों में कुल ₹ 799.42 करोड़ की

¹ मुख्य शीर्ष 2202 से संबंधित ₹ 4.03 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक आग में नष्ट हो गये जो 29.2.2000 को लगी थी और इसके विवरण उपलब्ध नहीं है।

² मुख्य शीर्ष 2070 (राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी) से संबंधित ₹ 4.60 करोड़, ₹ 2.74 करोड़ एवं ₹ 0.25 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक के विवरण, गबन मामले की अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख जब्त कर लिये जाने के कारण, उपलब्ध नहीं है।

राशियों का मिलान नहीं किया गया जैसा कि तालिका-3.6 में दर्शाया गया है। मुख्यतः सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा राशियों का मिलान नहीं किया गया।

तालिका-3.6 : नियंत्रण अधिकारियों की सूची जिनके अधीन 2010-11 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ से अधिक की राशियों का मिलान नहीं किया गया
(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	नियंत्रण अधिकारी	मिलान न की गई राशि
1	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल	327.91
2	सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल	25.99
3	आयुक्त, इंदौर	10.22
4	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	262.23
5	मुख्य प्रधान, वन संरक्षक, भोपाल	173.07
योग		799.42

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को महालेखाकार द्वारा लेखांकित आँकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियाँ ₹ 52,257 करोड़ के विरुद्ध, ₹ 17,698 करोड़ (केवल 34 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किये गये थे।

3.4.3 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अस्थाई अग्रिमों का आहरण या तो स्थाई आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट संस्वीकृतियों के आधार पर करते हैं। राज्य वित्त विभाग के अनुदेशों (अक्टूबर 2001) के अनुसार, दौरे अथवा आकस्मिक व्यय के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए अस्थाई अग्रिमों को तीन माह के भीतर अथवा वित्त वर्ष के अन्त तक, जो भी पहले हो, समायोजित किया जाना चाहिए। अन्यथा जिम्मेवार कर्मचारी/अधिकारी से भारतीय स्टेट बैंक की आवधिक जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011) के दौरान और विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (जिस सीमा तक उपलब्ध थी) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2011 तक कुल ₹ 9.43 करोड़ के 2463 अग्रिम, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके अभिलेखों में समायोजन के लिए लंबित थे। एक से लेकर 10 वर्षों से अधिक की अवधि वाले अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने के कारणों को संबंधित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया। लंबित अग्रिमों का समयवार विश्लेषण तालिका-3.7 में दिया गया है।

तालिका-3.7 लंबित अग्रिमों का समयानुसार विश्लेषण

सरल क्रमांक	लंबित अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	10 वर्षों से अधिक	278	9.84
2	पाँच वर्षों से अधिक और 10 वर्षों तक	225	11.76
3	एक वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्षों से कम	682	322.63
4	एक वर्ष से कम	1278	598.61
योग		2463	942.84

3.4.4 लेखाओं के संप्रेषण में विलम्ब

महालेखाकार को कोषालय, लोक निर्माण संभाग और वन संभाग द्वारा भेजे जाने वाले लेखाओं में औसतन चार से सात दिनों का विलम्ब रहा। लेखाओं के संकलन में विलम्ब से बचने के लिये कोषालय एवं संबंधित विभागों द्वारा समय से लेखाओं का सम्प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.5 वैयक्तिक जमा लेखे

वैयक्तिक जमा लेखाओं का सृजन लोक लेखे में राज्य की समेकित निधि के नामे (डेबिट) के द्वारा किया जाता है और उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। 31 मार्च 2011 को 55 जिला कोषालयों में 812 वैयक्तिक जमा लेखे विद्यमान थे (सरकारी: 806, अर्ध सरकारी: 06) जिनमें ₹ 2062.78 करोड़ के शेष थे। इनमें से 315 वैयक्तिक जमा लेखाओं, जिनमें ₹ 267.12 करोड़ के शेष थे, 2010-11 के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ था। वैयक्तिक जमा लेखाओं में अंतिम शेषों से यह प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे डालकर वैयक्तिक जमा लेखाओं को बंद करने संबंधी मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 उप-नियम 543 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम-6 के अनुसार कोषालय से आहरित सरकारी धन को सरकारी लेखे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 के अनुसार कोषालय से धन का कोई आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। वित्त विभाग के अनुदेशों के अनुसार (फरवरी 2009) सभी बैंक लेखाओं को 28 फरवरी 2009 तक बंद किया जाना चाहिए था और राशि को सरकारी लेखे में अंतरित किया जाना चाहिए था। कोई भी वैयक्तिक जमा लेखा वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना जारी नहीं रखना था। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 के उप-नियम 543 के नीचे सरकारी अनुदेश 2 (क से घ तक) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वैयक्तिक जमा लेखे के प्रशासक द्वारा कोषालय अभिलेखों और कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष

का मिलान कराना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने के लिए धन (+) और ऋण (-) के ज्ञापन प्रतिमाह तैयार करने चाहिए। उप-कोषालय, महू और चयनित वैयक्तिक जमा लेखे के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च और जुलाई 2011) से निम्न तथ्य प्रकट हुए:

(i) सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, बैतूल के वैयक्तिक जमा लेखे 21 से वर्ष के दौरान आहरित किए गये, ₹ 17.02 करोड़ में से, सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण, बैतूल के भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाते में, 2010-11 के दौरान, ₹ 17 करोड़ अंतरित किए गए थे, जो कि वित्त विभाग के अनुदेशों (फरवरी 2009) और मध्य प्रदेश वित्त संहिता, भाग-1 के नियम-6 का उल्लंघन था। रोकड़ पुस्तक के अनुसार ₹ 16.15 करोड़ की राशि (₹ 15.83 करोड़ बैंक लेखे में और ₹ 0.32 करोड़ वैयक्तिक जमा लेखे में) 31 मार्च 2011 को अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त, बैंक के लेखे में जमा राशि में (रोकड़ पुस्तक: ₹ 15.83 करोड़, बैंक अभिलेख: ₹ 26.30 करोड़) ₹ 10.47 करोड़ का अंतर था और वैयक्तिक जमा लेखे (कोषालय: ₹ 49 लाख, रोकड़ पुस्तक: ₹ 33 लाख) में ₹ 16 लाख का अंतर था। ये इंगित करते हैं कि वैयक्तिक जमा लेखे के प्रशासक ने रोकड़ शेषों का मिलान नहीं किया था। विभाग ने बताया (जुलाई-2011) कि निर्माण एजेन्सियों को भुगतान करने के लिए वैयक्तिक जमा लेखे से धन का आहरण किया गया था, परन्तु देयकों के प्राप्त न होने के कारण और निर्माण कार्यों का मूल्यांकन न होने के कारण पूरा भुगतान नहीं किया जा सका तथा राशि को बैंक लेखे में रखा गया। शेषों का समाधान बैंक और कोषालय से भी कर लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने वित्त विभाग के अनुदेशों और कोषालय के अभिलेखों से शेषों के समाधान, वैयक्तिक जमा लेखे को बंद करने और बैंक लेखे में निधियों के अंतरण से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं किया। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2011)।

(ii) 31 मार्च 2011 को, पाँच भू-अर्जन अधिकारियों³ के वैयक्तिक जमा लेखे में ₹ 161.93 करोड़ के शेष या तो प्रतिपूर्ति-प्राप्तकर्ताओं को प्रतिपूर्ति के संवितरण के लिए अथवा सरकारी संस्थाओं को वापस करने के लिए पड़े हुए थे। वैयक्तिक जमा लेखे न तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंद किए गए थे और न ही उनको जारी रखने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। भू-अर्जन अधिकारियों द्वारा वैयक्तिक जमा लेखे में पड़ी हुई निधियों के योजनावार ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 31 मार्च 2011 को चार भू-अर्जन अधिकारियों⁴ से संबंधित वैयक्तिक जमा लेखे के शेष में ₹ 22.54 करोड़ का अंतर रोकड़ पुस्तक और कोषालय अभिलेखों के आँकड़ों

³ भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी (₹ 2.00 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, धार (₹ 58.90 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगाँव, खरगौन (₹ 3.14 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा (₹ 36.09 करोड़) और जिला भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर (₹ 61.80 करोड़)

⁴ भू-अर्जन अधिकारी, धार (₹ 11.53 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगाँव, खरगौन (₹ 0.09 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा (₹ 5.91 करोड़) और जिला भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर (₹ 5.01 करोड़)

के मध्य था। इससे यह प्रकट हुआ कि प्रशासक ने न तो कोषालय अभिलेखों से शेषों के मिलान के संबंध में अनुदेशों का पालन किया और न ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को धन (+) और ऋण (-) के ज्ञापन प्रस्तुत किए। विभाग ने बताया कि अंतर के मिलान की प्रक्रिया भविष्य में अपनाई जाएगी।

भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा द्वारा 2010-11 के दौरान ₹ 39.90 करोड़ की राशि का एक बैंक वैयक्तिक जमा लेखे जी-14 से शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मुंडी के पक्ष में इन अनुदेशों के साथ जारी किया गया था कि प्राप्तकर्ताओं के बैंक लेखे खोलने के पश्चात प्राप्तकर्ताओं की सूची के अनुसार भुगतान करें। प्राप्तकर्ताओं को संवितरित राशि से संबंधित कोई अभिलेख, संवितरण के लिए पड़े हुए शेष और संवितरण नहीं किए जाने के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। ₹ 39.90 करोड़ की राशि से संबंधित वास्तविक स्थिति इस कारण से लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2011)।

(iii) संचालक, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैवकीय संस्थान (जैविक उत्पाद संस्थान) महु, इंदौर के नाम से 2006-07 में एक वैयक्तिक जमा लेखा खोला गया था। 2006-07 से 2008-09 तक के दौरान, ₹ 12.37 करोड़ वैयक्तिक जमा लेखे में जमा किए गए थे। 2006-09 के दौरान जमा किए गए ₹ 12.37 करोड़ में से, जुलाई 2011 को वैयक्तिक जमा लेखे में ₹ 11.88 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए केवल ₹ 0.49 करोड़ (4 प्रतिशत) ही उपयोग किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.88 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ और तत्संबंधित वर्ष के लेखे में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया जाकर वैयक्तिक जमा लेखे में निधियों का अंतरण, मध्य प्रदेश कोष संहिता, खंड-1, के पूरक नियम 284 के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके अनुसार कोषालय से तब तक धन का कोई आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए उसकी आवश्यकता न हो। मध्य प्रदेश कोष संहिता, भाग-1 के नियम 543 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वैयक्तिक जमा लेखे को बंद नहीं किया गया था। मामले की सूचना सरकार को भेजी गयी थी (अगस्त 2011)। संचालक ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2011) कि वैयक्तिक जमा लेखे को जारी रखने के संबंध में इस मामले में संचालक, पशु-चिकित्सा सेवाएं, मध्य प्रदेश, भोपाल और वित्त विभाग से पत्राचार चल रहा है।

(iv) अनुदान संख्या 56 के अधीन विशेष सहायता योजना-6875 ईरी रेशम उत्पादन तथा विकास योजना के लिए 2005-07 में जारी किए गए ₹ 6.80 करोड़ में से, ₹ 2.28 करोड़ के अव्ययीत शेष 31 मार्च 2011 को, 2008-09 से, संचालक, रेशम उत्पादन, भोपाल के वैयक्तिक जमा लेखे 38 में पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 73 लाख भी जिलों (₹ 42 लाख) और मध्य प्रदेश रेशम संघ बैंक लेखे (₹ 31 लाख) में अव्ययीत पड़े हुए थे। सहायक संचालक, रेशम उत्पादन ने बताया (जुलाई 2011) कि उपर्युक्त धन की वापसी के लिए अनुमति हेतु प्रधान सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, भोपाल को पत्र जारी किया जा चुका है (जुलाई 2009)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशियाँ

अभी भी अव्ययीत पड़ी हुई थीं (जुलाई 2011) और वैयक्तिक जमा लेखे के साथ-साथ बैंक लेखे को भी बंद नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2008-09 से ₹ 3.01 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ और मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 और 543 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।


3.6 निष्कर्ष

₹ 16,286.97 करोड़ की कुल राशि के अनुदानों के संबंध में 42204 उपयोगिता प्रमाणपत्र अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों से प्रतिक्रिया थी। 47 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में 12 से 24 महीनों और उससे अधिक का विलम्ब हुआ था जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही दुष्प्रभावित होती है। ₹ 46.21 करोड़ की राशि की हानियों, दुविनियोजनों इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन में सरकार के अनुपालन में कमी थी। 1996 से 2011 तक की अवधि के लिए संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विरुद्ध ₹ 21.43 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रतिक्रिया थे। मध्य प्रदेश कोष संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹ 2,063 करोड़ 812 वैयक्तिक जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे। दस विभागों के नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में ₹ 808 करोड़ के व्यय का लेखा-मिलान न होना और ₹ 52,257 करोड़ की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियों के 66 प्रतिशत का लेखा-मिलान न होना भी ध्यान में आया। इन समस्त कमियों ने विभागों में आन्तरिक नियंत्रण के अभाव और सरकार द्वारा निष्प्रभावी शासन को प्रतिबिंबित किया है।

3.7 अनुशंसाएं

दुर्विनियोजनों, हानियों इत्यादि के प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करनी चाहिए। स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के समयोचित प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2011 को विशाल शेषों वाले व्यक्तिगत जमा लेखों को बंद करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए तथा निधियों को समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए। विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व में जारी किए गए अनुदानों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करने के पश्चात ही निधियाँ जारी की जाएं। 2010-11 की समाप्ति पर बकाया रहे अस्थायी अग्रिमों की वसूली/समायोजन उसी समय किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के लिए विभिन्न विभागों में आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।

ग्वालियर
दिनांक


(के.के. श्रीवास्तव)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(संदर्भ : मध्य प्रदेश की रूपरेखा, कंडिका 1.6.1, 1.8.2 ; पृष्ठ 1,12,30)

राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)

क	सामान्य आंकड़े ¹		आंकड़े
सरल क्र.	विवरण		
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़
	ख.	2010-2011	7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या ² (अखिल भारतीय औसत=27.5 प्रतिशत)		38.30 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	70.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ³ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत =50 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		67
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा ⁴ (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)		58 वर्ष
8	जिनी कोएफिशियेन्ट ⁵		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.30)	0.27
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय=0.37)	0.39
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2010-11		₹ 2,71,681 करोड़
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (2001-02 से 2010-11)		13.51 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर प्रति व्यक्ति (2001-02 से 2010-11)		10.04 प्रतिशत
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (2001-02 से 2009-10)	मध्य प्रदेश	10.62 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	13.37 प्रतिशत
13	जनसंख्या वृद्धि दर (2001-11)	मध्य प्रदेश	20.30 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	17.56 प्रतिशत
ख.	वित्तीय आंकड़े ⁶		
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)	
	संयोजित वार्षिक वृद्धि दर	2001-02 से 2009-10	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
			2001-02 से 2010-11
			मध्य प्रदेश
क	राजस्व की प्राप्ति के	15.20	17.74
ख	स्वयं के कर के राजस्व के	14.53	17.73
ग	कर भिन्न राजस्व के	13.87	18.86
घ	कुल व्यय के	13.53	14.23
ङ	पूँजीगत व्यय के	22.61	23.42
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	12.41	14.48
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	11.97	11.41
ज	वेतन एवं भत्तों के	12.59	11.98
झ	पेन्शन के	14.09	14.93

1 सामान्य आंकड़ों के स्रोत

2 गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन एस एस ओ डाटा, 61वां चक्र)

3 शिशु मृत्यु दर (एस आर एस बुलेटिन, जनवरी 2011)

4 जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11)

5 जिनी कोएफिशियेन्ट (योजना आयोग का अशासकीय अनुमान तथा एन एस एस ओ डाटा, 61वां चक्र 2004-05 एम आर पी) जिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। जहाँ मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है, एक के नजदीक असमानता ज्यादा है।

6 वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे के आंकड़े पर आधारित हैं।

परिशिष्ट - 1.2

(संदर्भ : कड़िका 1.1 ; पृष्ठ 1)

भाग क: शासकीय लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप

शासकीय लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा

भाग I : संचित निधि:- राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विपत्र जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धन राशियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि नामक एक समेकित निधि का निर्माण करती हैं।

भाग-II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गए एक अग्रदाय के रूप में होती है जिससे वह विधानमंडल के अनुमोदन के लंबित होने की स्थिति में अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिमों की व्यवस्था कर सकता है। बाद में ऐसे व्यय के लिए एवं संचित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की पूर्ति की जाती है।

भाग-III : लोक लेखा :- कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को जो संचित निधि के भाग का निर्माण नहीं करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट - 1.2 भाग ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण	रूपरेखा
	वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है। भाग-1 में सामान्य रूप से समझाने योग्य संक्षिप्त पत्रकों में सरकार के वित्तीय विवरण हैं, जबकि इनके विस्तृत विवरण भाग-2 में दिए गए हैं। खण्ड -I भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र सहित चार संक्षिप्त पत्रक जैसा नीचे वर्णित है एवं लेखांकन नीतियों को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी से संबंधित है।
विवरण पत्रक क्र.1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े जो कि वर्षान्त में थे विवरण में प्रदर्शित किए गए हैं। प्रगामी पूंजीगत परिव्यय जो सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है परिसम्पत्तियां वृहद् रूप से सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाले प्रगामी पूंजीगत व्यय के आंकड़ों सहित वित्तीय परिसम्पत्तियां हैं। परिसम्पत्तियां लेखांकन नीतियों के अनुसार ऐतिहासिक मूल्यों पर प्रदर्शित की गई है।
विवरण पत्रक क्र.2	प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का विवरण: यह संक्षिप्त विवरण है जिनमें सरकार के लेखों जो तीन भागों में रखे जाते हैं यथा समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में वर्ष के दौरान सरकार की समस्त प्राप्तियां और व्यय को प्रदर्शित करती है। पुनः समेकित निधि में राजस्व और पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियों और व्यय को पृथक रूप से दर्शित किया गया है।
विवरण पत्रक क्र.3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि): इस विवरण में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा ऋण के रूप में भारत सरकार से, अन्य संस्थाओं से, बाजार से सरकार द्वारा लिए ऋण तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूलियों की प्राप्तियों का समावेश है।

विवरण पत्रक क्र.4	व्यय का विवरण (समेकित निधि): यह विवरण न केवल क्रियात्मक रूप से व्यय के विवरण देता है अपितु कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का उद्देश्य) के रूप में व्यय के संक्षिप्तीकरण को भी प्रस्तुत करता है।
इसके अतिरिक्त खण्ड में एक परिशिष्ट भी सम्मिलित है। परिशिष्ट-I जो नकद शेष तथा नकद शेषों के निवेश का एक विवरण पत्र है। खण्ड II में तीन भाग हैं। भाग I में निम्नानुसार छः विवरण पत्रक हैं:	
विवरण पत्रक क्र.5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण: इस विवरण में क्रियात्मक रूप से विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय दर्शित है, जिसका योग विवरण संख्या - 1 में दिया गया है।
विवरण पत्रक क्र. 6	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण: सरकार द्वारा लिए उधार में सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण), भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित है। यह दोनों एक साथ में सरकार के लोक ऋण के भाग है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरण अन्य दायित्वों को दर्शाता है जो कि लोक लेखे के विभिन्न खण्डों के शेष हैं। पश्चात्वर्ती के संबंध में सरकार निधियों के न्यासी और ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, एतदर्थ यह सरकारी दायित्व का विनिर्माण करती है। इस विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टीप यथा राजस्व प्राप्तियों से प्रतिपूरित निवल ब्याज की मात्रा पर टीप निहित है।
विवरण पत्रक क्र. 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज का विवरण: राज्य सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा अग्रिम विवरण संख्या 1 में दिए गए हैं तथा प्राप्तियों और संवितरण विवरण संख्या 2,3 तथा 4 में दर्शित हैं। यहाँ सेक्टर तथा ऋणी समूहवार ऋण एवं अग्रिमों का संक्षिप्तीकरण किया गया है। इसके नीचे ऋणों के संदर्भ में बकाया कटौतियां है, जिसके विस्तृत ब्यौरे महालेखाकार कार्यालय व राज्य सरकार के विभागों द्वारा संधारित किए जाते हैं, की टीप भी दी गई।
विवरण पत्रक क्र. 8	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों का विवरण: समूहवार ग्राहीता संस्थाओं द्वारा संगठित किया जाता है। इसमें सामग्री के रूप में दी गई सहायता अनुदान पर टीप भी सम्मिलित है।
विवरण पत्रक क्र. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण: वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, स्थानीय संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा उद्भूत ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गारंटी तथा वर्ष की परिसमाप्ति पर लंबित गारंटी राशियों को इस पत्रक में दर्शाया गया है।
विवरण पत्रक क्र. 10	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण: यह विवरण सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय को प्रस्तुत करता है।
खण्ड II भाग II: इस भाग में खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरण पत्रकों की तदनुसूची 9 विवरण पत्रक है, जो लघु शीर्ष वार विस्तृत लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं।	
विवरण पत्रक क्र.11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार ब्यौरेवार विवरण: यह विवरण सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों को विस्तार से प्रदर्शित करता है।
विवरण पत्रक क्र.12	राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार ब्यौरेवार विवरण: यह विवरण विस्तार में सरकार के राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है। आयोजन एवं आयोजनेत्तर आंकड़े पृथक से दर्शित करते हुए इनका पूर्व वर्षों के आंकड़ों से तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण पत्रक क्र.13	पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण: इस विवरण सरकार के पूंजीगत व्यय के विवरणों को विस्तार से प्रदर्शित करता है। आयोजना एवं आयोजनेतर आंकड़ों को पृथक से प्रदर्शित करते हुए पूर्व वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वर्षान्त तक संचयी पूंजीगत व्यय को भी इसमें दिखाया जाता है।
विवरण पत्रक क्र.14	सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण: इस विवरण में चालू तथा पूर्व वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अंशपूंजी तथा ऋणपत्र में शासकीय निवेश की स्थिति प्रदर्शित की गई है। विवरण में शेयरों के प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।
विवरण पत्रक क्र.15	उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण: लघुशीर्ष स्तर तक उधारों के विवरण (सरकार द्वारा उठाये गए बाजार ऋण तथा भारत सरकार से कर्जे आदि) उनकी परिपक्वता, सभी ऋणों के पुनर्भुगतान की रूपरेखा इस विवरण पत्रक में प्रस्तुत की गई है। यह खण्ड-II के भाग - I के विवरण 6 के तदनुरूपी विस्तृत विवरण है।
विवरण पत्रक क्र.16	सरकार द्वारा दिये गये कर्जे एवं पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण: सरकार द्वारा दिये गये कर्जे एवं पेशगियों, के ब्यौरे कर्ज के शेषों में परिवर्तन, अपलिखित कर्जे, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि के विस्तृत विवरण इस पत्रक में दर्शित किए गए हैं। यह आयोजना कर्जों को भी पृथक से दर्शित करता है। यह खण्ड - II भाग - I के विवरण संख्या 7 के तदनुरूपी विस्तृत विवरण है।
विवरण पत्रक क्र.17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं अनुपयोग का ब्यौरेवार विवरण: पूंजीगत एवं अन्य व्यय, (राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोत) इस विवरण पत्रक में दिखाये गए हैं।
विवरण पत्रक क्र.18	आकस्मिकता निधि, लोक लेखा और अन्य लेन-देनों का ब्यौरेवार विवरण: यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि में वर्ष के दौरान परिवर्तनों निधि को विनियोजन, व्यय, प्रतिपूरित राशि इत्यादि को दर्शाता है। यह लोक लेखा में लेन-देनों का विस्तृत विवरण भी दर्शाता है।
विवरण पत्रक क्र.19	उद्दिष्ट शेषों के विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक: यह विवरण पत्रक लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित निधियों से किए गए निवेश को दर्शाता है।
खण्ड II भाग III: इस भाग में परिशिष्ट है।	

परिशिष्ट - 1.2 समाप्त
(संदर्भ : कंडिका 1.1 ; पृष्ठ 2)
भाग-ग

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2011 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-) 2.38	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94(क)	45.49	11.55	102.46 (ख)	17 एवं 18
4. उच्चत एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18 (ग)	18
II- परिसम्पत्तियां					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75 (घ)	5 एवं 13
2. ऋण एवं अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.62 (ङ.)	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1487.76	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें ।

- (क) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कुल ₹657.94 करोड़ में से ₹498.44 करोड़ छोड़ दिये गये ।
- (ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (ग) विवरणों के अभाव में मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।
- (घ) ₹478.85 करोड़ की प्रोफार्मा कमी के कारण ₹9267.59 करोड़ के आकड़ों में अन्तर ।
- (ङ.) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों /विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्य प्रदेश में रोककर रखे गये ।

परिशिष्ट - 1.3

(संदर्भ : कण्डिका 1.1 ; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली

भाग -क

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम (परिशिष्ट-1.3 का भाग-ख) के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति आदि आधार में परिवर्तन आदि की गति के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है;

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	144577	161479	196556	227065	271681
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	16.34	11.69	21.72	15.52	19.65
(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित अनुसार)					

*2006-11 अवधि के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों में संशोधन किये गये हैं तदनुसार 2006-11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न पैरामीटर का प्रतिशत सम्बन्धी अनुपात/उत्प्लावकता में भी संशोधन किये गये हैं।

राजकोषीय संचय की प्रवृत्ति तथा पद्धति के मूल्यांकन में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार है:

शब्द	गणना का आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदण्ड की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर
मानदण्ड (भ) की अन्य मापदण्ड (म) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर/मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(ऋणों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल ऋण तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-ऋण के परिहार की कमी हेतु विनियोग के अन्तर्गत विकलनों को छोड़ कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को घटा कर राजस्व प्राप्तियां

परिशिष्ट - 1.3 जारी

भाग - ख

(संदर्भ : कण्डिका 1.1 ; पृष्ठ 1)

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था। अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

- प्रत्येक वित्त वर्ष में राजस्व घाटा कम करना जिससे कि 31 मार्च 2009 तक यह समाप्त हो जाये और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष निर्मित हो जाए,
- प्रत्येक वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम करना जिससे कि 31 मार्च 2009 तक यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत से अधिक न हो। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की सीमा में सभी राज्यों को चार प्रतिशत की राहत दी है,
- यह सुनिश्चित करना कि 10 वर्षों की अवधि में अर्थात् 31 मार्च 2015 तक उक्त वर्ष के लिये कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो और
- वार्षिक संवृद्धिता गारंटियों को सीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल गारंटियां पूर्व वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारतीय संघ के बजट अनुमान के सन्दर्भ में केन्द्रीय कर अन्तरण में कमी तथा/अथवा आन्तरिक अशान्ति अथवा प्राकृतिक आपदा अथवा ऐसे अन्य अपवादीय आधार जिनका विवरण राज्य सरकार विशेष रूप से दे सके, के कारण इस धारा के अधीन निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने 2010-11 हेतु बजट अनुमान के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण पत्र, (ख) मध्यमकालीन राजकोषीय नीति विवरण पत्र एवं (ग) राजकोषीय नीति विवरण पत्र प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2008-09 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2009-10 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2010-11 हेतु बजट अनुमान मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में प्रस्तुत किये गये हैं (परिशिष्ट - 1.3 भाग-ग)।

परिशिष्ट - 1.3 समाप्त

(संदर्भ : कण्डिका 1.1 ; पृष्ठ 1)

भाग -ग

चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	राजकोषीय संकेतक	2008-09 के लेखे	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	2008-09 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2009-10 पुनरीक्षित अनुमान	2010-11 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	33577.21	43284.39	43443.82	28.91	0.37
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	24380.64	28489.37	29717.59	16.85	4.31
2.1	राज्य कर	13613.50	17441.96	18670.18	28.12	7.04
2.2	केन्द्रीय करों में भागीदारी	10767.14	11047.41	11047.41	2.60	-
3	कर भिन्न राजस्व	3342.86	6262.30	4322.46	87.33	-30.98
4	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	5853.71	8532.72	9403.77	45.77	10.21
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	4974.89	7305.09	8126.77	46.84	11.25
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	78.41	64.32	60.46	-17.97	-6.00
7	निवल लोक ऋण	4591.96	6845.12	7469.54	49.07	9.12
8	लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ	304.52	395.65	596.77	29.93	50.83
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	38552.10	50589.48	51570.59	31.22	1.94
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	29513.88	37976.84	41863.26	28.67	10.23
10.1	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	21892.29	26562.46	29212.64	21.33	9.98
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	7621.59	11414.38	12650.62	49.76	10.83
10.3	राजस्व व्यय जिसमें से					
10.3.1	ब्याज भुगतान	4191.99	4794.10	5051.83	14.36	5.38
10.3.2	आर्थिक सहायता	10479.85	13742.87	15144.95	31.14	10.20
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	8546.59	10611.23	12516.55	24.15	17.96
10.3.4	पेंशन भुगतान	2433.05	3151.85	3305.03	29.54	4.86
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	6713.15	8082.08	8024.72	20.39	-0.71
11.1	आयोजनेत्तर पूँजीगत व्यय	209.70	65.57	31.71	-68.73	-51.64
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	6503.45	8016.51	7993.01	23.27	-0.29
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	1862.19	3883.32	1619.33	108.54	-58.30
12.1	आयोजनेत्तर ऋण एवं अग्रिम	1185.01	3054.67	323.83	157.78	-89.40
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	677.18	828.65	1295.50	22.37	56.34
13	कुल व्यय (3.1+13.2)	38089.22	49942.24	51507.31	31.12	3.13
13.1	आयोजनेत्तर व्यय (10.1+11.1+12.1)	23287.00	29682.70	29568.18	27.46	-0.39
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	14802.22	20259.54	21939.13	36.87	8.29
14	राजस्व घाटा (1-10)	4063.33	5307.55	1580.56	30.62	-70.22
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-4433.60	-6593.53	-8003.03	48.72	21.38
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	-241.61	-1799.43	-2951.20	644.77	64.01

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ : कण्डिका 1.6, 1.7, 1.10.2, 1.11.3 ; पृष्ठ 8, 14, 33 एवं 37)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
भाग क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	25694	30689	33577	41395	51854
(i) कर राजस्व	10473(41)	12018(39)	13614(41)	17273 (42)	21419(41)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	5261(50)	6045(50)	6843(50)	7724 (45)	10257(48)
राज्य आबकारी	1547(15)	1854(15)	2302(17)	2952 (17)	3603(17)
वाहनों पर कर	634(6)	703(6)	773(6)	919 (5)	1198(6)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	1251(12)	1532(13)	1479(11)	1783 (10)	2514(12)
भू राजस्व	132(1)	129(1)	339(2)	180 (1)	361(2)
माल तथा यात्रियों पर कर	745(7)	916(8)	1333(10)	1333 (8)	1746(8)
अन्य कर	903(9)	839(7)	545(4)	2382 (14)	1740(8)
(ii) कर भिन्न राजस्व	2658(10)	2738(9)	3343(10)	6382 (15)	5720(11)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	8089(31)	10203(33)	10767(32)	11077 (27)	15638(30)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4474(17)	5730(19)	5853(17)	6663 (16)	9077(18)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9	11	24	22	367
2 क. अन्तर्राज्यीय निपटान	1	2	1	3	2
3. ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	28	105	54	23	34
4. कुल राजस्व तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)	25732	30807	33656	41443	52257
5. लोक ऋण प्राप्तियां	4603	3371	6553	8603	7458
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष छोड़ कर)	4172(91)	2832(84)	5399(82)	7258 (84)	6363(85)
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	431(9)	539(16)	1154(18)	1345 (16)	1095(15)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	30335	34178	40209	50046	59715
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	68	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	32225	39896	46460	52353	65675
9. राज्य की कुल प्राप्तियों (6+7+8)	62628	74074	86669	102399	125390
भाग-ख व्यय/संविवरण					
10. राजस्व व्यय	22363(79)	25601(76)	29514(77)	35897 (75)	45012(78)
आयोजना	5452(24)	6806(27)	7622(26)	9838 (27)	12911(29)
आयोजनेत्तर	16911(76)	18795(73)	21892(74)	26059 (73)	32101(71)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	8602(38)	9354(37)	10162(34)	12014 (34)	14647(33)
सामाजिक सेवाएं	7577(34)	8146(32)	10146(34)	12962 (36)	17345(39)
आर्थिक सेवाएं	4880(22)	6537(25)	7431(25)	8371 (23)	10084(22)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1304(6)	1564(6)	1775(6)	2550 (7)	2935(7)
11. पूंजीगत व्यय	5170(18)	6833(20)	6713(18)	7925 (17)	8800(15)
आयोजना	4855(94)	6511(95)	6503(97)	7864 (99)	8657(98)
आयोजनेत्तर	315(6)	322(5)	210(3)	61 (1)	143(2)
सामान्य सेवाएं	71(1)	74(1)	125(2)	119 (1)	179(2)
सामाजिक सेवाएं	722(14)	1141(17)	1295(19)	1178 (15)	1532(17)
आर्थिक सेवाएं	4377(85)	5618(82)	5293(79)	6628 (84)	7089(81)

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
12. ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	953(3)	1155(3)	1861(5)	3817 (8)	3715(6)
12 क. अन्तर्राज्यीय निपटान	1	2	1	3	2
13. योग (10+11+12+12क)	28487	33591	38089	47642	57529
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1732	1677	1961	2394	2529
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों को छोड़ कर)	989	1240	1516	1938	2012
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	743	437	445	456	517
15. आकस्मिक निधि में विनियोग	60	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	30279	35268	40050	50036	60058
17. आकस्मिक निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	30769	39423	45989	50872	62344
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	61048	74691	86039	100908	122402
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटे (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	3331	5088	4063	5498	6842
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	-2755	-2784	-4433	-6199	-5272
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	1274	1407	-241	-1745	-223
भाग घ.अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4029	4191	4192	4454	5049
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	767	898	1087	1434	9117
25. ली गई अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय पेशगियां (दिन)	--	--	2	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	--	0.01/00	--	--
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁷	144577	161479	196556	227065	271681
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	53280	55311	60432	67853	75504
29. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में ब्याज सहित)	866	856	1930	1630	5111
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	12424	12086	11991	11823	8439
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	N.A.	3 ⁸	N.A.	N.A.	N.A.
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध निधियाँ	N.A.	13	N.A.	N.A.	N.A.
भाग-ड राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.24	7.44	6.93	7.61	7.88
स्वयं का कर भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.84	1.70	1.70	2.81	2.11

⁷ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ें अंगीकृत किये गये हैं।

⁸ उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
केन्द्रीय अन्तरण ⁹ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.69	9.87	8.46	7.81	9.10
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पलावकता (प्रतिशत)	1.66	1.32	0.71	0.87	1.05
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.70	20.80	19.38	20.98	21.17
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	110.87	109.46	113.44	115.09	110.94
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	78.51	76.22	77.49	75.35	78.24
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	29.31	28.65	30.65	30.10	33.14
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	34.98	37.85	37.61	38.98	35.93
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	18.15	20.34	17.62	16.63	15.30
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.90	20.12	17.29	16.38	14.99
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+2.30	+3.15	+2.07	+2.42	+2.52
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.91	-1.72	-2.26	-2.73	-1.94
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+0.88	+0.87	-0.12	-0.77	-0.08
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	NA	NA	NA	NA	NA
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.85	13.26	12.88	13.85	14.71
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	40.04	34.25	30.75	29.88	27.79
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	207.36	180.23	179.98	163.92	145.61
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+)3890	(+)2740	(+)3764	(+)2117	(+)8323
ऋण परिशोधन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.99	1.20	0.95	0.84	0.87
V अन्य राजकोषीय स्थिति संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	14.44 (0.18)	59.23 (0.67)	69.05 (0.72)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	5294	7275	6846	10206	12313
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.85	0.94	1.01	0.91	0.82

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं ।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- उपरोक्त दिये गये विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण परिशिष्ट - 1.5 में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिये गये है। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 2707.88 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 2566.64 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2011 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 141.24 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2011 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 34.20 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

⁹ केन्द्रीय अन्तरण में भारत सरकार से प्राप्त संघकर्म/शुल्क एवं सहायता अनुदान समाविष्ट हैं ।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ : कण्डिका 1.2 ; पृष्ठ 2)

भाग -क: वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
2009-10		2010-11	2009-10		2010-11		
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
	भाग -क:राजस्व						
41394.70	I. राजस्व प्राप्तियां	51854.18	35896.90	I. राजस्व व्यय	32100.87	12910.72	45011.59
17272.81	- कर राजस्व	21419.34	12013.78	सामान्य सेवाएं	14533.98	112.70	14646.68
			12961.85	सामाजिक सेवाएं	9488.38	7857.02	17345.40
6382.04	- कर भिन्न राजस्व	5719.77	6267.76	-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	5876.19	2409.80	8285.99
			1582.99	-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1502.28	537.05	2039.33
11076.98	- संघ करों में राज्य का अंश	15638.51	1141.35	- जलपूर्ति, सफाई, गृह निर्माण तथा शहरी विकास	640.59	955.25	1595.84
1532.87	- आयोजनेत्तर अनुदान	1636.13	68.35	- सूचना तथा प्रसार	73.87	4.05	77.92
			1312.79	- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	280.67	1309.65	1590.32
3102.44	- राज्य आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	4520.92	118.59	- श्रम तथा श्रमिक कल्याण	96.75	48.45	145.20
			2444.12	- समाज कल्याण तथा पोषण	990.02	2592.77	3582.79
2027.56	- केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये अनुदान	2919.51	25.90	- अन्य	28.01	--	28.01
			8371.37	आर्थिक सेवाएं	5689.89	4394.59	10084.48
			2869.16	-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	2261.94	1732.68	3994.62
			2266.57	- ग्रामीण विकास	596.21	2044.88	2641.09
			0.00	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	---

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
				507.51	- सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	431.75	179.11	610.86
				1688.78	- ऊर्जा	1520.86	132.39	1653.25
				351.44	- उद्योग तथा खनिज	190.62	201.16	391.78
				554.30	-परिवहन	630.10	0.66	630.76
				45.60	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.96	42.43	45.39
				88.01	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	55.45	61.28	116.73
				2549.90	सहायता अनुदान तथा अंशदान	2388.62	546.41	2935.03
	II.	भाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा		5497.80	II- भाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत			6842.59
41394.70		योग	51854.18	41394.70	योग			51854.18
		भाग ख						
2422.10	III	स्थाई अग्रिमों तथा नकद शेष निवेश सहित प्रारम्भिक नकद शेष	3912.93		III. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			--
21.69	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	366.54	7924.87	IV. पूंजीगत परिव्यय	142.81	8657.07	8799.88
				119.54	सामान्य सेवाएं	20.73	157.92	178.65
				1177.76	सामाजिक सेवाएं	110.12	1421.91	1532.03
				230.12	- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3.10	268.06	271.16
				78.56	-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2.18	112.69	114.87
				561.58	-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	--	641.55	641.55
				0.00	- सूचना तथा प्रसारण	--	--	--
				258.40	- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण		344.23	344.23
				47.03	- समाज कल्याण तथा पोषण	104.84	53.62	158.46
				2.08	- अन्य सामाजिक सेवाएं	--	1.76	1.76

(₹ करोड़ में)

प्राप्तिया				संवितरण				
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11		
						आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
				6627.56	आर्थिक सेवाएं	11.96	7077.24	7089.20
				27.17	- कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	7.47	218.03	225.50
				433.36	- ग्रामीण विकास	--	921.52	921.52
				2142.12	- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	3433.07	3433.07
				1976.43	- ऊर्जा	4.49	405.14	409.63
				22.75	- उद्योग तथा खनिज	--	28.02	28.02
				1961.27	- परिवहन		2029.35	2029.35
				8.50	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		9.25	9.25
				55.97	- सामान्य आर्थिक सेवाएं		32.86	32.86
23.37	V	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	33.65	3816.88	V. संवितरित ऋण तथा अग्रिम	2755.41	959.32	3714.73
		- विद्युत परियोजनाओं से	---	3563.67	- विद्युत परियोजनाओं के लिये	2699.62	775.83	3475.45
0.15		- सरकारी कर्मचारियों से	0.49	0.01	- सरकारी कर्मचारियों के लिये	0.34	--	0.34
23.22		- अन्यो से	33.16	253.20	- अन्यो के लिये	55.45	183.49	238.94
2.76	VI	अन्तर्राज्यीय निपटान	1.64	2.78	VI. अन्तर्राज्यीय निपटान			1.85
5497.80	VII	राजस्व अधिशेष ऊपर से लाया गया	6842.59	0.00	VII. राजस्व घाटा ऊपर से लाया गया			--
8602.51	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	7457.94	2394.05	VIII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान			2529.23
7257.97		- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	6363.46	1937.79	- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण			2011.62
		अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन			अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन			
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन						

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11		
						आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1344.54		- केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1094.48	456.26	- केन्द्र सरकार को ऋण तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान	--	--	517.61
--	IX	आकस्मिक निधि को विनियोग		--	IX. आकस्मिक निधि को विनियोग	--	--	
--	X	आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि		--	X. आकस्मिक निधि से व्यय	--	--	
52353.12	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	65675.10	50871.84	XI. लोक लेखा प्राप्तियां	--	--	62344.26
1511.72		- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	1737.35	1100.22	- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	--	--	964.42
763.57		- आरक्षित निधियां	1190.83	439.52	- आरक्षित निधियां	--	--	916.16
31457.41		- उच्चत तथा विविध	41810.23	31447.33	- उच्चत तथा विविध	--	--	41724.38
9286.11		- प्रेषण	11212.55	9255.08	- प्रेषण	--	--	10693.36
9334.31		- जमा तथा अग्रिम	9724.14	8629.69	- जमा तथा अग्रिम	--	--	8045.94
--	XII	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से अन्तिम अधिविकर्ष	-	3912.93	XII. वर्ष के अन्त में नकद शेष	--	--	6900.44
				2.67	- कोषालय में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--	--	2.61
				-2043.74	- रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	--	--	-2707.88 ¹⁰
				14.33	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	--	--	14.48
				5939.67	- नकद शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों के निवेश	--	--	9591.23
110318.05		योग	136144.57	110318.05	योग			136144.57

10

भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 2707.88 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 2566.64 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2011 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 141.24 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2011 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 34.20 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.5 जारी

(संदर्भ : कण्डिका 1.10.1 ; पृष्ठ 33)

भाग -ख

31 मार्च 2011 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2010 की स्थिति	देयताएं	31.03.2011 की स्थिति में
42461.81	आन्तरिक ऋण	46813.64
21619.92	ब्याज वाले बाजार ऋण	24877.38
0.38	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.38
128.13	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	116.72
6047.13	अन्य संस्थाओं से ऋण	5570.96
14666.25	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16248.20
--	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	--
--	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से अधिविकर्ष	--
10378.95	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	10955.82
1.88	1984-85 से पूर्व के ऋण	1.88
61.54	आयोजनेत्तर ऋण	57.58
10195.69	राज्य आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	10788.74
19.58	केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	16.85
100.26	केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	90.77
100.00	आकस्मिक निधि	100.00
8450.62	अल्प बचते, भविष्य निधियां आदि	9219.87
4840.24	जमा	6518.51
2100.88	आरक्षित निधियां	2375.56
104.69	उचन्त तथा विविध शेष	191.59
-	प्रेषण शेष	289.33
68437.19		76464.32
	परिसम्पत्तियां	
59121.70	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	67884.70
11686.28	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	12216.04
47435.42	अन्य पूंजीगत परिव्यय	55668.66
11423.66	ऋण तथा अग्रिम	15104.75
7868.85	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	1134.43
3525.07	अन्य विकास ऋण	14941.07
29.74	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	29.25

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

		(₹ करोड़ में)
31.03.2010 की स्थिति	देयताएं	31.03.2011 की स्थिति में
12.80	अग्रिम	12.85
229.85	प्रेषण शेष	--
3912.93	नकद	6900.44
2.67	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	2.61
-2043.74	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	-2707.88 ¹¹
14.33	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	14.48
5559.72	नकद शेष निवेश	9212.17
379.95	आरक्षित निधि निवेश	379.06
-6263.75	सरकारी लेखाओं पर घाटा	-13438.42
-5497.80	(i) चालू वर्ष की कम राजस्व अधिशेष	-6842.59
0.02	(क) अन्तर्राज्यीय निपटान	0.2
3.97	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	1.05
-174.52	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-3.68
	(घ) विविध पूंजी प्राप्ति-अन्य जमा	-329.66
-595.42	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-6263.75
68437.19		76464.32

¹¹ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 2707.88 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 2566.64 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2011 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 141.24 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2011 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 34.20 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ : कंडिका 1.6.1 ; पृष्ठ 10)

कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के अन्तर्गत संग्रहण और उनके संग्रहण पर किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण व्यय का प्रतिशत	वर्ष के लिये अखिल भारतीय औसत का प्रतिशत
क	कर राजस्व						
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2006-07	5357.00	5261.41	48.20	0.92	0.82
		2007-08	5900.00	6045.07	60.36	1.00	0.83
		2008-09	6600.00	6842.99	96.23	1.41	0.88
		2009-10	8012.11	7723.83	85.33	1.10	0.96
		2010-11	9320.00	10362.63	98.35	0.95	अनुपलब्ध
2.	वाहनों पर कर	2006-07	650.00	1378.90	6.41	0.46	2.47
		2007-08	775.00	702.62	7.60	1.08	2.58
		2008-09	1000.00	772.56	5.88	0.76	2.93
		2009-10	900.00	919.01	12.63	1.38	3.07
		2010-11	1050.00	1198.38	31.12	2.60	अनुपलब्ध
3.	राज्य आबकारी	2006-07	1430.00	1546.68	303.79	19.64	3.30
		2007-08	1700.00	1853.83	396.04	21.36	3.27
		2008-09	2075.00	2301.95	505.46	21.96	3.66
		2009-10	2760.00	2951.94	818.34	27.72	3.64
		2010-11	3400.00	3603.42	963.86	26.75	अनुपलब्ध
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2006-07	1000.00	1251.10	36.48	2.92	2.33
		2007-08	1400.00	1531.54	44.54	2.91	2.09
		2008-09	1840.00	1479.29	41.72	2.82	2.77
		2009-10	1560.00	1783.15	51.69	2.90	2.47
		2010-11	1900.00	2515.12	90.65	3.60	अनुपलब्ध
ब	कर भिन्न राजस्व						
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	2006-07	1100.00	923.91	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2007-08	1275.00	1125.39	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2008-09	1200.00	1361.08	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2009-10	1566.00	1590.47	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2010-11	1650.00	2121.49	10.93	0.52	अनुपलब्ध
2.	वानिकी तथा वन्य जीवन	2006-07	450.00	536.50	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2007-08	525.00	608.89	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2008-09	600.00	685.60	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2009-10	850.00	802.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2010-11	1000.00	836.61	786.73	94.04	अनुपलब्ध

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ : कंडिका 1.6.1 ; पृष्ठ 13)

कर भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के कार्यचालन तथा संधारण प्रभारों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	विभाग	कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ	कार्यचालन तथा संधारण व्यय	कार्यचालन तथा संधारण व्यय की तुलना में कर भिन्न राजस्व का अनुपात
1.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	11.94	5.27	2.27
2.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	22.77	34.81	0.65
3.	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	9.07	149.66	0.06
4.	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	886.36	9.34	94.90
5.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	241.60	33.46	7.22
6.	विद्युत तथा ऊर्जा	396.51	10.90	36.38
7.	परिवहन	4.65	284.69	0.02

परिशिष्ट - 1.8

(संदर्भ : कडिका 1.5.2 ; पृष्ठ 8)

2010-11 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ₹25 लाख या इससे अधिक की सीधे अशासकीय संगठनों अथवा स्वैच्छिक संगठनों को अन्तरित निधियां

(₹ लाख में)

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाएं	अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का नाम	भारत सरकार द्वारा विमोचित (2010-11)
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देने की योजना	श्री तुलसी सेवा समिति द्वारा संचालित श्रीतुलसी प्रज्ञाचक्षु हाई सेकंडरी विद्यालय	31.97
2.	कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	युवक कल्याण सेवा प्रशिक्षण संस्थान	34.01
3.	कोचिंग और संबद्ध योजना और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	क्रैस्टर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	30.82
4.	क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के विकास और सुदृढीकरण	श्री दिगंबर जैन मालवा PSAB	30.33
5.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति	46.11
6.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ	91.40
7.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट	25.62
8.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	आदर्श लोक कल्याण (आलोक) संस्थान	58.33
9.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	पांडे शिक्षा समिति	45.70
10.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए सव्यसांची केंद्र	53.45

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स. क्र.	भारत सरकार की योजनाएँ	अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों का नाम	भारत सरकार द्वारा विमोचित (2010-11)
11	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति	46.12
12	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	आदर्श लोक कल्याण (आलोक) संस्थान	59.09
13	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए सव्यसांची केंद्र	53.45
14	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ	51.02
15	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	पांडे शिक्षा समिति	25.61
16	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना	बंधेवाल शिक्षा समिति	29.54
17	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र, भोपाल	35.66
18	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर	34.04
19	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ और सतत शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र, भोपाल	49.94
20	प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एस.आर.सी.एस. के लिए समर्थन	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केंद्र, इंदौर	49.61
21	सार्वजनिक जन भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	आई.एम.सी. सोसायटी ऑफ आई.टी.आई.(w) खंडवा	250.00
22	जनजाति क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण	बंधेवाल शिक्षा समिति	31.20
	योग		1163.02

परिशिष्ट - 1.9

(संदर्भ : कंडिका 1.9.1 ; पृष्ठ 31)

अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, हेतु 31 मार्च 2011 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनियों/निगमों के नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के 31 मार्च के अन्त में संचित	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड,	2008-2009	2.10	1.20	--	3.30	7.48	कृषि तथा सम्बद्ध
2.	म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,	2009-2010	81.09	--	--	81.09	606.24	वित्त
3.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.33	निर्माण
4.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.27	निर्माण
5.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (बिचापुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.27	निर्माण
6.	म.प्र. ए.एम.आर.एल. (मरकी बकरा) कोल कंपनी लिमिटेड	2010-2011	--	--	1.00	1.00	0.28	निर्माण
7.	म.प्र. जे.पी. मिनरल लिमिटेड	2010-2011	--	--	76.54	76.54	1.17	निर्माण
8.	म.प्र. राज्य वित्त निगम	2010-2011	349.08	--	2.06	351.14	237.66	वित्त
9.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	2007-2008	109.96	31.85	--	141.81	1024.52	सेवा
10.	म.प्र. लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2002-03 से 2009-10	5.92	--	--	5.92	6.33	कृषि तथा सम्बद्ध
11.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम लिमिटेड	2007-08	15.12	--	--	15.12	48.41	आधारभूत संरचना
12.	म.प्र. राज्य सेतू निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	5.00	--	--	5.00	2.15	आधारभूत संरचना
13.	ऑप्टेल टेली कम्यूनिकेशन लिमिटेड	2009-10	--	--	23.96	23.96	131.76	निर्माण
14.	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2005-06	6.86	--	--	6.86	106.97	निर्माण
			575.13	33.05	106.56	714.74	2173.84	

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ 49)

विभिन्न अनुदान / विनियोग जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	5922.01	3392.77	57.29
2.	02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	41.59	13.27	31.90
3.	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	5397.71	1501.85	27.82
4.	06	वित्त (पूँजीगत प्रभारित)	12.73	12.41	97.49
5.	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	106.78	74.94	70.18
6.	10	वन (पूँजीगत दत्तमत)	26.00	13.63	52.42
7.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार (पूँजीगत दत्तमत)	120.16	102.34	85.17
8.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	1151.78	248.53	21.57
9.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	23.64	10.73	45.38
10.	21	आवास एवं पर्यावरण (राजस्व दत्तमत)	228.00	146.07	64.07
11.	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूँजीगत दत्तमत)	246.96	95.08	38.50
12.	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	632.83	259.71	41.04
13.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	152.54	85.87	56.29
14.	34	समाज कल्याण (राजस्व दत्तमत)	128.54	43.60	33.92
15.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	343.07	92.05	26.83
16.	43	खेल और युवक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	46.07	19.78	42.93
17.	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	789.32	182.71	23.15
18.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य (पूँजीगत दत्तमत)	730.18	371.67	50.90
19.	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	64.91	31.19	48.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	61.19	25.43	41.55
21.	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (पूँजीगत दत्तमत)	362.27	74.90	20.68
22.	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (पूँजीगत दत्तमत)	57.00	28.50	50.00
23.	62	पंचायत (राजस्व दत्तमत)	116.09	25.09	21.61
24.	63	अल्पसंख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	51.44	20.90	40.63
25.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	107.86	35.89	33.27
26.	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	31.59	18.56	58.75
27.	69	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	53.50	27.71	51.79
योग			17005.76	6955.18	40.90

परिशिष्ट - 2.2(क)

(संदर्भ: कडिका 2.3.3 ; पृष्ठ 52)

अनुदानों / विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-1571-8.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण (ऑक्शन), 2011	3.66	145.17	141.51	3866.39
2.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5025 मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण	0.01	49.02	49.01	490100
3.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5518-8.49 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	53.06	74.14	21.08	39.73
4.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5519-8.40 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	63.00	102.48	39.48	62.67
5.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6055-8.32 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	129.79	259.00	129.21	99.55
6.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6415-8.30 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2012	13.39	65.26	51.87	387.38
7.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6764-6.35 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2013	12.69	38.14	25.45	200.55
8.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6767-5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	12.87	59.67	46.80	363.64
9.	लोक ऋण	6003-111-6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	204.46	456.46	252.00	123.25
10.	लोक ऋण	6004-02-105-6983-12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार समेकित ऋण	सांकेतिक	363.06	363.06	सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आधिक्य
11.	06-वित्त	2071-01-115-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	89.21	165.47	76.26	85.48
12.	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	36.00	51.19	15.19	42.19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	07-वाणिज्यिक कर	2030-02-102-2455- न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	23.00	32.57	9.57	41.61
14.	12-ऊर्जा	6801-190-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	63.00	101.29	38.29	60.78
15.	15-अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2216-03-789-198-0703 इंदिरा आवास योजना	23.72	41.24	17.52	73.86
16.	15-अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-789-198-0103 9249-बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	105.95	154.45	48.50	45.78
17.	23-जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101-5595 अपर ककेटो बांध परियोजना	7.50	24.85	17.35	231.33
18.	23-जल संसाधन विभाग	2700-80-800-6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	7.50	23.26	15.76	210.13
19.	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	8.00	23.60	15.60	195.00
20	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग- 4700-65-796-800-1502 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना) 5090- अपर वेदा परियोजना	9.21	20.19	10.98	119.22
21.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800-0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोगना 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	1.10	12.32	11.22	1020.00
22.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-41-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 2872-बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना	107.55	168.52	60.97	56.69

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 9091- ओंकारेश्वर परियोजना	12.20	29.61	17.41	142.70
24.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2216-03-796-198-0702-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5198-इंदिरा आवास योजना	28.24	48.31	20.07	71.07
25.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-796-102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 198-0102-9249-बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फंड योजना	194.40	267.90	73.50	37.81
26.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-8030- पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	255.00	921.77	666.77	261.48
27.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6068-निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनायें	71.66	94.00	22.34	31.17
28.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	15- सहकारिता विभाग 2425-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना 7895- दाम दुपट योजना	0.01	14.78	14.77	147700.00
29.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-198-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5198- इंदिरा आवास योजना	35.50	60.69	25.19	70.96
30.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2501-06-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 9249- बैकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	174.67	252.67	78.00	44.66
31.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-197-4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	216.44	271.27	54.83	25.33
32.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	0.01	17.29	17.28	172800.00
योग			1962.80	4409.64	2446.84	124.66

परिशिष्ट - 2.2(ख)

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4 ; पृष्ठ 52)

प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ पाँच करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स.क्रं	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5848-6.40 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2018	40.00	निरंक	40.00	100
2.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6804-6.35 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2013	25.45	निरंक	25.45	100
3.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-6056-8.31 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2020	129.05	निरंक	129.05	100
4.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2017	46.80	निरंक	46.80	100
5.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और रोकड़ शेष की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	50.00	निरंक	50.00	100
6.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-7108-एन.टी.पी.सी. और केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों से उधार पर ब्याज (एम.एस. अहलूवालिया कमेटी)	141.52	निरंक	141.52	100
7.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	20.00	निरंक	20.00	100
8.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	5.00	निरंक	5.00	100
9.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	32.47	निरंक	32.47	100
10.	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7.00	निरंक	7.00	100
11.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-अर्थोपाय अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
12.	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779 कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	06	वित्त	2070-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 0224- अन्य व्यय	850.00	निरंक	850.00	100
14.	06	वित्त	2071-01-200-5653- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन भुगतान	34.00	निरंक	34.00	100
15.	06	वित्त	2071-01-101-9999 एकीकृत मध्य प्रदेश	10.24	निरंक	10.24	100
16.	06	वित्त	6075-800-6787- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
17.	06	वित्त	6075-800-6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एम.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
18.	08	भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-800-1301-5193- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम (13वाँ वित्त आयोग)	5.00	निरंक	5.00	100
19.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6856-800-0101-7880 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	100.00	निरंक	100.00	100
20.	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-0701-0921- राष्ट्रीय दलहन विकास योजना	9.34	निरंक	9.34	100
21.	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 4515-789-198-0703- 6099-मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	10.64	निरंक	10.64	100
22.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	60.00	निरंक	60.00	100
23.	21	आवास एवं पर्यावरण	2217-01-001-0101-6706- लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान	138.17	निरंक	138.17	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-2304- निदेशन और प्रशासन	10.11	निरंक	10.11	100
25.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-80-800-1201- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य) 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	15.88	निरंक	15.88	100
26.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-6267- जिला नवाचार कोष (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
27.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-6267- जिला नवाचार कोष (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
28.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-6264- सांख्यिकी अधोसंरचना विकास (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
29.	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-0101-6264- राज्य की सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करना (13वाँ वित्त आयोग)	10.00	निरंक	10.00	100
30.	34	समाज कल्याण	2235-02-001-0101-5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	24.55	निरंक	24.55	100
31.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	20.00	निरंक	20.00	100
32.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-796-800-0102- 5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	6.00	निरंक	6.00	100
33.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 2236-02-796-101-0102- 5548-प्रोजेक्ट शक्तिमान	10.00	निरंक	10.00	100
34.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	5054-04-796-800-0802- 5904-नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सड़कें	54.00	निरंक	54.00	100

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35.	44	उच्च शिक्षा	2202-03-102-0801-6411- बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना	20.00	निरंक	20.00	100
36.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-1401-नाबार्ड (सामान्य) 2304-निदेशन और प्रशासन	10.00	निरंक	10.00	100
37.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101- 6399- इंदिरा सागर परियोजना (इकाई-1)	25.00	निरंक	25.00	100
38.	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 4515-796-198-0702-6099- मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	6.08	निरंक	6.08	100
39.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-5503- आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक कार्य एवं आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	10.00	निरंक	10.00	100
40.	64	अनुसूचित जाति उप योजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-789-800-0103- 5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	9.00	निरंक	9.00	100
41.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-6383 भौमिकी एवं खनिकर्म जिला कार्यालय भवन	8.00	निरंक	8.00	100
42.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6004- भोपाल में निर्माणाधीन एम्स के लिये पारेषण प्रणाली के कार्य	6.55	निरंक	6.55	100
43.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-192-6967- माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन	9.37	निरंक	9.37	100
44.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6086- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	55.48	निरंक	55.48	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-198-0701-6099 मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	13.68	निरंक	13.68	100
46.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-6982- एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	10.15	निरंक	10.15	100
47.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	11.50	निरंक	11.50	100
48.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-6918- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	21.00	निरंक	21.00	100
49.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-80-001-0101-5704- सक्सेस योजना अंतर्गत हाई स्कूलों का सुदृढीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूलों में उन्नयन	10.53	निरंक	10.53	100
योग				6171.56		6171.56	

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5 ; पृष्ठ 53)

पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोग की क्रं. संख्या	आधिक्य की राशि	लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति
1	2	3	4	5
1993-94	19 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 3,8,15,16,20, 24,29,30,42,45,49,58,67, पूंजीगत (दत्तमत): 27,44,57,67,70,73 राजस्व (प्रभारित): 30,51	258.11	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा अभी नहीं की गई।
1994-95	14 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):8, 20, 24,32,58, 63,67 पूंजीगत (दत्तमत): 20,30,42,47,60, 67,73 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण,	407.46	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा अभी नहीं की गई।
1997-98	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):7,20,24, 27,58, 67, पूंजीगत (दत्तमत):20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण, 31,67	302.79	अनुदान संख्या 7 के संदर्भ में ₹23,35,170 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा अभी नहीं की गई।
1998-99	12 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):02,14,20,24,25,27, 50,58,62,67,77 पूंजीगत (दत्तमत):59 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण, 03,20, 29,81	1276.46	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।
1999-2000	11 अनुदान 06 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):14,27,44,50,59, पूंजीगत (दत्तमत):03,23,60,69,75,89 राजस्व (प्रभारित): 6,23,24,30 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21	1584.94	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।
2000-2001	03 अनुदान 04 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02,70 पूंजीगत (दत्तमत): 88 राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	265.07	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।
2001-2002	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20 पूंजीगत(प्रभारित): 06,23	6.26	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई।

1	2	3	4	5
2002-2003	03 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,53,67 राजस्व (प्रभारित): 44,67 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	424.79	अनुदान संख्या 53 के संदर्भ में ₹31,000 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई है।
2003-2004	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 68,84 पूंजीगत (दत्तमत): 35,94 राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	2.54	अनुदान संख्या 68 एवं 84 के संदर्भ में ₹1,23,66,250 अनुदान संख्या 20 के संदर्भ में ₹26,547 तथा अनुदान संख्या 94 के संदर्भ में ₹1,17,05,217 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है।
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत): 06,19,30,59, 66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	83.66	अनुदान संख्या 94 के संदर्भ में ₹35,57,194 तथा अनुदान संख्या 84 एवं 86 के संदर्भ में ₹4,08,87,394 को छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई है।
2005-2006	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):24,67 पूंजीगत(दत्तमत): 06,39 पूंजीगत(प्रभारित): 21,45	37.58	अनुदान संख्या 06 से 39 के संदर्भ में ₹29,22,85,014 छोड़कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है।
2006-2007	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,67 पूंजीगत(प्रभारित): 24	35.99	व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई।
2007-2008		किसी भी अनुदान में अधिक व्यय नहीं है।		
2008-2009	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 62 पूंजीगत(दत्तमत): 43 राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत(प्रभारित): 24	5.80	व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई।
2009-2010	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 03, 27, 32, 49	123.96	व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई।
योग	101 अनुदान एवं 39 विनियोग		4815.41	

परिशिष्ट - 2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 55)

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

सं क्र.	अनुदान की क्र. संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	01- सामान्य प्रशासन	183.42	172.67	10.75	13.83
2.	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	40.08	28.32	11.76	1.51
3.	06- वित्त	4308.55	3895.86	412.69	1089.16
4.	07- वाणिज्यिक कर	1196.18	1175.01	21.17	30.61
5.	10- वन	997.25	978.08	19.17	142.51
6.	15- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1148.54	903.25	245.29	3.24
7.	21- आवास एवं पर्यावरण	221.99	81.94	140.05	6.01
8.	28- राज्य विधान मंडल	41.79	39.89	1.90	6.30
9.	34- समाज कल्याण	114.18	84.94	29.24	14.36
10.	36- परिवहन	46.49	41.49	5.00	4.91
11.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1763.13	1731.18	31.95	210.76
12.	43- खेल और युवक कल्याण	43.15	26.29	16.86	2.93
13.	45- लघु सिंचाई निमाण कार्य	79.75	76.75	3.00	1.00
14.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1383.96	1320.86	63.10	140.54
15.	63- अल्पसंख्यक कल्याण	43.21	30.54	12.67	8.23
16.	69- सूचना प्रौद्योगिकी	41.90	25.79	16.11	11.60
17.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2986.39	2831.72	154.67	282.57
योग राजस्व (दत्तमत)		14639.96	13444.58	1195.38	1970.07
ख - पूंजीगत (दत्तमत)					
18.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.32	0.32	निरंक	0.60
19.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	119.16	17.81	101.35	1.00
20.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1363.12	1344.46	18.66	159.62
21.	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	313.07	251.02	62.05	30.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	680.18	358.51	321.67	50.00
23.	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	357.27	287.37	69.90	5.00
24.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	73.86	71.97	1.89	34.00
25.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	13.43	11.43	2.00	5.00
योग पूंजीगत (दत्तमत)		2920.41	2342.89	577.52	285.22
ग - राजस्व (प्रभारित)					
26.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5051.83	5048.95	2.88	757.33
27.	29-विधि और विधायी कार्य	52.57	48.04	4.53	6.40
योग राजस्व (प्रभारित)		5104.40	5096.99	7.41	763.73
महायोग (क+ख+ग)		22664.77	20884.46	1780.31	3019.02

परिशिष्ट - 2.5

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 55)

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की क्र.संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क - राजस्व दत्तमत					
1.	03- पुलिस	1863.76	402.64	2075.39	191.01
2.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	15.39	11.35	21.12	5.62
3.	05- जेल	133.21	14.43	138.15	9.49
4.	08- भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन	608.54	150.82	641.44	117.92
5.	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	37.07	8.05	38.26	6.86
6.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	147.17	14.74	157.16	4.75
7.	12- ऊर्जा	1532.21	52.96	1581.21	3.96
8.	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	624.19	247.20	787.10	84.29
9.	14- पशुपालन	319.35	148.11	411.54	55.92
10.	16- मछलीपालन	28.65	22.63	42.62	8.66
11.	17- सहकारिता	122.80	80.19	191.59	11.40
12.	18- श्रम	53.70	30.57	74.97	9.30
13.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1286.83	308.80	1409.75	185.88
14.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	314.53	102.99	348.93	68.59
15.	22- नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	89.11	57.96	140.45	6.62
16.	23- जल संसाधन विभाग	504.53	56.44	537.82	23.15
17.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	492.13	157.06	602.78	46.41
18.	25- खनिज संसाधन	16.48	3.90	17.30	3.08
19.	26- संस्कृति	38.13	20.06	54.98	3.21
20.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2530.06	1017.65	3480.35	67.36
21.	29- विधि और विधायी कार्य	326.09	306.74	373.13	259.70
22.	30- ग्रामीण विकास	164.92	35.19	170.46	29.65
23.	31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	57.84	94.70	66.67	85.87
24.	32- जनसंपर्क	82.56	22.35	102.63	2.28
25.	33- आदिम जाति कल्याण	737.06	217.91	877.05	77.92
26.	38- आयुष	153.08	44.89	162.26	35.71

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	687.36	43.90	719.85	11.41
28.	44- उच्च शिक्षा	509.67	279.65	606.61	182.71
29.	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	217.55	61.47	247.64	31.38
30.	49- अनुसूचित जाति कल्याण	46.13	8.68	54.43	0.38
31.	50- 20 सूत्र कार्यान्वयन	3.03	1.46	3.55	0.94
32.	55- महिला एवं बाल विकास	1275.20	262.67	1399.54	138.33
33.	56- ग्रामोद्योग	69.71	5.00	70.98	3.73
34.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	772.59	808.04	1535.19	45.44
35.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित अन्य व्यय	167.20	32.09	185.90	13.39
36.	62- पंचायत	89.92	26.17	91.00	25.09
37.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	1118.54	223.38	1167.51	174.41
38.	65- विमानन	15.33	5.94	18.13	3.14
39.	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	258.75	187.12	440.06	5.81
40.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	298.06	60.99	326.50	32.55
41.	72- भोपाल गैस त्रासदी-राहत एवं पुनर्वास	50.22	171.18	218.76	2.64
42.	73- चिकित्सा शिक्षा विभाग	191.81	54.69	238.28	8.22
43.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3362.40	430.94	3363.64	429.70
44.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर)	802.66	229.53	874.30	157.89
45.	78- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	115.63	34.25	139.61	10.27
46.	79- अपरंपरागत ऊर्जा	----	8.76	8.18	0.58
कुल (क)		22331.15	6566.24	26214.77	2682.62
ख- राजस्व प्रभारित					
47.	01- सामान्य प्रशासन	13.17	6.19	18.59	0.77
48.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर)	0.15	0.60	0.34	0.41
कुल (ख)		13.32	6.79	18.93	1.18
ग- पूंजीगत दत्तमत					
49.	01- सामान्य प्रशासन	8.55	9.41	14.47	3.49
50.	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	17.83	9.24	26.00	1.07
51.	12- ऊर्जा	1236.04	2557.05	3606.59	186.50
52.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21.00	7.11	22.40	5.71

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	397.68	49.47	402.12	45.03
54.	23- जल संसाधन	361.83	658.38	938.16	82.05
55.	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1370.90	399.75	1482.69	287.96
56.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	23.93	36.81	60.46	0.28
57.	30- ग्रामीण विकास	171.87	174.55	343.92	2.50
58.	37- पर्यटन	27.01	10.00	32.86	4.15
59.	44- उच्च शिक्षा	19.58	26.43	44.09	1.92
60.	48- नर्मदा घाटी विकास	688.66	198.90	783.67	103.89
61.	55- महिला एवं बाल विकास	3.61	31.24	34.38	0.47
62.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित अन्य व्यय	516.42	278.46	756.40	38.48
63.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	921.10	138.63	964.24	95.49
64.	65- विमानन	0.10	40.00	39.17	0.93
65.	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	13.70	17.89	27.94	3.65
66.	72- भोपाल गैस त्रासदी-राहत एवं पुनर्वास	5.89	104.42	106.70	3.61
67.	73- चिकित्सा शिक्षा विभाग	3.32	7.55	4.32	6.55
कुल (ग)		5809.02	4755.29	9690.58	873.73
घ- पूंजीगत प्रभारित					
68.	23- जल संसाधन विभाग	0.50	1.84	1.05	1.29
कुल (घ)		0.50	1.84	1.05	1.29
कुल योग (क+ख+ग+घ)		28153.99	11330.16	35925.33	3558.82

अतिरिक्त आवश्यकता :- वास्तविक व्यय - मूल प्रावधान= 35925.33-28153.99=7771.34

परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 55)

विभिन्न अनुदान/ विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान विनियोग	अनुदान/एवं विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पूंजीगत (प्रभारित)							
1.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	8.00	3.00	11.00	23.60	12.60
योग			8.00	3.00	11.00	23.60	12.60

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ: कडिका 2.3.8 ; पृष्ठ 55)

निधियों का अधिक/ अनावश्यक पुनर्विनियोजन / समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) बचत (-)	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	03	पुलिस	2055-109-0109-अतिरिक्त पुलिस संरक्षक, जिनका व्यय निजी कम्पनियों और व्यक्तियों से वसूल किया जाता है	(-)2.93	(+)1.36	46.42
2.	06	वित्त	2054-097-1026-खजाना-स्थापना	(+)4.07	(-)1.65	40.54
3.	06	वित्त	2054-098-4361-बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा	(+)3.11	(-)1.19	38.26
4.	07	वाणिज्यिक कर	2030-02-102-2455 न्यायिकेतर स्टॉप की बिक्री पर व्यय	(-)23.00	(+)32.57	100
5.	19	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण	2211-003-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 0336-ऑक्जीलियरी नर्स मिड वाईफ एवं हेल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	(-)5.79	(+)3.81	65.80
6.	21	आवास एवं पर्यावरण	2059-80-001-3296- मण्डल का स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.परि..)	(+)1.86	(-)1.45	77.96
7.	23	जल संसाधन विभाग	2700-11-101-2894- बांध तथा नहरें	(-)2.35	(+)1.21	51.49
8.	23	जल संसाधन विभाग	2700-80-6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(-)0.27	(+)16.03	100
9.	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101-3368- मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	(+)2.39	(-)32.04	100
10.	24	लोक निर्माण कार्य -सड़कें और पुल	5053-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4727- हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	(-)0.52	(+)2.52	100
11.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-001-3930- विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	(-)0.10	(+)3.41	100
12.	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02-101-4007-विधायक/मंत्री	(+)0.85	(-)4.12	100
13.	29	विधि और विधायी कार्य	2015-102-2409- निर्वाचन अधिकारी	(+)1.58	(-)4.32	100
14.	29	विधि और विधायी कार्य	2015-105-4311- संसद के लिये चुनाव कराने का प्रभार	(+)0.52	(-)3.57	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन विभाग 2406-02-796-110-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3730- प्रोजेक्ट टाइगर	(+)1.15	(-)82.80	100
16.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-796-191-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 9141- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-)2.06	(+)1.34	65.05
17.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	35- पशुपालन विभाग 2403-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 9331- नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	(+)1.97	(-)1.21	61.42
18.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 8799- छात्रावास भवन निर्माण	(+)4.48	(-)1.40	31.25
19.	45	लघु सिंचाई- निर्माण कार्य	2702-80-800-0207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	(+)1.81	(-)3.08	100
20.	47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8885-स्वशासी तकनीकी संस्थानों को सहायता	(+)6.21	(-)2.14	34.46
21.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2428- निष्पादन स्थापना (इकाई-1 एवं इकाई-2)	(+)2.44	(-)1.74	71.31
22.	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0101-5067- लाडली लक्ष्मी योजना	(+)12.46	(-)6.78	54.41
23.	61	बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6068- निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाएं	(-)0.62	(+)22.96	100
24.	61	बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6077- नवीन लघु सिंचाई योजनाएं	(+)39.22	(-)30.01	76.52
25.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-789-191-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना-9142- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	(-)9.30	(+)2.33	25.05
26.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-01-110-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	(+)2.02	(-)3.46	100
27.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-4968- चिकित्सा महाविद्यालय	(+)1.73	(-)3.94	100

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7084- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	(-)6.57	(+)3.34	50.84
29.	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	2202-02-191-8403- शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिये अनुदान	(-)16.44	(+)61.36	100
30.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	(-)7.04	(+)1.74	24.72

परिशिष्ट - 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9 ; पृष्ठ 56)

पुनर्विनियोजनों/ समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं के विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6	1,3,7,29,31,67	97.60	संबंधित शीर्षों में बजट का प्रावधान उपलब्ध न होना।
2	4	10,11,58	20.39	राजस्व से पूंजीगत में तथा पूंजीगत से राजस्व में अनियमित पुनर्विनियोजन।
3	2	17,33	0.004	समर्पण/पुनर्विनियोजन संस्वीकृति के योग में त्रुटि।
4	5	15,36,63	3.71	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में संस्वीकृतियों की विलम्ब से प्राप्ति यथा लेखे बन्द करने तथा अन्तिम रूप देने के उपरान्त।
5	3	29,43,74	19.24	संस्वीकृतियाँ वित्त वर्ष 2010-11 की समाप्ति के उपरान्त जारी की गयी थी।
6	1	47	0.04	योजनाओं का पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
7	1	75	26.27	नई सेवा शीर्ष के लिए पुनर्विनियोजन जिनके लिये कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं था।
योग	22	18	167.25	

परिशिष्ट - 2.9

(संदर्भ: कडिका 2.3.10 ; पृष्ठ 56)

वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान की संख्या तथा शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	समर्पण की राशि (₹ करोड़ में)	समर्पण का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4059-01-051-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5668- राज्य सूचना आयोग का भवन निर्माण	2.00	100 %
₹ दो करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
2.	03-पुलिस	2055-110-5714- ग्राम और नगर समितियों के सदस्यों के लिए बीमा योजना	2.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
3.	06-वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5631- वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	3.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
4.	06-वित्त	7075-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5632- जन-निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अग्रिम	1.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
5.	07-वाणिज्यिक कर	2045-101-5886- छविगृह इकाईयों का निराकरण	1.35	100 %
₹1.35 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न हाने के कारण हुआ।				
6.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-800-1301- केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य) 5193-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम (13वाँ वित्त आयोग)	5.00	100 %
₹ पाँच करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण 13वें वित्त आयोग के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुदान संख्या 58 के अन्तर्गत राहत आयुक्त के लिए राशि उपलब्ध कराने के कारण हुई।				
7.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	6401-800-0862- कृषक ऋण विधान	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण जिलों से ऋण के लिए योग प्राप्त न होने के कारण हुई।				
8.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	2852-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6819- विद्युत देयक प्रतिपूर्ति	1.59	100 %
₹1.59 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी के इंतजाम के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6860-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6396- डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु ट्राईफेक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण (ट्राईफेक) निगम द्वारा ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।				
10.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-789-198-1503- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6079- सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	1.55	100 %
₹1.55 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
11.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 4515-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना-6099 मध्याह्न भोजन किचन शेड का निर्माण	10.64	100 %
₹10.64 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
12.	21-आवास एवं पर्यावरण	2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6706- लघु एवं मध्य शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान	138.17	100 %
₹138.17 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेन्सी को बदलने के कारण हुआ।				
13.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	4217-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6008- एम्स क्षेत्र के नालों का डायवर्शन	4.00	100 %
₹ चार करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण राज्य योजना आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 की आयोजना सीमा पुनरीक्षित करने के फलस्वरूप हुआ।				
14.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-6267- जिला नवाचार कोष (13 वाँ वित्त आयोग)	10.00	100 %
₹10 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं करने एवं राशि को आयोगनेत्तर से आयोजना में स्थानांतरित करने के कारण हुआ।				
15.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6267- जिला नवाचार कोष (13 वाँ वित्त आयोग)	10.00	100 %
₹10 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण वर्ष 2010-11 में 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रावधानित राशि को विमुक्त नहीं किये जाने से हुआ।				

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-6264-13 वाँ वित्त आयोग-सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करना	10.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
17.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6264-राज्य की सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करना (13 वाँ वित्त आयोग)	10.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
18.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6562- जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
19.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	3.60	100 %
₹3.60 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
20.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6918- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	20.00	100 %
₹20 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
21.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-001-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	1.32	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
22.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0802- केन्द्र क्षेत्रीय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6902-जनश्री जीवन बीमा योजना	2.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	26- समाज कल्याण विभाग 2235-60-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5758- कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना	6.00	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है।				
24.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निमाण कार्य- सड़कें और पुल	5054-04-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5904- नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सड़कें	54.00	100 %
₹54 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का सीधे भुगतान किये जाने के कारण हुआ।				
25.	44-उच्च शिक्षा	2202-03-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 6411- बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना	20.00	100 %
₹20 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि स्वीकृत न होने के कारण हुआ।				
26.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतगत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 2501-06-796-198-1502- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 6079-सुधार सुदृढीकरण पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	2.85	100 %
₹2.85 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
27.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतगत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58- ग्रामीण विकास विभाग 4515-796-198-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6099- मध्याह्न भोजन-किचन शेड का निर्माण	6.08	100 %
₹6.08 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुआ।				
28.	55- महिला एवं बाल विकास	2210-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6955- बाल संजीवनी अभियान योजना	1.24	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।				
29.	55- महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 7098- राष्ट्रीय पूरक पोषण आहार मिशन	3.76	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।				

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-5503- आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक कार्य एवं आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	10.00	100 %
₹10 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण, रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं आपदाओं की आकस्मिक प्रकृति होने का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होने के कारण हुआ।				
31.	60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5775- विध्य विकास प्राधिकरण	1.35	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।				
32.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना 6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	2.90	100 %
₹2.90 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
33.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2055-789-109-0803- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना- अनुसूचित जाति उपयोजना 5861- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
34.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 4986- विमुक्त घुमक्कड़ जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण पिछली राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
35.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 7560- अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये एकमुश्त प्रावधान	1.00	100 %
₹ एक करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण जिले से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
36.	67- लोक निर्माण कार्य भवन	4059-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5534- परिवहन	3.92	100 %
₹3.92 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण संबंधित विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं होने एवं प्रतिशतता प्रभार की राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण हुआ।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतगत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-192-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	2.21	100 %
₹2.21 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों की परियोजनायें स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।				
38.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-192-6967- माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन	9.37	100 %
समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये।				
39.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4515-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6099- मध्याह्न भोजन-किचन शेड का निर्माण	13.68	100 %
₹13.68 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
40.	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य योजना सामान्य 6982- एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	10.15	100 %
₹10.15 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
41.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	11.50	100 %
₹11.50 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
42.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6918- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	21.00	100 %
₹21 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।				
43.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-80-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 5704- सक्सेस योजना अंतर्गत हाई स्कूलों का सुदृढीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन	10.53	100 %
₹10.53 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण पद रिक्त रहने के कारण हुआ।				

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-80-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6968- हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन	1.08	100 %
₹1.08 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण पद रिक्त रहने के कारण हुआ।				
योग			434.84	

परिशिष्ट - 2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.11 ; पृष्ठ 56)

वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व-दत्तमत					
1.	03- पुलिस	2266.40	191.00	194.74	3.74
2.	07- वाणिज्य कर	1226.80	51.78	72.64	20.86
3.	11- वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	161.91	4.75	5.29	0.54
4.	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	871.38	84.28	90.31	6.03
5.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1595.63	185.89	187.11	1.22
6.	31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	152.54	85.87	86.52	0.65
पूंजीगत-दत्तमत					
7.	12- ऊर्जा	3793.09	186.50	225.67	39.17
8.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	107.86	35.89	36.77	0.88
	योग	10175.61	825.96	899.05	73.09

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.12 ; पृष्ठ 57)

विभिन्न अनुदान / विनियोगों का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया है

(₹ करोड़ में)

I-अनुदान			
स.क्रं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व-दत्तमत			
1.	14	पशुपालन	55.91
2.	16	मछली पालन	8.67
3.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	68.60
4.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	46.42
5.	38	आयुष	35.71
6.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	11.41
7.	43	खेल और युवक कल्याण	19.78
8.	50	20 सूत्र कार्यान्वयन	0.95
9.	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	3.26
10.	60	जिला परियोजना से संबंधित व्यय	0.08
11.	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	13.38
12.	62	पंचायत	25.09
13.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	32.55
14.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	8.22
पूंजीगत-दत्तमत			
15.	10	वन	13.63
16.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	45.04
17.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिकी शिक्षा)	0.28
18.	29	विधि और विधायी कार्य	0.50
19.	36	परिवहन	1.20
20.	38	आयुष	0.08
21.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	8.60
22.	43	खेल और युवक कल्याण	0.13
23.	47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	0.02
24.	73	चिकित्सा शिक्षा विभाग	6.55
II-विनियोग			
राजस्व-प्रभारित			
25.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	0.05
26.	16	मछली पालन	0.02
27.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.11
28.	21	आवास एवं पर्यावरण	0.01
29.	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1.98
30.	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिकी शिक्षा)	0.24
31.	34	समाज कल्याण	0.03
32.	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)
33	62	पंचायत	0.02
34	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	1.52
पूँजीगत प्रभारित			
35	लोक ऋण	लोक ऋण	3392.77
36	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	0.02
37	21	आवास एवं पर्यावरण	0.02
योग			3802.87

परिशिष्ट - 2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.3.12 ; पृष्ठ 57)

₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण
(परिशिष्ट - 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व-प्रभारित				
1.	ब्याज भुगतान-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	760.21	53.60	706.61
2.	06-वित्त	12.41	सांकेतिक	12.41
राजस्व-दत्तमत				
3.	01-सामान्य प्रशासन	24.57	18.20	6.37
4.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	13.27	1.47	11.80
5.	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	5.62	2.53	3.09
6.	06-वित्त	1501.85	710.26	791.59
7.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	117.92	69.11	48.81
8.	10-वन	161.68	35.54	126.14
9.	12-ऊर्जा	3.96	2.60	1.36
10.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	248.53	244.75	3.78
11.	18-श्रम	9.30	5.64	3.66
12.	21-आवास एवं पर्यावरण	146.07	139.66	6.41
13.	23-जल संसाधन विभाग	23.15	2.91	20.24
14.	25-खनिज संसाधन	3.09	1.73	1.36
15.	26-संस्कृति	3.20	1.12	2.08
16.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	67.35	21.81	45.54
17.	28-राज्य विधान मंडल	8.20	0.78	7.42
18.	29-विधि और विधायी कार्य	259.71	166.90	92.81
19.	30-ग्रामीण विकास	29.65	0.37	29.28
20.	33-आदिम जाति कल्याण	77.92	14.77	63.15
21.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	242.71	130.15	112.56
22.	44-उच्च शिक्षा	182.71	132.58	50.13
23.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4.00	0.49	3.51
24.	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	31.39	14.80	16.59
25.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	203.64	183.54	20.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	55-महिला एवं बाल विकास	138.33	122.36	15.97
27.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	45.44	11.80	33.64
28.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	174.41	167.24	7.17
29.	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	5.81	4.75	1.06
30.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	429.71	341.40	88.31
31.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	437.24	434.96	2.28
32.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	157.88	128.30	29.58
33.	78-उद्यानिकी तथ खाद्य प्रसंस्करण	10.27	6.94	3.33
पूँजीगत दत्तमत				
34.	01-सामान्य प्रशासन	3.48	1.84	1.64
35.	06-वित्त	74.94	1.00	73.94
36.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	102.34	98.35	3.99
37.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.71	4.57	1.14
38.	23-जल संसाधन विभाग	82.05	7.93	74.12
39.	24-लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	287.96	272.76	15.20
40.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	178.28	101.64	76.64
41.	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	92.05	84.17	7.88
42.	44-उच्च शिक्षा	1.92	0.19	1.73
43.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	371.67	95.77	275.90
44.	48-नर्मदा घाटी विकास	103.90	96.57	7.33
45.	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	74.90	11.46	63.44
46.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.93	0.43	2.50
47.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	38.48	2.51	35.97
48.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	95.49	60.05	35.44
49.	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	15.88	13.68	2.20
50.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	7.00	5.00	2.00
पूँजीगत प्रभारित				
51.	23-जल संसाधन विभाग	1.28	0.09	1.19
योग		7081.46	4031.07	3050.39

परिशिष्ट - 2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.3.12 ; पृष्ठ 57)

31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट अनुदान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ब्याज भुगतान	2049	5809.16	53.60	0.92
2.	03	2055	2143.08	186.50	8.70
3.	07	2030	287.88	35.05	12.18
4.	07	2039	986.52	22.66	2.39
5.	07	2040	112.96	13.15	11.64
6.	08	2029	430.00	63.99	14.88
7.	10	2406	1128.47	33.92	3.01
8.	11	6856	100.00	97.25	97.25
9.	12	2045	583.22	88.82	15.23
10.	12	6801	3415.50	225.67	6.60
11.	13	2401	822.56	90.37	10.99
12.	15	2505	142.38	18.59	13.06
13.	15	2515	449.33	199.47	44.39
14.	15	4515	23.64	10.64	45.01
15.	15	2235	107.31	11.92	11.11
16.	17	2425	203.00	11.80	5.81
17.	19	2210	1324.94	160.07	12.08
18.	19	2211	265.24	27.08	10.21
19.	24	5054	1774.34	272.24	15.34
20.	27	2202	3547.94	21.81	0.61
21.	29	2014	626.87	177.33	28.29
22.	31	3451	28.09	15.91	56.65
23.	31	3454	124.45	50.61	40.67
24.	33	2202	733.29	11.16	1.52
25.	34	2235	128.57	43.27	33.65
26.	41	2202	628.84	43.12	6.86
27.	41	2225	321.32	20.24	6.30
28.	41	2235	213.56	27.39	12.83
29.	41	2236	144.30	10.74	7.44
30.	41	2401	197.29	14.44	7.32
31.	41	4225	280.01	41.90	14.96
32.	41	4515	130.91	14.47	11.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	42	5054	343.07	84.17	24.53
34.	44	2202	789.62	132.60	16.79
35.	47	2203	164.80	14.80	8.98
36.	52	2505	214.92	30.12	14.01
37.	52	2515	259.38	113.98	43.94
38.	53	2217	64.91	30.69	47.28
39.	55	2235	799.45	111.61	13.96
40.	58	2245	1580.64	11.80	0.75
41.	59	4515	57.00	28.50	50.00
42.	64	2236	111.10	13.11	11.80
43.	64	2425	38.12	11.35	29.77
44.	64	5054	241.19	26.38	10.94
45.	64	2225	334.07	31.73	9.50
46.	64	2202	251.35	19.69	7.83
47.	64	2235	254.09	62.52	24.61
48.	67	4059	80.32	20.67	25.73
49.	68	2217	31.59	18.56	58.75
50.	74	2202	1099.83	42.07	3.83
51.	74	2235	236.82	10.29	4.35
52.	74	2501	240.21	10.00	4.16
53.	74	2505	227.24	32.86	14.46
54.	74	2515	1053.19	210.05	19.94
55.	74	4515	181.68	13.68	7.53
56.	75	2202	235.56	15.74	6.68
57.	75	2217	765.97	176.76	23.08
58.	75	2235	131.02	10.91	8.33
59.	75	3604	2177.22	162.33	7.46
60.	77	2202	1001.07	85.88	8.58
योग			40180.40	3648.03	9.08

परिशिष्ट - 2.14
(संदर्भ: कंडिका 2.3.13 ; पृष्ठ 57)
व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या, नाम, मुख्य शीर्ष	योजना संख्या	जनवरी मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2011 में किया गया व्यय	कुल व्यय	निम्नलिखित का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2011	मार्च 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	03-पुलिस, मु.शी.2055,4055	2643	70.02	63.43	70.68	99.07	89.74
2.	06-वित्त, मु.शी.2052	5614	16.11	16.11	27.64	58.29	58.29
3.	07-वाणिज्यिक कर, मु.शी.2030, 2039,2040	8808	11.82	10.75	12.56	94.11	85.59
4.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन, मु.शी.2029	6337	52.45	52.45	52.45	100	100
5.	12-ऊर्जा, मु.शी.2801	5114	15.00	15.00	20.00	75.00	75.00
6.	12-ऊर्जा, मु.शी.6801	5488	1981.37	1636.37	2681.37	73.89	61.03
7.	12-ऊर्जा, मु.शी.4801	5523	62.47	62.47	69.97	89.28	89.28
8.	12-ऊर्जा, मु.शी.6801	6869	23.71	23.71	23.71	100	100
9.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मु.शी.2401	5626	215.91	196.82	265.03	81.47	74.26
10.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मु.शी.2401	6366	25.00	25.00	25.00	100	100
11.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2216	5198	26.17	21.70	41.24	63.46	52.62
12.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2215	52.06	10.02	10.08	18.47	54.25	54.57
13.	16-मछली पालन, मु.शी.2405	5626	11.15	10.86	16.90	65.98	64.26
14.	17-सहकारिता, मु.शी.2425	6934	16.89	16.89	16.89	100	100
15.	17-सहकारिता, मु.शी.2425	9254	76.70	61.55	109.55	70.01	56.18
16.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मु.शी.2210	6229	19.44	16.06	23.94	81.20	67.08
17.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिक, मु.शी.4215,2215	0693	13.39	12.77	16.07	83.32	79.46
18.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय, मु.शी.2217	7400	51.00	51.00	51.10	99.80	99.80
19.	23- जल संसाधन विभाग, मु.शी.4700,4701	2897	142.28	120.95	206.97	68.74	58.44
20.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा), मु.शी.2202,4202	6809	36.81	36.81	40.87	90.06	90.06

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा), मु.शी.2202	8810	506.61	463.77	896.14	56.53	51.75
22.	31- योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, मु.शी.3454	6268	24.97	24.97	24.97	100	100
23.	37- पर्यटन, मु.शी.5452	7630	19.60	17.99	30.89	63.45	58.24
24.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मु.शी.2408	0570	14.91	14.91	14.91	100	100
25.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मु.शी.2408	5623	152.72	152.72	290.00	52.66	52.66
26.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4701	5152	26.33	14.34	26.45	99.55	54.22
27.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4801	6929	24.50	21.00	30.00	81.67	70
28.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4225	7881	62.02	60.55	116.39	53.29	52.02
29.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4801,6801	7900	75.78	75.78	120.83	62.72	62.72
30.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.2235	8786	13.94	13.94	25.87	53.88	53.88
31.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.4801	9252	12.00	12.00	14.00	85.71	85.71
32.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मु.शी.2425	9254	19.47	19.47	32.36	60.17	60.17
33.	44-उच्च शिक्षा, मु.शी.4202	7643	30.95	30.95	39.28	78.79	78.79
34.	47- तकनिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मु.शी.2203,4202	2667	77.76	69.11	125.22	62.10	55.19
35.	47-तकनिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मु.शी.2230	6951	16.77	16.75	22.88	73.30	73.21
36.	47-तकनिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मु.शी.4202	6952	16.00	16.00	17.06	93.79	93.79
37.	48- नर्मदा घाटी विकास, मु.शी.4700,4801	9091	38.51	36.94	39.81	96.73	92.79
38.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2236	5169	32.18	29.41	51.25	62.79	57.39
39.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2216	5198	30.35	25.03	48.31	62.82	51.81
40.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2215	5206	11.75	11.81	20.59	57.07	57.36

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.3604	6086	16.64	16.64	33.28	50	50
42.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मु.शी.2245	0475	495.85	495.85	495.85	100	100
43.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4700	2884	112.18	105.79	136.84	81.98	77.31
44.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4705	6067	83.42	83.06	87.96	94.84	94.43
45.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6068	60.35	53.29	94.00	64.20	56.69
46.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6069	40.04	38.98	43.59	91.86	89.42
47.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6074	18.59	18.48	19.02	97.74	97.16
48.	61- बुंदेलखंड पैकेज से संबंधित व्यय, मु.शी.4702	6077	119.85	115.74	161.31	74.30	71.75
49.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2225	4722	18.86	18.15	32.75	57.59	55.42
50.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.4202	5086	11.60	11.60	11.60	100	100
51.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2401,2405	5626	48.98	45.65	75.31	65.04	60.62
52.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.4801	6929	39.25	31.00	45.00	87.22	68.89
53.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2210,4210	6974	38.83	38.57	63.27	61.37	60.96
54.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.2425	7895	14.78	14.78	14.78	100	100
55.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना, मु.शी.4801,6801	7900	92.42	92.42	165.16	55.96	55.96
56.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.2210,4210	0775	35.58	34.59	40.28	88.33	85.87
57.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.2235	3757	33.81	33.80	34.43	98.20	98.17
58.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.4235	4889	51.83	51.83	52.00	99.67	99.67
59.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.2202	6280	104.00	104.00	104.00	100	100
60.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, मु.शी.4235	6281	47.60	47.60	52.52	90.63	90.63
61.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2216	5198	38.36	31.67	60.69	63.21	52.18
62.	74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मु.शी.2215	5206	14.52	14.59	25.66	56.59	56.86

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	75-नगरीय निकायो को वित्तीय सहायता, मु.शी.6217	5728	15.00	15.00	15.00	100	100
64.	75-नगरीय निकायो को वित्तीय सहायता, मु.शी.2217	6981	116.60	116.60	169.61	68.75	68.75
65.	76- लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, मु.शी.5054	7085	12.96	12.96	14.46	89.63	89.63
66.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), मु.शी.2202	6005	50.03	50.03	50.03	100	100
67.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), मु.शी.4202,2202	6970	11.63	11.63	11.63	100	100
68.	78- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मु.शी.2401	5626	16.87	16.33	23.06	73.16	70.82
69.	CH1-भारित (विनियोग) लोक ऋण, मु.शी.6003	2199	105.00	105.00	105.00	100	100
70.	CH2-ब्याज की अदायगी और सेवा, मु.शी.2049	5691	384.78	307.83	384.78	100	80
71.	CH2-ब्याज की अदायगी और सेवा, मु.शी.2049	6237	49.02	49.02	49.02	100	100
योग			6383.86	5770.88	8449.50	75.55	68.30

परिशिष्ट - 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.3.13 ; पृष्ठ 57)

केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित राशि का 8443-सिविल जमा 800- अन्य जमा में अंतरण दिखाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूलअपुरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	147.01	152.05	5.67
2	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 9489-प्रदेश में फ्लोरासिस नियंत्रण कार्यक्रम	73.22	45.45	1.00
3	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3475-106-0801-केन्द्र क्षेत्रिय योजना (सामान्य) 6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण	2.00	2.00	2.00
4	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (आदिम जाति कल्याण विभाग)	2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रिय योजना अनुसूचित जनजाति उप-योजना 6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	54.28	50.44	13.00
5	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (आदिम जाति कल्याण विभाग)	4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रिय योजना अनुसूचित जनजाति उप-योजना 7881- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	135.13	116.39	40.00
6	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 2667-पोलिटैक्निक संस्थाएँ	16.56	11.20	11.20
7	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 6369- राज्य क्रियान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना	0.24	0.18	0.18
8	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	4202-02-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 2667-पोलिटैक्निक संस्थाएँ	45.80	45.80	45.20
9	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	445.27	367.12	5.20

1	2	3	4	5	6
10	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-1301- केन्द्रीय वित्त आयोग 6370-13वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	5.00	5.00	5.00
11	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6080-भण्डार एवं विपणन	110.97	110.97	110.97
12	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) -6080-भण्डार एवं विपणन	27.74	27.74	27.74
13	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-22-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	138.43	136.84	104.12
14	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6068- निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाएँ	71.66	94.00	20.34
15	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6069- सुधार, सुदृढीकरण पुनर्स्थापना (पोखर/तालाब)	47.23	43.59	35.17
16	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6071- उदहन सिंचाई योजनाओं का सुधार	5.46	5.43	5.43
17	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6074- नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति	64.00	19.02	17.44
18	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6077- नवीन लघु सिंचाई योजनाएँ	152.10	161.31	83.13
19	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4705-211-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 6067- कमांड क्षेत्र विकास-राजघाट परियोजना	87.94	87.96	80.99
20	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उप-योजना) 2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	40.88	34.30	0.34
21	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उप-योजना) 9489- प्रदेश में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	37.97	30.97	1.33

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6
22	72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2202-01-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 6280-आर्थिक पुनर्वास	104.00	104.00	104.00
	योग		1812.89	1651.76	719.45

परिशिष्ट - 2.16

(संदर्भ: कंडिका 2.3.14 ; पृष्ठ 58)

(अ) पूंजीगत अनुभाग से संबंधित शीर्ष 63-मशीनें एवं 64- वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रावधान का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वर्गीकृत
1	2	3	4	5
1	03- पुलिस	2055-114-4155- वायरलेस कार्यालय भोपाल एवं ग्वालियर	6.25	63
2	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6050-जिला स्तरीय ब्लड बैंक व सीमांक ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना	2.01	63
3	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6051- चिकित्सालयों के लिये जनरेटर	9.00	63
4	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-8798- चिकित्सालयों का उन्नयन	1.45	63
5	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473- जिला चिकित्सालय	3.80	63
6	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5.35	63
7	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-7317- ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	1.50	63
8	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-003-0801-0336- ऑक्जीलियरी नर्स मिड वाईफ एवं हेल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	1.00	63
9	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-102-0801-2703- प्रत्यक्ष व्यय	1.00	63
10	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3475-106-0801-6113- संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण	2.00	64
11	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2215-01-796-102-0702-1201- ग्रामीण पाइप जल प्रदाय योजना	41.69	64
12	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0101-2667- पोलिटेकनिक संस्थाएँ	1.68	63
13	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0701-2667- पोलिटेकनिक संस्थाएँ	1.01	63
14	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0101-0717- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ	3.24	63
15	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0701-6951- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उत्कृष्ट संस्थाओं में विकास	21.00	63
16	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-0701-6951- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उत्कृष्ट संस्थाओं में विकास	1.00	64

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5
17	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-01-800-0103-6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय	10.00	63
18	73- चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-01-110-0101-1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	2.50	63
19	73- चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-0101-6988- चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं का उन्नयन	1.50	63
20	06- वित्त	2054-095-8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	30.00	63
21	10- वन	2406-01-001-0101-2723- प्रशासन का सुदृढीकरण	1.93	63
22	10- वन	2406-01-102-0701-5317- गहन वन प्रबंधन	4.14	63
23	48- नर्मदा घाटी विकास	2402-102-0701-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	11.01	64
24	28- राज्य विधानमण्डल	2011-02-103-4009- विधानसभा सचिवालय	1.00	63
25	43- खेल और युवक कल्याण	2204-800-0101-5159- खेल अकादमी की स्थापना	1.60	63
		योग	166.66	

(ब) राजस्व अनुभाग से संबंधित शीर्ष 42-अनुदान के अंतर्गत प्रावधान का पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकरण
(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	राशि	उद्देश्य शीर्ष में वर्गीकृत
1	2	3	4	5
1	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-800-0701-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम कन्या विद्यालय	36.81	42
2	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-5776- सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	1.03	42
3	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0701-6655- मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	70.00	42
4	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0101-5129- राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	1.87	42
5	30- ग्रामीण विकास	4515-800-0101-5853- डी.पी.आई.पी. योजना	5.00	42
		योग	114.71	

परिशिष्ट - 2.17

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1 ; पृष्ठ 59)

चयनित अनुदानों के अधीन योजना जिनमें सारभूत बचतें ₹ दो करोड़ से अधिक और प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशत) 2010-11
1	2	3
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
1	2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0921-राष्ट्रीय दलहन विकास योजना	9.34 (100)
2	2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-9185-बीज ग्राम योजना	6.06 (21.03)
3	2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम	4.33 (95.16)
4	2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6891-राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान	4.36 (66.46)
5	2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	36.00 (50)
6	2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	4.43 (49.72)
7	2401-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	24.59 (37.29)
48- नर्मदा घाटी विकास		
8	2055-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	2.72 (38.20)
9	2402-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	5.57 (50.59)
74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
10	2202-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6967- माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन	9.37 (100)
11	2202-02-192-0101-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन	2.86 (20.43)
12	2235-60-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	5.99 (32.79)
13	2235-60-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	6.05 (33.11)
14	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0921- राष्ट्रीय दलहन विकास योजना	4.00 (100)
15	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1580- मैक्रोमैनेजमेंट योजना	3.66 (86.94)
16	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम	2.60 (64.68)
17	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6079-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)	5.01 (89.46)
18	2505-01-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	138.86 (61.11)
19	2515-198-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7886-मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन	209.53 (77.60)
20	3604-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6086- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	55.47 (100)
योग		540.80

परिशिष्ट - 2.18

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1 ; पृष्ठ 59)

चयनित अनुदानों के अधीन योजनाएँ जिनमें ₹ एक करोड़ या इससे अधिक के सारभूत आधिक्य हुए

(₹ करोड़ में)

सं.क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशत) 2010-11
1	2	3
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
1.	2401-001-0119-अधीनस्थ तथा विशेष कर्मचारी (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	12.47 (7.75)
2.	2401-102-0101-राज्य आयोजना सामान्य-5647- कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	3.85 (32.11)
3.	2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0927- राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	6.80 (25.34)
4.	2401-110-0101-राज्य आयोजना सामान्य-8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	3.74 (15.07)
48- नर्मदा घाटी विकास		
5.	2801-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6818-सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय	1.00 (11.11)
74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
6.	2202-02-191-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान	44.92 (15.65)
7.	2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5198- इंदिरा आवास योजना	25.18 (70.93)
8.	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	4.72 (41.29)
9.	2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9249-बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	78.00 (44.66)
10.	3604-197-4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	54.83 (25.33)
योग		235.51

परिशिष्ट - 2.19

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1 ; पृष्ठ 59)

(अ) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	अनुपूरक प्रावधान की अनुपयोगी राशि
1	2	3
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
1.	2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0903-कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना	0.64
2.	2202-01-192-6967- माध्यमिक शालाओं से हाई- स्कूलों में उन्नयन	9.37
योग		10.01

(ब) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास					
1.	2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 9185-बीज ग्राम योजना	15.56	13.26	22.76	6.06
2.	2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	----	72.00	36.00	36.00
74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता					
3.	2515-198-6226-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विशेष क्षेत्र अनुदान	----	22.57	19.91	2.66
योग		15.56	107.83	78.67	44.72

(स) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	मूल	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास					
1.	2401-001-0119- अधीनस्थ तथा विशेष कर्मचारी (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	154.11	6.80	173.38	12.47
योग		154.11	6.80	173.38	12.47

परिशिष्ट - 2.20

(संदर्भ: कांडिका 2.4.3 ; पृष्ठ 60)

चयनित अनुदानों की समीक्षा में पाये गये मार्च 2011 में व्यय की अत्यधिकता के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल व्यय	मार्च 2011 में किया गया व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	13	2401-105- खाद तथा उर्वरक 6366- खाद और उर्वरक की व्यवस्था हेतु पूंजी पर ब्याज	25.00	25.00	100
2.	13	2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-9197- राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन व संचालन	0.25	0.19	76
3.	13	2401-108-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम	0.22	0.11	50
4.	13	2401-108-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	33.64	16.29	48.43
5.	13	2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8173-उज्जैन में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	0.20	0.10	50
6.	13	2401-109-0101- राज्य आयोजना सामान्य- 8808-सूचना प्रौद्योगिक से संबंधित कार्य	2.38	1.33	55.88
7.	13	2401-113-0101-राज्य आयोजना सामान्य- 5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	36.00	36.00	100
8.	13	2401-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-1580-मैक्रोमैनेजमेंट योजना	41.35	16.15	39.06
9.	13	2401-113-0801-केन्द्र क्षेत्रिय योजना (सामान्य)-5907- पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलोजी एवं मैनेजमेंट	0.42	0.17	40.48
10.	13	2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रिय योजना (सामान्य)-9185-बीज ग्राम योजना	22.76	10.45	45.92
11.	13	2401-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5647- कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	15.84	6.97	44.01
12.	74	2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5198-इंदिरा आवास योजना	60.69	31.67	52.18
13.	74	2215-02-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-5206- पूर्ण स्वच्छता अभियान	25.66	14.59	56.85

1	2	3	4	5	6
14.	74	2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	16.15	8.36	51.76
15.	74	3604-197- जनपद पंचायतों का सहायता 6107- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	17.97	9.81	54.59
योग			298.53	177.19	59.36

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कड़िका 3.2 ; पृष्ठ 63)

स्वायत्तशासी निकायों के लेखों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

सरल क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जबतक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखाओ की प्रस्तुति में विलंब	विलंब की अवधि (माह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	म.प्र. गृहनिर्माण मंडल, भोपाल	2006-07 तक	2006-07	2006-07 तक	2003-04		
2.	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	2009-10 तक	2005-06	2005-06	2004-05	--	2006-07: (48) 2007-08: (36) 2008-09: (24) 2009-10: (12)
3.	म.प्र. मानवाधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2008-09	2008-09	2007-08	--	2009-10: (12) 2010-11: (निरंक)
4.	म.प्र. भवन तथा निर्माण कार्यकर्ता कल्याण मण्डल, भोपाल	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (2003-04)	--	--	--	84
5.	म.प्र. राज्य विधिक सेवा, प्राधिकरण, जबलपुर	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1997-98)	--	--	--	156
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (1998-99)				144
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बडवानी	तदैव	आरम्भ से लेखे नहीं भेजे (2006-07)	--	--	--	48
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा	तदैव	तदैव	--	--	--	48
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच	तदैव	तदैव	--	--	--	48
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर	तदैव	तदैव	--	--	--	48

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिन्ड	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिन्दवाडा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह	-तदैव-	-तदैव-				-तदैव-
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
20.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
21.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
22.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
23.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
24.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
26.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी	-तदैव-	2002-03 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	96
27.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा	-तदैव-	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
28.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडला	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
29.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
30.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
31.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
32.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
33.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
34.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
35.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
36.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
37.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
39.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	--	--	--	144
40.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
41.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
42.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
43.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
44.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
45.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
46.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
47.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-
48.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना	-तदैव-	-तदैव-	--	--	--	-तदैव-

1. विलंब की गणना वित्त वर्ष जिसमें इकाई की स्थापना की गई थी, से की गई है।
2. पूर्व वित्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति की तिथि 30 जून के रूप में लेते हुए विलम्ब की गणना की गई है।
3. कोषक में दिए गये आंकड़े लेखाओं की प्रस्तुति के लिये जारी किए गए पत्र के माह से, माहों में विलम्ब दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-3.2
(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 64)

दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग का नाम	पांच वर्षों तक		पांच से 10 वर्ष तक		दस से 15 वर्ष		15 वर्षों से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	3	6.62	3	6.06	5	27.80	--0	--	20	18.35	20	9.85	51	68.68
2	2211-परिवार कल्याण	निरंक	निरंक	निरंक	--	--	--	--	--	2	0.34	11	5.10	13	5.44
3	2245-प्राकृतिक आपदाएं	-	-	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-
4	2051-लोक सेवा आयोग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-
5	2029-भू- राजस्व	--	--	1	0.80	0	0.00	0	0.00	6	2.40	5	0.84	12	4.04
6	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.67	--	--	--	--	1	0.67
7	2053-जिला प्रशासन	1	0.01	0	0.00	--	--	--	--	1	0.40	1	0.40	3	0.81
8	2014-न्याय प्रशासन	3	5.65	1	3.70	--	--	2	1.73	--	--	2	0.29	8	11.37
9	2054-कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	2	15.00	--	--	2	19.78	--	--	3	1.16	5	12.10	12	48.04
10	2039-राज्य आबकारी	1	0.35	2	0.30	2	0.29	--	--	--	--	3	3.50	8	4.44

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	2230-श्रम तथा रोजगार	6	4.03	4	7.38	0	0.00	--	--	--	--	--	--	10	11.41
12	2401-कृषि विभाग	5	9.16	4	4.36	--	--	2	1.52	2	0.33	1	0.32	14	15.69
13	2402-कृषि विभाग	1	0.40	2	0.95	--	--	--	--	--	--	3	0.71	6	2.06
14	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	167	423.51	237	214.44	433	415.64	379	125.19	634	139.03	438	67.75	2288	1385.56
15	2408-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0	0.00	1	0.01	--	--	--	--	--	--	1	0.52	2	0.53
16	2425-सहकारिता	1	4.60	2	1.12	--	--	--	--	--	--	--	--	3	5.72
17	2851-ग्रामोद्योग	2	0.80	1	2.75	--	--	--	--	--	--	1	0.07	4	3.62
18	2852-ग्रामोद्योग	0	0.00	1	1.03	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.03
19	2202-स्कूल शिक्षा	62	2680.78	13	18.65	12	6.23	15	8.39	21	12.35	31	13.93	154	2740.33
20	2203-तकनीकी शिक्षा	14	18.30	5	8.60	--	--	--	--	--	--	--	--	19	26.90
21	2205-कला एवं संस्कृति	0	0.00	1	0.25	--	--	1	13.12	--	--	--	--	2	13.37
22	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	43.56	1	1.33	3	1.54	2	2.99	3	0.37	--	--	11	49.79
23	2505-ग्रामीण रोजगार	1	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.00
24	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.47
25	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का कल्याण	--	--	--	--	4	1.78	16	10.21	6	6.53	12	2.54	38	21.06
26	2853-खनन	7	0.99	2	0.54	--	--	--	--	--	--	--	--	9	1.53
27	2030-मुदांक एवं पंजीयन	0	0.00	1	0.34	--	--	--	--	1	0.96	--	--	2	1.30
28	2041-परिवहन	--	--	--	--	--	--	--	--	1	5.64	--	--	1	5.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	2235-पुनर्वास विभाग	--	--	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.19	1	0.19
30	2235-पंचायत	0	0.00	0	00	1	4.04	1	0.14	1	0.10	2	2.83	5	7.11
31	2235-महिला एवं बाल कल्याण	0	0.00	1	1.31	0	0.00	2	1.20	2	1.06	0	0.00	5	3.57
32	2403-पशु सेवाएं	0	0.00	7	1.82	4	4.35	1	0.24	3	0.92	3	5.63	18	12.96
33	2055-पुलिस	180	47.07	211	72.82	40	29.86	17	9.54	4	1.08	--	--	452	160.37
34	जल संसाधन विभाग	7	6.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.73
	योग	468	3269.03	501	348.56	506	511.31	439	174.94	710	191.02	540	126.57	3164	4621.43

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 64)

2010-11 के लिए अपलेखनों के प्रकरणों के विभागवार विवरण

क्रम संख्या	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	2245-प्राकृतिक आपदाएं	निर्देशक, गैस दुर्घटना राहत एवं पुनर्स्थापना, भोपाल	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास में दिनांक 11.06.08 को चोरी	1	2679.00
2.	2055-पुलिस	पुलिस विभाग	वाहन की दुर्घटना, आदि	10	272467.00
3.	2225-जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग	आयुक्त, जनजाति विकास, भोपाल	भवन गिरने एवं सामग्री चोरी होने के कारण हानि	7	21992.00
4.	2235-पुनर्वास	पुनर्वास विभाग	हरदा इकाई में तूफान से टीन शेड की हानि	1	28681.00
5.	2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	मुख्य क्षेत्रीय निर्देशक का कार्यालय, खनन एवं धातुकर्म, रीवा	बोरहोल में बेधान सामग्री जमा होने के कारण हानि	3	27373.00
6.	2415-कृषि	निदेशक, कृषि, म.प्र.	चोरी होने के कारण हानि	1	8683.83
7.	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) म.प्र., भोपाल तथा वरिष्ठ उपमहालेखाकार	हानि की वसूली न होने के कारण	4	7905.00
8.	-तदैव-	-तदैव-	न्यायालय आदेश के कारण	1	5800.00
9.	-तदैव-	-तदैव-	अग्नि दुर्घटना के कारण	1	550.00
10.	जल संसाधन विभाग	वरिष्ठ जैवकीय निर्देशक, भू संरक्षण इकाई-1, उज्जैन	जल पूर्ति के लिए पूर्व दत्त मीटरों की चोरी	1	33348.00
योग				30	409478.83

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 64)

चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्रियों की हानि से सरकार को हुई हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	22	16.28	29	52.40	51	68.68
2211-परिवार कल्याण	0	0.00	13	5.44	13	5.44
2029-भू-राजस्व	0	0.00	12	4.04	12	4.04
2054-कोषालय एवं लेखे	3	15.11	9	32.93	12	48.04
2014-न्याय प्रशासन	3	0.62	5	10.75	8	11.37
2053-जिला प्रशासन	1	0.39	2	0.42	3	0.81
2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	-	0.00	1	0.67	1	0.67
2030-मुद्रांक एवं पंजीयन	1	0.34	1	0.96	2	1.30
2041-परिवहन	1	5.64	--	0.00	1	5.64
2055-पुलिस	18	32.29	434	128.08	452	160.37
2225-जनजाति कल्याण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	3	0.11	35	20.95	38	21.06
2235-पंचायत	1	1.23	4	5.88	5	7.11
2235-पुनर्वास विभाग - महिला एवं बाल कल्याण	4	2.26	1	1.31	5	3.57
2235-पुनर्वास	-	0.00	1	0.19	1	0.19
2403-पशुपालन	4	4.14	14	8.82	18	12.96
2853-खनन एवं उत्सर्जन	2	0.54	7	0.99	9	1.53
2039-राज्य आबकारी	4	1.90	4	2.54	8	4.44
2202-स्कूल शिक्षा	70	76.98	84	2663.34	154	2740.32
2203-तकनीकी शिक्षा	12	11.34	7	15.56	19	26.90
2205-कला एवं संस्कृति	2	13.37	0	0.00	2	13.37
2230-श्रम एवं रोजगार	8	4.42	2	7.00	10	11.42
2401-कृषि विभाग	9	4.94	5	10.75	14	15.69

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7
2402-कृषि विभाग	4	1.51	2	0.55	6	2.06
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	36	9.61	2252	1375.95	2288	1385.56
2408-खाद्य भंडारण एवं भंडागार	1	0.01	1	0.52	2	0.53
2425-सहकारिता	3	5.72	0	0.00	3	5.72
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6	3.39	5	46.40	11	49.79
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1	1.25	2	0.22	3	1.47
2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.00	1	0.00
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1	0.20	3	3.42	4	3.62
2852-ग्रामाद्योग	0	0.00	1	1.03	1	1.03
जल संसाधन विभाग	7	6.73	-	-	7	6.73
योग	227	220.32	2937	4401.11	3164	4621.43

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.4.1 ; पृष्ठ 66)

2010-11 तक के वर्षों के लंबित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	आकस्मिक व्यय देयकों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	विद्युत निरीक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल	243	0.05
2.	राज्य संलेख अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल	19	7.59**
3.	आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल	08	4.05*
4.	उप संचालक, एन.सी.सी., मध्य प्रदेश, भोपाल	151	1.17
5.	संचालक, पिछड़ा वर्ग, भोपाल	37	0.37
6.	पंजीयक, श्रम न्यायालय, मध्य प्रदेश	86	0.16
7.	संचालक, कृषि विभाग, भोपाल	529	6.46
8.	भूमि संरक्षण अधिकारी	264	1.58
योग		1337	21.43

* मुख्य शीर्ष 2202 से संबंधित ₹ 4.03 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक दिनांक 29.02.2000 को आग दुर्घटना में नष्ट हो गया जिसके विवरण उपलब्ध नहीं है।

** मुख्य शीर्ष 2070 (राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी) से संबंधित ₹ 7.59 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक के विवरण एवं गबन मामले में, अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख जब्त कर लिये जाने के कारण, उपलब्ध नहीं है।